9 December, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 58
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 23, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 26, मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1986/18 अग्रहायण 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1—3
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	3—16
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	16
नियम 377 के अधीन मामले	17
(एक) कन्याकुमारी और एरणाकुलम के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा पुनः प्रदान करने की आवश्यकता	17
श्री एन० डेनिस	17
(दो) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच को जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	17
श्री कमला प्रसाद रावत	17
(तीन) बिहार से चीन की सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने की आवश्यकता	18
श्रीमती माधुरी सिंह	18
(चार) दतिया नगर के लिए जलपूर्ति सुनिश्चित हेतु लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	18
श्री कृष्ण सिंह	18
(पांच) देश में वनों के संरक्षण के लिए सेटिना झाड़ियों को नष्ट करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता	19
श्री एम० एल० झिकराम	19
(छह) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक और उन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली औषधियों की मात्रा में भी वृद्धि करने की आवश्यकता	19
श्री चिन्तामणि जेना	19
(सात) सिन्द्री उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता	20
श्री वसुदेव आचार्य	20
(आठ) भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की फसल के युक्तिसंगत वसूली मूल्य निर्धारित किये जाने की आवश्यकता	20
श्री सैयद शाहबुद्दीन	20
(नौ) कानपुर नगर के निवासियों को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता	21
श्री जगदीश अवस्थी	21
(दस) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण जिन लोगों की फसलें और सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की आवश्यकता	22
श्री बीरबल	22

विषय		पृष्ठ
(ग्यारह)	पंजाब से अन्य राज्यों को कृषि उत्पादों की समय से ढुलाई के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की आवश्यकता	22
	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	22
(बारह)	हिन्दी विरोधी आन्दोलनकर्ताओं को संविधान का उल्लंघन करने से रोकने की आवश्यकता	23
	श्री राजकुमार राय	23
(तेरह)	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जांच करने की आवश्यकता	23
	श्री सैफुद्दीन चौधरी	23
(चौदह)	मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानों में कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता	24
	श्री डालचन्द्र जैन	24
(पन्द्रह)	उत्तर प्रदेश के पिथौड़ागढ़ जिले में प्रस्तावित हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थापित करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता	24
	श्री हरीश रावत	24
(सोलह)	हमारे सामाजिक जीवन से सभी प्रकार का शोषण दूर करने की आवश्यकता	24
	श्री मूलचन्द डागा	24
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक		
बाट और माप मानक (संशोधन) विधेयक		
बाट और माप (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक		
आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक		
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक		
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक		25
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक		
और		
कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) संशोधन विधेयक		25
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री एच० के० एल० भगत	26
	कुमारी सरोज खापर्डे	31
	श्री एम० अरुणाचलम	33
	श्री रामानन्द यादव	33
	श्री सी० माधव रेड्डी	33
	प्रो० एन० जी० रंगा	37
	श्री आयनल अबेदिन	39
	श्री शरद दिघे	41
	श्री तम्पन थामस	44
	डा० फूलरेणु गुहा	46
	श्रीमती गीता मुखर्जी	47

विषय	पृष्ठ
श्री हरीश रावत	48
श्री जैनुल बशर	52
श्री एच० के० एल० भगत	54
श्री मूलचन्द डागा	62
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक	
खंड 2 से 31 और 1	69
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	69
बाट और माप (संशोधन) विधेयक	70
खंड 2 और 1	70
पारित करने के लिए प्रस्ताव	70
श्री एच० के० एल० भगत	70
बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक	72
खंड 2 से 5 और 1	72
पारित करने के लिए प्रस्ताव	72
श्री एच० के० एल० भगत	72
आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक	73
खंड 2 से 3 और 1	73
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० के० एल० भगत	73
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक	77
खंड 2 से 3 और 1	77
पारित करने के लिए प्रस्ताव	77
कुमारी सरोज खापर्डे	77
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक	77
खंड 2 से 3 और 1	77
पारित करने के लिए प्रस्ताव	77
कुमारी सरोज खापर्डे	77
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक	77
खंड 2 से 7 और 1	77
पारित करने के लिए प्रस्ताव	77
श्री एम० अरुणाचलम	77
कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) संशोधन (विधेयक)	78
खंड 2 से 7 और 1	78
पारित करने के लिए प्रस्ताव	78
श्री रामानन्द यादव	78

विषय	पृष्ठ
काली मिर्च पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प	78—83
श्री बी० के० गढ़वी	78
श्री तम्पन थामस	79
दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक	83—87
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार और सहमति	83
श्रीमती मोहसिना किदवई	83
श्री वसुदेव आचार्य	84
श्री तम्पन थामस	84
श्री इन्द्रजीत गुप्त	84
बालक श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) विधेयक	87—119—131
विचार करने के लिए प्रस्ताव	87
श्री श्याम लाल यादव	87
श्रीमती किशोरी सिंह	90
श्री सैयद शाहबुद्दीन	92
श्रीमती मीरा कुमार	94
श्री आर० जीवरत्नम	98
श्री उमाकांत मिश्र	99
श्री कावम्बुर जनार्दनन	100
श्रीमती जयन्ती पटनायक	102
श्री रामस्वरूप राम	105
श्री शरद दिघे	106
श्री नारायण चौबे	108
श्री कमला प्रसाद रावत	109
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	1 0
श्री भद्रेश्वर तांती	111
श्रीमती प्रभावती गुप्त	112
श्री पीयूष तिरकी	115
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	116
श्री काली प्रसाद पांडेय	117
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	118
श्री पी० पेंचालैया	120
श्री पी० ए० संगमा	121
खंड 2 से 26 और 1	124
पारित करने के लिए प्रस्ताव	124
श्री पी० ए० संगमा	124

विषय	पृष्ठ
अंग्रेजी दैनिक "डेक्कन हेराल्ड" में एक लघु कथा के प्रकाशन के विरोध में कर्नाटक में उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य	119—120
श्री पी० चिदम्बरम	119
अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिषेध) विधेयक (समाप्त)	131—155
विचार करने के लिए प्रस्ताव	131
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	131
डा० टी० कल्पना देवी	134
श्री के० आर० नटराजन	136
श्री गदाधर साहा	136
डा० फूलरेणु गुहा ।	139
श्री नारायण चौबे	140
खंड 2 10 और 1	141
पारित करने के लिए प्रस्ताव	141
श्रीमती मारग्रेट अल्वा	141
श्री सैयद शाहबुद्दीन	149
श्री पीयूष तिरकी	1:0
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	138

लोक सभा

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1986/18 अग्रहायण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : (बांकुरा) : श्रीमान्...

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आज निधन सम्बन्धी उल्लेख भी हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिराजिये। देखिए, आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें बाद में आपको ही तकलीफ होगी, मैं पहले बता देता हूं। आप ज्यादा चिल्लायेंगे।

11.01 म० प०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को डा० इम्तयाज अहमद और श्री आर० धर्मलिंगम नाम के अपने दो भूतपूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचना देता हूं।

डा० इम्तयाज अहमद बिहार के गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र से 1967-70 के दौरान चौथी लोक-सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी डा० अहमद ने आजादी की लड़ाई में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में उन्होंने निर्धन लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं दिलाने में विशेष दिलचस्पी ली। डा० अहमद कई शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे।

डा० अहमद का निधन गिरिडीह में 75 वर्ष की आयु में 20 नवम्बर, 1986 को हुआ।

श्री आर० धर्मलिंगम पुराने मद्रास राज्य के तिरुवनमलाई निर्वाचन क्षेत्र से 1957-67 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक-सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

वह एक व्यापारी थे। वह नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की।

श्री धर्म लिंगम का निधन तिरुवनमलाई में 64 वर्ष की आयु में 24 नवम्बर, 1986 को हुआ।

हम अपने इन दो मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और शोक संतप्त परिवारों को अपनी शोक संवेदनायें संप्रेषित करते है।

अब सदस्यगण कुछ क्षणों के लिए दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, भागलपुर के पुलिस-जन···

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : 12 बजे करना···

अध्यक्ष महोदय : आज इनके 12, 11 बजे ही बज गए हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने दोबारा खूनी द्वार पार कर लिया है। ये पुलिस जन, जो लोगों को अंधा करने के लिए कुख्यात हुए थे, उन्होंने तीन औरतों का खून कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

आप लिखकर दें तो मैं उनको लिखकर दूंगा, सूचना आ जाएगी, फिर हम डिसकस कर लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : कब करेंगे आज आखिरी दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

आप मुझसे यह आशा नहीं कर सकते कि मैं किसी प्रकार की दूरानुभूति···

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दूरानुभूति की बात नहीं है, यह प्रत्येक समाचार-पत्र में छप चुका है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल को आपके भी झगड़ा हो सकता है, गड़बड़ नहीं होने देनी चाहिए।

[अनुवाद]

हमें हर काम सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। हमें दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें उनकी राय लेनी चाहिए और तब वह कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। उसमें अगर कुछ बहस हो सकती है तो बहस कराई जा सकती है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह क्रूर हत्या का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सम्बन्ध में पूछना पड़ेगा और अगर इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व तय करने की बात होगी तो मैं वह भी तय करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यही पुलिस के लोग थे जिन्होंने कैदियों को अन्धा किया था···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए आपकी बात सच नहीं मान सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने तीन औरतों की हत्या की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। श्री पी० वी० नरसिंह राव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देख लूंगा और यही तो मैंने कहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आज आखिरी दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

आप मेरी जगह होते तो क्या करते ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम तो मगवा लेते···

अध्यक्ष महोदय : क्या मंगवा लेते, कैसे मंगवा लेते ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अगर देश के किसी कोने में औरतों की हत्या होती है तो यह किस की जिम्मेदारी है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव सभा पटल पर पत्रों को रखेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मेरा पत्रों को रखना तो शोरगुल में गुम हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इन्हें इनकी गोद में रख दीजिए।

———

11.06 म०पू०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बाल भवन सोसायटी आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3590/86]

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बाल भवन सोसायटी, इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण),

(दो) बाल भवन सोसायटी, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसायटी, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3591/86]

(4) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3592/86]

(5) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3593/86]

(6) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3594/86]

(7) क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3595/86]

नेशनल वाटर डिवलपमेंट एजेंसी का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल वाटर डिवलपमेंट एजेंसी के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल वाटर डिवलपमेंट एजेन्सी के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3596/86]

भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें ।

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3597/86]

वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन और सिंगरैनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 6—वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के संबंध में भारत के नियंत्रक—महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3598[86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिंगरैनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सिंगरैनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3599/86]

आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड, भारतीय तेल निगम और बीएक्को लारी लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री ब्रह्म दत्त की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कम्पनी, अर्थात् मैसर्स बालमेर लारी कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कम्पनी, अर्थात् मैसर्स बालमेर लारी कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3600/86]

(2) (एक) भारतीय तेल निगम सीमित के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय तेल निगम सीमित का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3601/86]

(3) (एक) बीएक्को लारी लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बीएक्को लारी लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3602/86]

वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक नियोजन कार्यालय) नियम 1986 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलेट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक नियोजन कार्यालय) नियम, 1986, जो 1 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा० का० नि० 955 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 3603/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिये संख्या एल० टी० 3604/86]

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 1 दिनांक 24.11.86 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : बलबीर सिंह की ओर से मैं दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों के कार्यकरण के बारे में श्री कमल चौधरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 3031 के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1986 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3605/86]

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार वनस्पति विकास निगम लि० आदि के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3606/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बिहार वनस्पति विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार फल और वनस्पति विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3607/86]

(ख) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3609/86]

(3) उपर्युक्त मद (2) के (क) भाग में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3607/86]

(4) (एक) सहकारी भंडार लिमिटेड (सुपर बाजार) दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सहकारी भंडार लिमिटेड (सुपर बाजार) दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3609/86]

(6) भारत के राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3610/86]

इन्दिरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1986 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इन्दिरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 986, जो 5 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1 52 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3611/86]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1241 (अ), जो 3 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आस्ट्रेलियाई डालरों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०3612/86]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 1986, जो 3 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 890 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3613/86]

(4) (एक) धनकर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 821 (अ), जो 31 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा (एक) इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा जारी किए गए 7-वर्षीय "1986-आईपीसीएल-14 प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बांडों" तथा (दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए 7-वर्षीय "14 प्रतिशत

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3614/86]

प्रागा टूल्स लिमिटेड और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० आदि के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : प्रो० के० के० तिवारी की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं .—

(क) (एक) प्रागा टूल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) प्रागा टूल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3615/86]

(ख) (एक) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3616/86]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3617/86]

(घ) (एक) मारुति उद्योग लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) मारुति उद्योग लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या ल० टी० 3618/86]

(ङ) (एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3619/86]

(च) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3620/86]

(छ) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3621/86]

(ज) (एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3622/86]

(झ) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3623/86]

तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर आदि के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : श्रीमती कृष्णा साही की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3624/86]

(2) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर के वर्ष 1985-8 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिल्चर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3625/86]

(3) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट, के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3626/86]

(4) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, सुरथकल के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सुरथकल के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3627/86]

(5) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3628/86]

(6) (एक) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3629/86]

(7) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली, के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3630/86]

(8) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3631/86]

(9) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3632/86]

(10) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3633/86]

(11) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3634/86]

(13) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3635/86]

इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एंड टेक्नालाजी डिवलपमेंट कारपोरेशन लि० और सेमीकण्डक्टर कम्पलेक्स लि० आदि के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) श्री के० आर० नारायणन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलजी डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टैक्नालाजी, डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक —महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3636/86]

(2) (एक) सेमी कन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेमीकण्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक —महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3637/86]

(3) (एक) सी० एम० सी० लिमिटेड का वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सी० एम० सी० लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3638/86]

समाज कल्याण बोर्ड एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1985-86 के प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3639/86]

(2) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1985-86 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 3640/86]

•इण्डियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीच्यूट, बंगलौर आदि के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उनके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री जे० बंगल राव) : श्री एम० अरुणाचलम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1985-86 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3641/86]

(2) (एक) इंडियन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टिच्यूट, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इण्डियन प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टिच्यूट, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इण्डियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टिच्यूट, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3642/86]

प्रोजेक्ट्स एण्ड एक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रोजेक्ट्स एंड एक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) प्रोजेक्ट्स एंड एक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3643/86]

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3644/86]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3645/86]

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखि पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3646/86]

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा मिश्र धातु निगम के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा ( ) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) भारत अर्थ मूवर्स के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3647/86]

(ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3648/86]

11.08 म० पू०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, 5 नवम्बर, 1986 को सभा को सूचित किये जाने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

1. बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1986
2. सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1986
3. विनियोग (रेलवे) सं० 4 विधेयक, 1986

11.0 8½ म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कन्याकुमारी और एरणाकुलम के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा पुनः प्रदान करने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : कन्याकुमारी और एरणाकुलम के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने से देश के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में आर्थिक तथा पर्यटन गतिविधियों का भारी विकास होगा। यह सुविधा कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच के क्षेत्र का जीर्णोद्धार करके तथा कुछ अड़चनों को हटा कर प्रदान की जा सकती है। पहले कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच पुरानी ए०वी०एम०नहर द्वारा नियमित जल परिवहन सुविधा थी। बाद में दरार पड़ने से नहर के कुछ हिस्से रेत और मिट्टी से बन्द हो गए हैं और कई सालों से उसको ठीक नहीं किया गया। इसलिए सही देख भाल न होने तथा उपेक्षा के कारण यह जल परिवहन सुविधा अब उपलब्ध नहीं है। यदि इन अड़चनों को हटाया जाए और जीर्णोद्धार किया जाए तो सुविधा-जनक तथा बहुत लाभदायक अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद त्रिवेन्द्रम और क्वीलोन के बीच जीर्णोद्धार करके कन्याकुमारी से एरणाकुलम तक जल परिवहन सुविधा प्रदान की जा सकती है। इससे न केवल व्यापार और पर्यटन में भारी वृद्धि होगी बल्कि इससे सस्ती और लोकप्रिय परिवहन सुविधा भी लोगों को प्राप्त होगी। अतः सरकार को कन्याकुमारी तथा एर्णाकुलम के बीच नियमित अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच को जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय प्रस्तुत कर रहा हूं।

"उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी से जिला मुख्यालय बहराइच तक जाने के लिए कोई भी सीधी रेल सेवा नहीं है, जबकि यह दोनों जिले आपस में मिले हुए हैं। जिला मुख्यालय बहराइच जाने के लिए पहले बाराबंकी के यात्रियों को जिला गोण्डा जाना पड़ता है तब वहां से रेल द्वारा बहराइच जाते हैं जिससे यात्रियों को किराया दुगना चुकाना पड़ता है तथा समय भी बर्बाद होता है। हमारी सरकार से मांग है कि बाराबंकी मुख्यालय से बहराइच मुख्यालय को रेल से जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाई जाए जिससे यात्रियों को परेशान न होना पड़े। बहराइच जिला भारत व नेपाल को आपस में जोड़ता है। इस नई रेल लाइन बन जाने से भारत और नेपाल द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्यात-आयात में वृद्धि होगी तथा लोग खुशहाल होंगे।"

(तीन) बिहार से चीन की सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय प्रस्तुत कर रही हूं :—

"बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो बहुत सालों से चीन तक जोड़ने का रास्ता रहा है आज तक वह कभी ठीक हालत में नहीं हो सका है। वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि ठीक हो रहा है, काम लगा हुआ है। पता नहीं किस तरह इसका इंतजाम हो रहा है यह बात समझ में लोगों को नहीं आती है ? जबकि दुनिया में समुद्र के नीचे-नीचे जाने का भी प्रबन्ध लोग जल्द से जल्द कर देते हैं, पर यहां गंगा के किनारे होने की वजह देते हुए यह कहा जाता है कि इसके बनाने में कठिनाई हो रही है। उधर के आने-जाने वाले लोग ही जानते हैं कि उनकी दशा क्या होती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग भूटान को जाता है। अतः सामयिक महत्व का भी है।

अतः मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से जांच करवा लें और बिहार सरकार से सम्पर्क करके उसे जल्द से जल्द ठीक हालत में करवा दें जिससे जनता की ये कठिनाइयां दूर हो सकें।"

[अनुवाद]

(चार) दतिया नगर के लिए जलपूर्ति के सुनिश्चित हेतु लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण सिंह (भिंड) : महोदय, मैं दतिया नगर में जल अपूर्ति प्रणाली को बढ़ाने की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस समय राम सागर से दतिया नगर को जल आपूर्ति की जाती है परन्तु यह प्रणाली बहुत अपर्याप्त है और वर्ष 1985 तथा 1986 में सूखा पड़ने के कारण दतिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार ने भी सभी स्तरों पर दतिया को जल आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत को माना है।

इसके लिए राजघाट परियोजना पर निर्भरता रखी गई है परन्तु इस परियोजना की मंद और धीमी प्रगति को देखते हुए आने वाले समय में दतिया नगर के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने की सम्भावना नहीं है। यह परियोजना अन्तर्राज्यीय विवादों में फंसी हुई है और इसकी लागत कई गुना बढ़ रही है।

इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि दतिया व उनके आसपास के क्षेत्रों को सिन्ध नदी से लिफ्ट इरिगेशन द्वारा जल आपूर्ति बढ़ाई जाए। यह योजना काफी सस्ती व लाभदायक है और राज्य सरकार को स्वयं इस योजना के लिए पैसा देना है। इसलिए इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूं कि इस योजना के लिए सर्वे का काम जिसके आदेश पहिले वर्ष हो चुके हैं अभी शुरू होना है।

मुझे बहुत खुशी होगी यदि केन्द्र सरकार इस परियोजना के लिए उदारता से सहायता दे ताकि इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए लिफ्ट परियोजना जल्दी लागू की जा सके।

[हिन्दी]

(पांच) देश में वनों के संरक्षण के लिए लेंटिना झाड़ियों को नष्ट करने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री एम०एल० भिकराम (मांडला) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय सदन के समक्ष रख रहा हूं :—

"देश में अवैध कटाई के कारण जंगलों का प्रतिशत दिनोंदिन घटता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण वनों की अवैध कटाई तो है ही साथ कारण वनों में लेंटिना की झाड़ी का अबाध गति से फैलाव भी है। देश के समस्त जंगलों में इसका इतना अधिक विस्तार दिनोंदिन होता जा रहा है, जिससे वन के शेष वृक्ष भी इसके प्रभाव से नष्ट होते जा रहे हैं। अतः वनों के विनाश हेतु लेंटिना झाड़ी का विकास करना अत्यावश्यक है। जंगलों केसाथ-साथ वृक्ष-विहीन पहाड़ियों और मैदानों में भी इस झाड़ी ने कब्जा कर लिया है। जहां देखें वहां इस झाड़ी का फैलाव है। इसने वृक्षों का सारा विकास अवरुद्ध कर दिया है। अब यदि पर्यावरण एवं अन्य सुविधाओं की ओर ध्यान देना है, तो प्रथम, युद्ध स्तर पर इस लेंटिना झाड़ी को नष्ट करना होगा।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र शासन इस विनाशकारी लेंटिना झाड़ी को नष्ट करने हेतु अति-शीघ्र कदम उठाए, ताकि विनाश होते हुए जंगलों की रक्षा समय रहते की जा सके।"

[अनुवाद]

(छह) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक और उन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली औषधियों की मात्रा में भी वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना, (बालासोर) : ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक हमारे देश में सबसे पहले स्तर पर दूर-दराज के ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है किंतु उसे मासिक वेतन बहुत ही कम दिया जाता है। यही लोग दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा व अन्य उपचार प्रदान करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इन कर्मचारियों को हर महीने नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता और कभी-कभी तो 7-8 महीनों बाद में दिया जाता है जिससे उन्हें बहुत कठिनाई व असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त 1977 में लिए गए निर्णय के अनुसार उन्हें केवल पचास रुपये की दवाईयां प्रति महीने दी जाती हैं। दवाईयों की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी यह राशि बढ़ाई नहीं गई और जिसके कारण दवाईयों की बहुत कमी होती है। यहां तक की यह दवाईयां भी इन्हें नियमित रूप से नहीं भेजी जाती है।

मैं माननीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अतिशीघ्र ऐसे कदम उठाए जिससे दवाईयों की नियमित आपूर्ति तथा कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिलाने की निश्चित व्यवस्था हो सके। दवाईयों के लिये तय राशि का बढ़ाकर 100 रु० कर दिया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों के मासिक वेतन में भी वृद्धि की जाए।

(सात) सिंदरी उर्वरक संयन्त्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सिंदरी उर्वरक संयंत्र एक प्रमुख आरम्भिक संयंत्र समझा जाता है और उसका उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह संयंत्र प्रगति के मार्ग पर बड़ा कदम है तथा आधुनिक भारत का पहला मंदिर है। इस संयंत्र में अपनाई गई तकनीक तथा मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं और इससे इस संयंत्र के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। कुछ वर्ष पहले सरकार ने पाइराइट पर आधारित उर्वरक उत्पादन को बन्द करने का निर्णय लिया था क्योंकि यह बहुत मंहगा पड़ता है। सरकार ने श्री पन्त पोधान की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति सिंदरी संयंत्र व उसकी मशीनरी का अध्ययन करने तथा उनके कारगर उपयोग तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सही इस्तेमाल के तरीके सुझाने के लिए नियुक्ति की थी। समिति ने इस संबंध में कई सुझाव भी दिए हैं। सरकार इन संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए दिए गए सुझावों को न मानकर इसे बन्द करने तथा हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय ले चुकी है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा कदम न उठाकर इस पुराने संयंत्र का आधुनिकीकरण करें जैसाकि बहुत सारी समितियों ने सुझाया है। अगर इस संयंत्र में उचित धनराशि लगाई जाए तो यह लाभप्रद बन सकता है।

(आठ) भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की फसल के युक्तिसंगत वसूली मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : पटसन की खेती के लिए क्षेत्रफल घटने के बावजूद भी सभी राज्यों के पटसन उत्पादकों को हताश बिक्री की बड़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अन्य स्थानों की तरह बिहार के पूरनिया जिले में भी सितम्बर 1986 तक जे०सी० आई० केन्द्र चालू नहीं हुए थे जबकि पटसन जुलाई के शुरू में ही मार्केट में आनी शुरू हो गई थी। और जब जे० सी० आई० ने काम शुरू किया तो बहुत ही कम केन्द्र खोले गए और यहां तक कि सब ब्लाकों में एक एक केन्द्र भी नहीं खोला गया। जो केन्द्र बनाए गए थे वह भी बिना सोचे समझे गलत जगहों पर बनाए गए थे तथा वह पूरे हफ्ते काम नहीं करते थे। संक्षिप्त में यह है कि हमारे प्रधान मंत्री ने पटसन उत्पादकों से सारा कच्चा पटसन उचित दाम पर खरीदने का जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करने के लिए जे० सी० आई० अपने आपको संगठित नहीं कर पाई है।

इस आश्वासन को जे० सी० आई० तभी पूरा कर सकता है, जब प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक खरीद केन्द्र खोला जाए जो या तो ब्लाक के मुख्यालय या ब्लाक में स्थित पुराने हाट में जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाने चाहिए। इन केन्द्रों में पूरा सप्ताह काम होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त समय में भी काम करना चाहिए ताकि हर पटसन उत्पादक का कच्चा पटसन उसी दिन दोपहर तक खरीद लिया जा सके। इस काम के लिए अपेक्षित कर्मचारी अवसंरचना, आवागमन के साधनों तथा गोदामों के लिए अभी से योजना बनाई जानी चाहिए और इन सबके लिए जरूरी यह है कि प्रत्येक केन्द्र पर जुलाई के पहले सप्ताह में खरीद के लिए पैसे का इन्तजाम होना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह जे०सी० आई० के लिए पटसन खरीद का लक्ष्य निरधारित करे कि कम से कम 90 प्रतिशत पटसन निर्धारित खरीद मूल्य पर खरीदे। खरीद मूल्य निर्धारित करते समय जमीन की बढ़ती कीमत, कृषि निवेश की बढ़ती कीमत और कृषि मजदूरों का कम से कम वेतन ही न देखा जाए बल्कि प्रोत्साहन और प्रतिष्ठित जीवन के लिए उत्पादकों को कम से कम लाभ भी दिया जाना चाहिए। इस वर्ष अगर सरकार हर ब्लाक में भण्डारण का जायजा ले तो पता चलेगा कि जे० सी० आई० तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं ने कुल पटसन उत्पादन का 50 प्रतिशत पटसन भी नहीं खरीदा। इस तरह पटसन उत्पादकों को दिया गया आश्वासन केवल कोरा कागज बनकर रह गया। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

(नौ) कानपुर नगर के निवासियों को और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर महानगर उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा औद्योगिक महानगर है; जहां से रोजाना हजारों यात्री रेल द्वारा आस-पास के छोटे कस्बों के अतिरिक्त बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, बम्बई व हावड़ा दैनिक यात्रा करते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न यातायात की सुविधायें जो यात्रियों को प्राप्त हो रही है वे अपर्याप्त है तथा सेंट्रल रेलवे स्टेशन में भी समस्त कार्यालयों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। प्लेटफार्म की भी कमी है। इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव हैं :—

1. यदि कानपुर से नई दिल्ली कोई ट्रेन चलाना निकट भविष्य में संभव नहीं है तो वर्तमान 11 अप तथा 12 डाउन ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल स्टेशन में समाप्त करके उन्हें दिल्ली तथा हावड़ा के लिए चलाया जाये।

2. गंगा-यमुना एक्सप्रेस ट्रेन में कानपुर से जो द्वितीय श्रेणी का जनरल डिब्बा लगता है, उसके स्थान पर थ्री टायर शयनयान लगाने की व्यवस्था की जाए।

3. कानपुर से बम्बई व हावड़ा के लिए बाई-वीकली ट्रेन चलाई जाये।

4. उत्तर रेलवे स्थित ऊरा स्टेशन जो बहुत बड़ी आबादी वाला कस्बा है और दो तहसीलों का सेंटर है, वहां पर टाटा एक्सप्रेस को अविलम्ब रोकने की व्यवस्था की जाए।

5. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्थित दो छोटी रेलवे लाइने हटाकर वहां एक नया प्लेटफार्म बनाया जाये।

6. सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में रेलवे यात्रियों के आने जाने का जो नीचे का सब-वे है उसे बढ़ाकर प्लेटफार्म के बाहर खोला जाये ताकि रेलवे यात्री सुविधा-पूर्वक बाहर आ-जा सकें।

7. पुरानी रेलवे स्टेशन भवन का भी कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसमें क्षेत्रीय स्टेशन अधीक्षक कार्यालय तथा अन्य कार्यालय सेंट्रल स्टेशन से हटाकर पुरानी रेलवे स्टेशन के भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाये।

8. गोविन्दपुरी स्टेशन पर जहां लगभग महत्वपूर्ण ट्रेनें खड़ी होती हैं, उसका अविलम्ब विकास किया जाए ताकि रेलवे यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिल सके।

(दस) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण जिन लोगों की फसलें और सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल तथा घग्घर बाढ़ कंट्रोल के फर्स्ट हैड मस्तिवाली से प्रारम्भ होकर सूरतगढ़ हैड तक के क्षेत्र में नहरों के पानी के वाटर लौगिंग के कारण भूमि की सतह पर निरन्तर पानी भरा हुआ है। यह वाटर लौगिंग पिछले दो-तीन वर्ष से निरन्तर है। इस वाटर लौगिंग के कारण इस क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी में पानी भरा रहता है जिसके कारण रिहायशी मकान गिर गये हैं तथा वाटर लौगिंग के कारण कृषि-भूमि में फसलें बोई नहीं जा सकती हैं और कृषि फसलें बोई जाने योग्य नहीं रहती हैं। इसप्रकार उस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन कृषि पैदावार बिल्कुल समाप्त हो गया है। जो पानी जमीन के ऊपर आ गया है, उसे निकालने हेतु नाला बनाकर नीची जगह पानी को प्रवाह किया जाये। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करवा के इसमें अधिकतम ट्यूबवैल अथवा बोरिंग व्यवस्था लगाने की योजना बनाये एवं उस पूरे क्षेत्र को राईस एरिया कर दिया जाये।

सरकार ने इस ओर अगर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान नहीं दिया तो यह सोना उगलने वाली भूमि ऊसर बन जायेगी। मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त आबाद जिन लोगों के मकानात वाटर लौगिंग के कारण गिर गये तथा समाप्त हो गये हैं, उन्हें आर्थिक-सहायता स्वरूप रिहैब्लीटेशन ग्रांट तथा मुआवजा राशि दी जाये तथा जिन लोगो की कृषि भूमि खेती के अयोग्य हो गई है, उनकी भूमि को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जाये तथा उनसे विभिन्न प्रकार के ऋण एवं सरकारी एवं बैंकों द्वारा दी जाने वाली धनराशि की वसूलियों पर रोक लगाई जाये।

(ग्यारह) पंजाब से अन्य राज्यों को कृषि उत्पादों की समय से ढुलाई के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्रदेश देश के केन्द्रीय अन्न भंडारण में अन्न की आपूर्ति करने वाले देश के अन्य प्रदेशों में अग्रणीय है। पंजाब का कृषक कड़ी मेहनत और नई सूझबूझ के साथ खेतों में अपना पसीना बहाकर अन्न पैदा करके देश की आर्थिक स्थिति को उबारने में लगा है, उसे सरकार संस्थान निरर्थक एवं अप्रभावी करने में अग्रसर हो रहे हैं।

पंजाब प्रदेश के भंडारण में दिनांक 1.10.1985 को 53 लाख टन अनाज था जिसका मूल्य 900 करोड़ है। भारतीय खाद्य निगम ने अनेकों बार वचन दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर पंजाब प्रदेश से अन्य प्रदेशों को खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था की जायेगी, किन्तु खेद है कि राज्य सरकार द्वारा अनेकों बार भारतीय खाद्य निगम को इस सम्बन्ध में स्मरण कराने के बावजूद इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

रेल मार्ग द्वारा खाद्यान्न भेजने की वर्तमान व्यवस्था अत्यन्त ही सुस्त एवं धीमी है। इस व्यवस्था के भरोसे खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान समस्या का समाधान सम्भव नहीं प्रतीत होता। मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों को खाद्यान्न भेजने की तुरन्त व्यवस्था है, वही व्यवस्था पंजाब में लागू की जाये जिससे पंजाब में अधिक देर तक अनाज

के भंडारण करने से होने वाली हानि से प्रदेश की सरकार, और अन्ततोगत्वा किसान को बचाया जा सके।

(बारह) हिन्दी विरोधी आन्दोलनकर्ताओं का संविधान का उल्लंघन करने से रोकने की आवश्यकता

श्री राज कुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी थोपने के तथाकथित विरोध में द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के अध्यक्ष एवं लगभग पन्द्रह हजार लोग भारतीय संविधान की प्रतियां जलाकर गिरफ्तारी देंगे, ऐसा समाचार आया है। यह आन्दोलन 17 नवम्बर, से 17 दिसम्बर, 1986 तक चलने की सभावना है।

आजादी मिलने के बाद देश के तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने यह निर्णय लिया था कि हिन्दी को राष्ट्रभासा बनाया जाये। परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई कि जब तक देश भर में हिन्दी अपना नहीं ली जाएगी, इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जायेगा। सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन देने के बावजूद भी राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार ने अपने विभागों और कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए संसदीय राजभाषा समिति बनाई हुई है। अनुनय विनय के माध्यम से ही हिन्दी का क्रमिक प्रचार प्रसार हो रहा है। कहीं भी, हिन्दी थोपी नहीं गई है। इस सबके होते हुए भी इस प्रकार का अप्रिय प्रचार और विरोध निश्चित ही संविधान विरोधी है। सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए और संविधान की हर कीमत पर रक्षा की जाये और इजाजत दी जाये।

[अनुवाद]

(तेरह) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जांच करने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय लगातार अशांत रहता है और इसी कारण उप कुलपति ने मध्य अगस्त में इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। 24 नवम्बर, 1986 को यह पुन: खोल दिया गया था। इसी दौरान उपकुलपति ने छात्र संघ को निलंबित कर दिया तथा 22 कर्मचारी नेताओं को नोटिस जारी किए और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

विश्वविद्यालय के खुलने के तीन दिन बाद ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने स्वयं जिला प्रशासन को विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू करने का अनुरोध किया जबकि छात्र शांतिपूर्वक अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। धारा 144 लागू होते ही 2 दिसम्बर को पुलिस पुन: विश्वविद्यालय परिसर में आ गई। छात्रावासों की तलाशी ली गई तथा छात्रों को पीटा गया।

पूरा वाराणसी शहर अशांत है। वास्तव में हाल ही में कुछ समय से विश्वविद्यालय में सदैव किसी न किसी रूप में असंतोष व्याप्त है। विश्वविद्यालय का बजट करीब 70 करोड़ रुपए का है परन्तु यह पिछले छह महीनों से बन्द पड़ी है। करीब 40 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अगर स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यह सारा साल ही बन्द रहेगी।

मैंने सोचा कि शायद आपने मंत्री महोदय को यहां आने के लिए कहा होगा ··· (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आपने इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का मामला नियम 377 के अधीन उठाने की अनुमति दे दी है परन्तु कलकत्ता विश्वविद्यालय का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी।··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कहोगे तो अगले सैशन में वालों यूनिवर्सिटी पर डिस्कशन करवा देंगे।

[हिन्दी]

(चौदह) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खानों में कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, पन्ना जिले में प्रसिद्ध हीरे की खदानें मौजूद हैं। कुछ खदानें किन्हीं कारणवश बन्द कर दी गई हैं निम्नलिखित खदानें पुनः चालू कराई जावें; हरराई चौकी, मलहैन का रेहा, बड़ा घाट, मांझानाला, अरसयाना, मनोर सकरिया, गुहहा, जिससे वहां के मजदूरों को मजदूरी मिल सके और हीरा का उत्खनन हो सके। साथ ही वहां मजदूरों की सुविधा के लिए आवासीय प्लाट दिया जावे।

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में प्रस्तावित हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थापित करने के लिये तत्काल उपाय करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तरप्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कटारमल नामक स्थान पर हिमालयन पर्यावरण संस्थान की स्थापना की स्वीकृति सन् 1982 में भारत सरकार द्वारा दी गई। इस हेतु राज्य सरकार 500 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करवा चुकी है तथा इस स्थान का निरीक्षण तत्कालीन पर्यावरण एवं वन उपमंत्री, सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा भी किया गया तथा स्थान की उपयुक्तता पर संतोष प्रकट किया गया।

पिछले वर्ष इस संस्थान के शिलान्यास हेतु प्रधान मंत्री जी ने कृपा कर स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी परन्तु अन्तिम समय में कतिपय अपरिहार्य कारणों से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।

इस वर्ष भी इस संस्थान हेतु मन्त्रालय द्वारा नाममात्र की धनराशि निर्धारित की गई है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में असंतोष व्याप्त है।

अतः स्थानीय लोगों व देश के व्यापक हित में इस संस्थान की शीघ्र स्थापना आवश्यक है। इस क्रम में पर्यावरण मंत्रालय को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

(सोलह) हमारे सामाजिक जीवन से सभी प्रकार का शोषण दूर करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद भी हमारा समाज शोषण और दमन की नीति पर टिका हुआ है। गांवों के गरीब लोग आज भी इस अनीति के शिकार हैं। गांव का बेईमान पटवारी, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, चालाक बनिया व क्रूर प्रवृत्ति के कुछ सामन्ती तत्वों ने गरीब और बेसहारा लोगों को अपने शोषण का शिकार बनाया हुआ है।

जमीन बंटाई पर दी जाती है। आधे से अधिक उपज का हिस्सा खेत का मालिक ले लेता है। मेहनत करने वाला गरीब किसान उसका आधा हिस्सा भी घर पर नहीं ले जा पाता।

पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी, वकील अपने मुवक्किल का शोषण करते हैं। घर का मालिक अपने घरेलू नौकर का, दुकान का सेठ अपने मुनीम का और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पति अपनी पत्नी का शोषण करता है। होटलों व कारखानों में एवं छोटे-मोटे धन्धों में असहाय बच्चों का शोषण होता है। आज भी बच्चे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर, फुटपाथों पर, गंदी गलियों में, व कड़ी धूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं। साधुओं के वस्त्र पहनकर कई लुटेरे शोषण करते हैं। देश सेवकों की आड़ में कई लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए भांति-भांति के प्रलोभन दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।

इस तरह से भारत में जो शोषण विभिन्न वर्गों द्वारा किया जा रहा है। उसको सरकार कानून बनाकर भी समाप्त नहीं कर पाई है। सरकार ने मजदूरों व खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक दिलाने में सफलता प्राप्त नहीं की है। इस शोषण से पीड़ित समाज को शीघ्र ही मुक्त किया जाना चाहिए। जब तक यह समाज शोषण से मुक्त नहीं होगा तब तक जो लोग अपने खून और पसीने को बहाकर रोटी कमाते हैं, वे अपनी सही मजदूरी भी प्राप्त नहीं कर पायेंगे और वे सदैव उन क्रूर प्रवृत्ति वाले ठेकेदारों/मालदारों के शिकार होते रहेंगे।

इसलिए यदि देश में समाजवाद को लाना है, शोषण को मिटाना है तो हमें इस शोषण और दमन की नीति को कड़े कानूनों को लागू करके समाप्त करना होगा ताकि जो लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत कर गुजारा करते हैं, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिल सके।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष जी, डागा जी ने शोषण पर अच्छा काम किया है, इनको पी० एच० डी० दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या दिलवा दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : पी० एच० डी०।

अध्यक्ष महोदय : पी० एच० डी० या घर वालों से छुटकारा दिलवा दें।

11.37 म० पू०

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
बाट और माप मानक (संशोधन) विधेयक
बाट और माप मानक (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक
आवश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक
और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदन कार्य सूची में क्रम संख्या 21 से 28 तक दर्शाये गए सभी

विधेयकों पर विचार आरम्भ करेगा तथा इन सभी के लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है। अब मंत्री महोदय क्रमांक 21 से 28 तक एक-एक करके सभी विधेयकों के विचार के लिए प्रस्ताव रखेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ये सभी महत्वपूर्ण विधेयक हैं हम इन सब पर एक साथ बहस कैसे कर सकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे बहस के लिए एक-एक करके लिए जाएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा कि सभी पर एक साथ बहस-होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपने वाक्य का आखिरी हिस्सा नहीं सुना जिसमें कहा गया है कि एक-एक करके क्रम से लिए जाएंगे। कृपया ध्यान से सुनिये फिर बोलिए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : हम माननीय मन्त्रियों को बधाई देना चाहते है क्योंकि इन विधेयकों से उपभोक्ताओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में उपभोक्ता संरक्षण का विषय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब एक प्रकार से उपभोक्ता हैं। यद्यपि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने हमारे सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में प्रत्यक्ष परिवर्तन लाए हैं तथापि बाजार तंत्र पर उपभोक्ताओं का नियंत्रण धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। उनकी चीजों की पसंद तथा अच्छी सेवा का अधिकार व्यापार में हो रही अनुचित धोखाधड़ी तथा एकाधिकार के कारण काफी समाप्त हो चुका है।

यद्यपि आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बाट और माप मानक अधिनियम, एम०आर०टी०पी० अधिनियम, आदि कई कानून उपभोक्ता संरक्षण के लिए है लेकिन फिर भी ये कारगर उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा नहीं दे पाए हैं। ये कानून या तो निवारक या दंडात्मक हैं और पीड़ित उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत तथा मुआवजा प्रदान नहीं करते। इनमें लम्बी तथा जटिल प्रक्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त अभी तक ऐसी कोई सांविधिक मशीनरी नहीं है जो सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए एक सांझा मंच प्रदान कर सके तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को उसकी नीतियों तथा उपायों पर सलाह दे सके।

उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि मजबूत उपभोक्ता आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निचले स्तर पर कारगर ढंग से चलाया जाना चाहिए और व्यापार तथा उद्योगों को भी इसमें पर्याप्त समर्थन तथा सहयोग करना चाहिए।

हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में उपभोक्ता आंदोलन के विकास कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है। उपभोक्ताओं के हितों को भी नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हम देश में बड़े पैमाने पर तथा कारगर उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्वयंसेवी संगठनों, व्यापार तथा उद्योग, प्रमुख नागरिकों, युव०ओ० तथा महिलाओं की सहायता

तथा सहयोग से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए उपभोक्ताओं की शिक्षा तथा जन-संपर्क माध्यम विशेषकर रेडियो तथा टेलीविजन इत्यादि बहुत सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन किये जा रहे हैं जो पीड़ित उपभोक्ताओं या उपभोक्ता संगठनों को जो कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो न्यायालय में शिकायत दायर करने का विशेष अधिकार दिलाएगा। अभी तक ऐसी शिकायतें केवल सरकारी कर्मचारी ही दायर कर सकते थे। वर्तमान अवसंरचना के सुधार के अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि इस सम्बन्ध में अलग से एक विस्तृत उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया जाए जो उपभोक्ताओं को तेजी से तथा बिना खर्च के राहत या मुआवजा दिला सके। इसको ज्यादा कारगर बनाने के लिए यह भी महसूस किया गया कि उपभोक्ताओं की पहुंच के अन्दर ही शिकायतें दूर करने वाली मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए। इस विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित लोगों की राय लेना जरूरी समझा गया। इसलिए जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार तथा इस क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख लोगों के जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन पर बहुत सारी अन्तर-मंत्रालय बैठकों में विचार किया गया। इसके साथ ही अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के इस सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों तथा वर्तमान व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया गया। अच्छी विशेषताओं को अपनाने तथा अपने सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए विचार किया गया।

बहुत सारे मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 जिसमें शिकायतों को दूर करने के उपायों आदि को शामिल किया गया है, सदन में विचार के लिए पुरःस्थापित किया गया है। यह विधेयक देश के सामाजिक तथा आर्थिक विधानों के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। यह विस्तृत विधेयक उपभोक्ता संरक्षण के सम्बन्ध में बने अन्य कानूनों की जगह नहीं लाया गया है बल्कि यह उन सबके अतिरिक्त है। इस विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों को शामिल किया गया है जिनको केन्द्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बढ़ावा देंगी तथा उनकी सुरक्षा करेंगी और केन्द्र, राज्यों व जिला स्तरों पर शिकायतें दूर करने के लिए मशीनरी होगी। विधेयक में उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के कारगर उपाय सुझाए गए हैं परन्तु इसकी सफलता केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इसके प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू करने पर निर्भर करती है। इससे भी ज्यादा, मुझे यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस विधेयक की सफलता निचले स्तर पर मजबूत स्वयंसेवी उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ाने पर निर्भर करती है।

इसके साथ ही मैं व्यापार तथा उद्योग में लगे भाईयों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ही संगठनों के अन्दर शिकायतें दूर करने के लिए सेल बनाएं जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतें कम हों तथा उनकी अपनी छवि भी बढ़े। व्यापार और उद्योग क्षेत्र को न केवल ईमानदारी व्यावसायिक आचरण के लिए ही आचार संहिता बनानी चाहिए बल्कि उसे पूरी तरह से लागू करना चाहिए।

अब मैं संक्षेप में इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं को बताता हूं :—

(एक) उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए विधेयक में हर जिले में 'कन्जयूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोर्म', राज्य स्तर पर आयोग तथा केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग गठन करने का प्रावधान है। जिला स्तर की फोर्म को एक लाख रुपये तक की शिकायतों को निपटाने का मूल अधिकार होगा। राज्य आयोग को दस लाख रुपये तक के दावों को निपटाने का मूल अधिकार होगा। राष्ट्रीय आयोग दस लाख रुपये से ऊपर के किसी भी दावे पर सुनवाई कर सकेगी। राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग के पास उपयुक्त अपीलीय व पुनरीक्षण की शक्तियां होंगी।

(दो) स्वयंसेवी उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ताओं को उससे जोड़ने के लिए इस विधेयक में केन्द्र तथा राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित करने का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारी दोनों ही इन परिषदों के सदस्य होंगे। इन परिषदों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें बढ़ावा देना होगा।

(तीन) यह कानून सभी वस्तुओं अथवा वर्गों अथवा सभी सेवाओं या सेवाओं के वर्गों पर लागू होगा सिवाए उनके जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से अधिसूचना द्वारा इससे छूट दी है।

(चार) इस अधिनियम के प्रावधान वर्तमान अन्य कानूनों को समाप्त नहीं करेंगे बल्कि यह उनके अलावा है।

(पांच) इसमें सभी जरूरी दण्ड तथा सजा देने के प्रावधान शामिल किए गये हैं ताकि प्रस्तावित विधान उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कारगर सिद्ध हो सके।

(छह) उपभोक्ता या कोई संगठन जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या कोई कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो या केन्द्र या राज्य सरकारें अपनी शिकायतें दायर कर सकती हैं।

(सात) व्यापार में कोई अनुचित व्यापार व्यवहार जिससे कोई हानि या नुकसान होता हो, घटिया वस्तुओं, सेवाओं में कमी, किसी कानून के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य या वस्तुओं/पैकटों पर दर्शाई गई कीमत से ज्यादा वसूल करना इन सबकी शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं।

(आठ) माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि पीड़ित उपभोक्ताओं को कम खर्चीली तथा जल्दी शिकायतें दूर करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण साबित होगा तथा देश में बड़े पैमाने पर मजबूत स्वयंसेवी उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सामाजिक और आर्थिक महत्व के कानून का इस सदन के माननीय सदस्य स्वागत करेंगे।

इस बारे में मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा अर्थात् वह यह है कि प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता होने के साथ-साथ एक उत्पादक, एक व्यापारी और एक उद्योगपति भी है। यह विधेयक सबके हित में है और किसी के भी विरुद्ध नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं मंत्रिमंडल का एक सदस्य हूं मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को उद्धृत किया था कि वह किस प्रकार भारत के करोड़ों व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की सुरक्षा प्रदान करने के लिए

उत्सुक हैं और वह इसके लिए बराबर जोर देते रहे हैं और इसके लिए कहते रहे हैं उनके पद पर आनेके बाद इतने थोड़े से समय में शायद उनके बिना इस प्रकार का प्रगतिशील विधेयक नहीं आ पाता। इसलिए उन्होंने इस संबंध में जो रुचि ली है उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिये और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपबन्ध करने के लिये और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : विचार प्रस्ताव में संशोधन के लिए मुझे चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं उन सदस्यों से पता करूंगा कि क्या वे इस बारे में जोर देंगे। श्री दिनेश गोस्वामी अनुपस्थित हैं श्री माधव रेड्डी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचंद डागा। क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा (चाली) : जी हां, श्रीमान, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपबन्ध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाला विधेयक दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 29 सदस्य हों, इस सभा से 19 सदस्य, अर्थात् :

(1) श्री एच० के० एल० भगत
(2) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी
(3) श्री प्रकाश चन्द्र
(4) श्री सोमनाथ चटर्जी
(5) प्रो० मधु दण्डवते
(6) श्री दिनेश गोस्वामी
(7) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(8) श्री वृद्धि चन्द्र जैन
(9) श्री धर्मपाल सिंह मलिक
(10) श्री शान्ताराम नायक
(11) श्री के० एस० राव
(12) श्री सी० जंगा रेड्डी
(13) श्री चिरंजी लाल शर्मा
(14) श्री सलीम आई० शेरवानी
(15) प्रो० सैफुद्दीन सोज
(16) श्री साइमन तिग्गा
(17) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(18) श्री गिरधारी लाल व्यास

(19) श्री मूलचन्द डागा

और राज्य सभा से दस सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।" (3)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामबहादुर सिंह, आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिये उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को 8 सदस्यों अर्थात् :—

(1) श्री बसुदेव आचार्य

(2) श्री एच० के० एल० भगत

(3) श्री दिनेश गोस्वामी

(4) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(5) श्री सी० माधव रेड्डी

(6) श्री जी० जी० स्वैल

(7) श्री जैनुल बशर; और

(8) श्री राम बहादुर सिंह

की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे 29 अप्रैल, 1987 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये। (29)

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत, अब आप कृपया अगले विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाट और माप मानक अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस समय मैंने कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं वाद-विवाद का उत्तर अन्त में दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत जी, अगला विधेयक।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत, कृपया अगला विधेयक बोलें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक कुमारी सरोज खापर्डे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, औषधि और प्रसाधनों के आयात, निर्माण वितरण एवं बिक्री आदि को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से सन 1940 में अधिनियमित किया गया था। नकली दवाइयों की वृद्धि को रोकने के लिए इस अधिनियम को सन् 1982 में संशोधित किया गया ताकि इस प्रकार की नकली दवाइयों की रोकथाम करने के लिए अधिक प्रभावी उपाय किए जा सकें।

श्रीमान वर्तमान रूप में अधिनियम और नियमों में औषधियों की गुणवत्ता के साथ-साथ उनके निर्माण, बिक्री वितरण एवं आयात के बारे में शर्तें निर्धारित की गई हैं, लाइसेंसिंग तथा निरीक्षण प्राधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करने चाहिएं। संशोधित विधेयक किसी व्यक्ति या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता को ये अधिकार प्रदान करता है कि वे ऐसी वस्तु के निर्माता या विक्रेता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं जिसके प्रयोग से उनकी हानि हुई हो। वर्तमान कानून का यह उद्देश्य है कि वह देश के उपभोक्ता संघों को बैंच औषधि ममूने प्राप्त करने तथा उन्हें परीक्षण हेतु भेजने की शक्ति प्रदान कर सके। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर या फिर औषधि के प्रयोग से अगर उपभोक्ता को कोई हानि हुई हो वह स्वयं या किसी उपभोक्ता संघ के माध्यम से मुकदमा चला सकें। सदन इस संबंध में अवश्य सहमत होगा कि औषधि नियत्रक उपाय जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है इसलिए यह आवश्यक है कि जनता को भी मुकदमा चलाने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके।

इस अधिनियम की दो धाराओं को संशोधित किया जा रहा है। पहले इस अधिनियम की धारा 26 जो किसी औषधि के खरीददार को औषधि को सरकारी विश्लेषक के पास परीक्षण करवाने हेतु भेजने की शक्ति प्रदान करती है, को विस्तृत किया जा रहा है ताकि किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ को भी यह शक्ति प्राप्त हो जाये। दूसरे इस अधिनियम की धारा 32 को संशोधित किया जा रहा है। यह धारा अब तक औषधि निरीक्षक को ही मुकदमा चलाने का अधिकार देती थी लेकिन इस धारा में संशोधन के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हानि हुई हो या किसी भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ को मुकद्दमा चला सकने का अधिकार मिल जायेगा।

अनुभव से पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से हिचकिचाता है क्योंकि एक तो इसमें समय बहुत लगता है और दूसरे इसमें बहुत सी कानूनी जटिलतायें सम्बद्ध हैं ।

सदन इस बारे में सहमत होगा कि देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये शक्तियां बहुत आवश्यक हैं ताकि जहां पर राज्य औषधि नियंत्रक प्राधिकारी वो इन प्रावधानों को लागू करते हैं अगर एक दोषी औषध निर्माता या विक्रेता पर मुकद्दमा चलाने की कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह कार्यवाही उपभोक्ता जिसकी हानि हुई हो या फिर उपभोक्ता संघ द्वारा की जा सके, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यवाही से हम निर्माता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण विनियमों का कड़ाई से पालन और विक्रेता द्वारा औषधि बिक्री में आचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी ।

चूंकि यह उपाय जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उपभोक्ता आंदोलन की सहायता के लिए हैं इसलिए मैं सदन से यह सिफारिश करूंगी कि वह विधेयक में दिए गए इन नए उपायों को स्वीकार करे ।

मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्रीमान यह एक अन्य उपभोक्ता सुरक्षा कानून है जो खाद्य सामग्री में अपमिश्रण को रोकने केलिए तैयार किया गया है । सदन इस बात से भली भांति अवगत है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम को 1954 में अधिनियमित किया गया था, बाद के वर्षों में इस अधिनियम को 1964, 1971 और फिर 1976 में संशोधित किया गया है ताकि दोषी व्यक्तियों को कड़े दंड का प्रावधान शामिल किया जा सके तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई कमियों को दूर किया जा सके ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित करते हैं, ये नियम लेबल करने के प्रावधानों को विस्तार से बताते हैं ताकि उपभोक्ता जिन उत्पादों को खरीदे उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके इस प्रकार इस अधिनियम का मूल ढांचा उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने से प्रेरित है ।

भोजन प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकता है, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भोजन की गुणवत्ता मानव जीवन पर, इसके शरीर और मन पर एक निश्चित प्रभाव डालती है । कोई खाद्य वस्तु अगर मानकों के अनुरूप नहीं है तो उसे 'अपमिश्रित' माना जाता है । अगर वस्तु पर लगे लेबल में लेबलिंग प्रावधानों का उल्लघन किया गया है जिनसे उपभोक्ता को धोखा दिया जा सकता हो तो खाद्य सामग्री 'नकली ब्रांड' वाली कही जाती है । इस अधिनियम के अन्तर्गत 'अपमिश्रित' और 'नकली ब्रांड' वाली खाद्य वस्तुओं की बिक्री दंडनीय अपराध है ।

माननीय सदन को यह भली भांति ज्ञात है कि खाद्य नियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी जब तक स्वयं उपभोक्ता इस कार्यक्रम में गहरे सम्बद्ध नहीं होते, इसलिए, उपभोक्ता चेतना एवं उपभोक्ता जागृति आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है ।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अब मैं यह सोचते हुए विधेयक प्रस्तुत करती हूं कि कि इस अधिनियम की धारा 12 तथा 20 को और संशोधित किया जाय, उपभोक्ता संघों को परिभाषित किया जाए तथा उन्हें विश्लेषण के लिए जांच नमूने इकट्ठे करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की जाएं, मैं सदन से इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करती हूं।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) श्री जे० बेंगलराव की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

"कि उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रायोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपबन्ध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बहु प्रतीक्षित तथा बड़े आश्वासनों वाला यह विधेयक अन्त में सत्र के आखिरी दिन हमारे सामने है। इस वर्ष जनवरी में

सेमिनार आयोजित किया गया जो इस वर्ष का पहला महीना है और यह वर्ष का आखिरी महीना है.....

अध्यक्ष महोदय : यह जनवरी के बहुत नजदीक है।

श्री सी० माधव रेड्डी : सरकार ने इसके लिए एक वर्ष का समय लिया। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कभी नहीं से देर भली। माननीय मंत्री जी ने इसे देश के सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक बताया। मैं नहीं जानता कि मैं इस राय से कहां तक सहमत हूं परन्तु मैं यह निश्चित रूप से महसूस करता हूं कि यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मंत्री महोदय इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे यकीन है जैसे कि मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि सभी कुछ इस विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है जब मन्त्री जी इसे सफलतापूर्वक लागू कर लेंगे तो वह भारत के 'राल्फ नादर' कहलायेंगे।

इससे पहले कि मैं इस विधेयक की बहुत सारी विशेषताओं पर चर्चा करूं और सात विधेयकों का समूह जो हमारे सामने है, साधारणतया मैं इस तरीके का विरोध करता जिस ढंग से सत्र के आखिरी दिन सात विधेयकों का यह समूह सदन में लाया गया क्योंकि पहले भी सरकार ऐसा ही करती थी परन्तु इस विशेष विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, के कारण ही इस अपनाई गई प्रक्रिया का मैं विरोध नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप इस गणना के आधार पर इसका विरोध करें।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसी आशय से मैंने इस विधेयक को संयुक्त प्रवरण समिति को सौंपने का अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : धन्यवाद।

श्री सी० माधव रेड्डी : परन्तु जैसा मैंने कहा कि यह विधेयक परिपूर्ण नहीं है। इसमें कई कमियां तथा खामियां हैं और इसके लिए बहुत सारे संशोधन दिए गए हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी भी उसी भावना से सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे। जब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

12.00 मध्याह्न

महोदय इस देश में उपभोक्ता आन्दोलन बहुत कमजोर है जैसा कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है और उपभोक्ता को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

12.01 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस विधेयक की दो मुख्य विशेषतायें हैं। एक उपभोक्ता को शिक्षित करने तथा दूसरा उसकी शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित है। यह अच्छी तरह से समझा गया है कि शिक्षा बहुत आवश्यक है और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित करने पर विचार किया गया है लेकिन यह विधेयक देश में गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयसेवी संगठनों में बहुत सारे उपभोक्ता संगठनों को बढ़ाने की आवश्यकता को भी सामने लाता है। यह पूर्ण रूप से लोगों की पहल पर छोड़ दिया गया है।

आज उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में कुछ संगठन बहुत प्रभावी हैं इनमें से कुछ दिल्ली और बम्बई महानगरों में है जैसे बम्बई में कन्जूमर गाइडेन्स सोसाइटीज आफ इण्डिया और दिल्ली में कामन काज उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद और कर्नाटक उपभोक्ता सेवा समाज, बंगलौर। देश में केवल यही तीन या चार संगठन है जिनका यहां उल्लेख किया जा सकता है। अन्य संगठन जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 160 या 161 हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए वास्तव में कोई सक्रिय काम नहीं करते। अब इस तरह से बहुत सी संस्थायें स्थापित करने तथा उन्हें आर्थिक व अन्य सहायता देने की आवश्यकता है क्योंकि इस विधेयक के प्रावधान, तभी ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे यदि उपभोक्ता संगठनों तथा कुछ अन्य नागरिकों द्वारा पहल की जाए। इस देश में यह बहुत कम होता है कि कोई उपभोक्ता या साधारण नागरिक शिकायतें करने के लिए आगे आयें। संगठन ही इस मुद्दे को उठा सकता है इसलिए यह उचित ही कहा गया है कि पीड़ित उपभोक्ता जो कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहता है उसे किसी उपभोक्ता संगठन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। परन्तु आज के समय में कोई ऐसा संगठन जीवित रह सकता है और प्रतिरोध कर सकता है? कौन इन मुद्दों को अपने हाथ में लेगा? हम राज्य स्तर, जिला स्तर व तालुक स्तर पर मशीनरी उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन कोई तो होना चाहिए जो इस मशीनरी का उपयोग कर सके। इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा देश में उपभोक्ता संगठनों को आर्थिक सहायता, सुरक्षा या प्रोत्साहन तथा मार्ग दर्शन के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, अब मैं उपभोक्ता की शिकायतें दूर करने वाले अभिकरणों पर आता हूं, जिला स्तर के अभिकरण एक ऐसा फोरम होगी और यह फोरम न केवल मुआवजे वाले मामलों को ही अपने हाथ में लेगी बल्कि अन्य मामले भी जिनमें मुआवजे का दावा न हो, की भी सुनवाई करेगी।

विधेयक में निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है कि अगर एक लाख रुपए तक का दावा हो तो यह जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा। परन्तु बहुत सारे दावे जटिल नहीं हैं तथा उनमें आप राशि तय कर सकते हैं। ऐसे मामलों में क्या होगा? इनमें निर्माता को केवल निर्देश देना पड़ेगा कि उसने अपना उत्पादन बदल लिया है या उससे कहा जाएगा कि वह आगे से ऐसे-ऐसे गुणों वाली वस्तुओं का उत्पादन करे। इन सब मामलों में हमें राशि निर्धारित करनी होगी। कई मामलों में राशि निर्धारित करना कठिन है और इस सम्बन्ध में भी हमें स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र निश्चित करना पड़ेगा। विभिन्न अन्य अधिनियम जो इन सात विधेयकों द्वारा संशोधित किए जा रहे हैं उनकी विषय वस्तु भी उपभोक्ता संरक्षण ही है। मैं नहीं जानता कि यह सभी संशोधन एक ही विधेयक के रूप में क्यों नहीं लाए गए। इसमें हो सकता है कोई तकनीकी कठिनाई हो। मैं जानना चाहता हूं कि ये सभी विधेयक क्यों लाए गए। सभी संशोधन जो सुझाए गए हैं बहुत आवश्यक है क्योंकि आज हमने देखा कि इन सभी अधिनियमों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ नहीं है। कुछ जुर्माने का प्रावधान है परन्तु क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं है। वह न्यायालय में नहीं जा सकता। कृषि में 'एगमार्क' प्रणाली है परन्तु यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। अब इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है। इसी तरह के अन्य संशोधन जो सुझाए गए हैं बहुत

आवश्यक है और वे उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करेंगे । इन सातों विधेयकों में जो संशोधन रखे गए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं ।

हमारे देश में संरक्षित बाजार है । हमारे यहां एक प्रकार से विक्रेताओं का बाजार है । सरकारी क्षेत्र को मिलाकर यहां निर्माताओं का करीब-करीब एकाधिकार है । ऐसी परिस्थितियों में बाजार संरक्षित कहां हैं, उपभोक्ता को अपनी मनमानी करने वाले निर्माताओं की दया पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है । अगर कोई प्रतिस्पर्धा होती तो निश्चित रूप से निर्माता अपने उत्पादन को सुधारने का आवश्यक प्रयास करते । क्योंकि यहां पर संरक्षित बाजार है इसलिए उपभोक्ता को कोई सुरक्षा नहीं है । यहां पर केवल निर्माता को ही सुरक्षा मिली हुई है । फिर बहुत सारी उपभोक्ता की जरूरत की वस्तुयें सरकारी क्षेत्र द्वारा तैयार की जाती हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दो धार वाला हथियार है जिस विधेयक को हम पारित कर रहे हैं । इस हथियार का हमें अपने सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध भी इस्तेमाल करना पड़ेगा । सरकारी क्षेत्र को वस्तुओं का निर्माण करने तथा उन्हें सप्लाई करने में बहुत सतर्क रहना होगा । मैं नहीं जानता कि सरकारी क्षेत्र कहां तक इस विधेयक से मुक्त हो सकता है । जो भी वस्तु सरकारी क्षेत्र बनाता है या उसका वितरण करता है वे सभी इस विधेयक के दायरे में आ जाते हैं । यह बहुत अच्छा है कि सरकारी क्षेत्र को भी इस विधेयक के दायरे में लाया गया है । इसमें नियमों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को पूर्ण सुरक्षा मिल रही है तथा जो वस्तुयें उसे सप्लाई हो रही हैं वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारण नहीं हैं और सस्ती भी हैं । इसमें दो या तीन कमियां हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं । एक यह है कि जब कोई उपभोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए किसी फोरम या राज्य या राष्ट्रीय आयोग के सामने जाता है या अपील करता है उस समय वह किसी वस्तु का नमूना पेश करता है कि यह त्रुटिपूर्ण है तथा इसका मुआवजा दिलाया जाना चाहिए और आगे ऐसा-ऐसा होना चाहिए । अब यह नमूना किसी अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजा जाता है । आप देश में बहुत सारी प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करेंगे और वहां पर कुछ फीस देनी पड़ेगी । आप उपभोक्ता को फीस देने को कह रहे हैं । मुझे यह कहते हुए खेद है कि बहुत सारे उपभोक्ता गरीब लोग होंगे । वह प्रयोगशाला की फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं । कभी-कभी यह फीस बहुत ज्यादा होने से लोगों का शोषण भी हो सकता है । इसके लिए कोई कोष बनाया जाना चाहिए और अगर आवेदन के साथ कोई उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन यह कहता है कि वह फीस का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो यह फीस अलग बनाए गए कोष से दी जानी चाहिए और उपभोक्ता को फीस अदा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए ।

इसी तरह, कई खंडों में, सीमित कंपनी का उल्लेख किया गया है । मैं इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं कि किसी सीमित कंपनी को किसी उपभोक्ता संरक्षण संस्था में समाविष्ट नहीं किया जाता क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण संस्था तुलन-पत्र नहीं बनाती है, इसके कोई लाभ और हानि के खाते नहीं होते क्योंकि ये लाभ नहीं कमाती हैं । ये सब संस्थायें सेवा संस्थायें होती हैं और इन सबको कम्पनी के रूप में नहीं बल्कि समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अपने आपको पंजीकृत करवाना होता है, इसलिए जहां कहीं भी 'कम्पनी' शब्द आया है इसको हटा देना चाहिए ।

इसी प्रकार, विधेयक में भी कई कमियां हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसे लागू करते समय उन सबको दूर कर दिया जाएगा । जब इस अधिनियम को लागू किया जाएगा तो मुझे विश्वास है कि तब इसमें कई सुधार किए जा सकेंगे । मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मेरे विचार से इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की बजाए जहां इस पर काफी दबाव पड़ सकता है, यह अच्छा होगा कि हम इसे तुरंत पारित कर दें और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो हम उनको बाद में दूर कर सकते हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं तथा आपके जीवन में सफलता की कामना करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्रीमान ।

प्रो० एन० जी० रंगा : दूसरे श्रीमान, मैं अपने माननीय दोस्त, विरोधी पक्ष के नेता तथा अपनी पार्टी सहित सभी पार्टियों के नेताओं को इस विधेयक को इतनी शीघ्र पारित करने के लिए बधाई देता हूं । इससे सरकार उपभोक्ता संरक्षण में अपनी भूमिका ठीक-ठीक निभा सकेगी ।

बहुत लंबे समय से हम शिकायतें करते चले आ रहे थे कि उपभोक्ताओं का निर्दयता से शोषण किया जा रहा है । जैसा कि आप सब जानते हैं मैं स्वयं एक किसान हूं । मैं किसानों का प्रतिनिधि हूं और मुख्यत: किसान ही ज्यादातर इससे पीड़ित होते हैं, जब वे उर्वरक कीटनाशक तथा मशीनरी आदि खरीदने बाजार जाते हैं । जब वे इस स्तर पर हानि उठाते हैं तो उनकी फसल भी कम होती है । इस प्रकार वे हानि उठाते हैं और अन्ततः कृषि उत्पादों के उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है । हम इन लोगों के संरक्षण की मांग करते रहे हैं । इस सदन के माननीय अध्यक्ष ने स्वयं किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है तथा जो व्यक्ति मिलावट में लगे हुए हैं उनका विरोध किया है । यही नहीं, सामान्य उपभोक्ताओं को भी कई बार अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है जब वे बाजार दवाईयां या विभिन्न अन्य वस्तुयें खरीदने जाते हैं । अब तक उनके लिए कोई संरक्षण नहीं दिया गया है । हमारे सौभाग्य से हमारी कुछ गृहणियों ने इस संसद तथा पिछली ससद की हमारी कुछ महिला संसद सदस्याओं के नेतृत्व में, देश के कई शहरों में उपभोक्ता संरक्षण समितियां बनाने में पहल की है, मेरे विचार से इस बारे में इस संसद की हमारी मित्र श्रीमती दंडवते तथा श्रीमती मुखर्जी ने तथा कांग्रेस की तरफ से कई महिला सदस्याओं ने काफी महत्वपूर्ण काम किया है, श्री एम० आर० पई, बम्बई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । इसके अलावा बहुत सारे अन्य व्यक्ति भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । इन्दिरा जी भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए इस प्रकार के उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूक थीं और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इस बारे में सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें विभिन्न व्यक्ति इस बारे में सलाह देते हैं तथा इस विषय में दिल्ली में एक सेमिनार भी आयोजित किया गया था । अब सरकार इस बारे में एक विधेयक लेकर आई है, हम सब इसका समर्थन करते हैं, इस विधेयक को कैसे, कितनी जल्दी और किस सीमा तक लागू किया जाएगा आदि प्रश्नों का उत्तर इस बात में निहित है कि नौकरशाही कितनी तत्परता से इसे लागू करती है, मेरे माननीय मित्र श्री रेड्डी, इस बात का उदाहरण पहले ही दे चुके हैं कि कैसे नौकरशाही अपने पांवों को

घसीट रही है, एक साल से वे इस साधारण से विधेयक पर विचार कर रहे हैं। यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उन्हें इस पर विचार करने में एक वर्ष का समय क्यों लगाना चाहिए ? वे प्रत्येक अन्य विधेयक पर तथा सरकार के अन्य कार्यों पर भी इसी तरह समय व्यर्थ करते हैं। इस बारे में सदन को सही निश्चय करना होगा तथा हमारे मंत्रियों को सहायता देनी होगी तथा उनके हाथ मजबूत करने होंगे अगर नौकरशाही सहयोग नहीं करती है तो हमारे मंत्री सिवाय मंत्री होने के और क्या कर सकते हैं। अगर मंत्री कुछ करने की कोशिश करते हैं तो नौकरशाही हड़ताल कर देती है, जैसा कि कई राज्यों में हो रहा है। इसलिए हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना है कि कैसे हम नौकरशाही पर नियन्त्रण रखने के साथ-साथ उनके सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं ताकि इस मामले में और अन्य मामलों में भी संरक्षण प्रदान किया जा सके। मैं अपने माननीय मित्र श्री मूलचंद डागा की इस सलाह से सहमत नहीं हूं कि इसे इसमें से 25 संशोधनों के साथ प्रवरण समिति को भेजा जाना चाहिए। वे मात्र इस बात का संकेत करती हैं कि यह विधेयक अत्यन्त पूर्ण नहीं है। बहुत से मामलों में इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा यह भी एक तथ्य है कि इसकी हमें बहुत आवश्यकता है और इसकी हम इतने लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं आशा करता हूं कि सदन इसे प्रवर समिति द्वारा धीमी गति से इस पर विचार करने के बजाय इसे पारित कर देगा।

हमारे माननीय मन्त्री इस बात के लिए धन्यवाद के साथ-साथ बधाई के पात्र हैं क्योंकि बहुत कम मन्त्री ऐसे विधेयक ला पाते हैं जो पूरे सदन से और मुझे पूरी आशा है कि दूसरे सदन से भी सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त कर पाते हैं और हम सब उपभोक्ता और उत्पादक इसके लिए लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम किसान लोग उत्पादक होने के साथ-साथ उपभोक्ता भी हैं। यह स्थिति औद्योगिक मजदूरों, सर्वहारा वर्ग तथा देश भर के असंगठित श्रमिकों के साथ भी है, उनके अपने संगठन हैं जो पंजीकृत भी हैं, ट्रेड यूनियन संगठन पंजीकृत भी हैं। इनके दो अखिल भारतीय संगठन हैं, ये दोनों संगठन—'ऐटक' और 'इन्टक' विभिन्न उद्योगों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अन्य सभी शाखाएं भी जिम्मेदार संगठन हैं। कृषक समाज भी उनमें से एक है जो पंजीकृत है। एक अन्य संगठन, रूरल पीपुल्स फेडरेशन भी पंजीकृत है। इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वे समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है या कम्पनी अधिनियम के सौभाग्य से उनको सरकार द्वारा पंजीकृत किए जाने का एक प्रावधान विद्यमान है, कुछ सप्ताह पहले मैंने इन संगठनों के बारे में तथा उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उनके सहयोग की प्राप्ति की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया था। मैं चाहता हूं कि जब यह अधिनियम बन जायें तो इस बात का जिक्र किया जाए कि सरकार ने इस विधेयक के उद्देश्यों में उनके बारे में विचार किया था। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इस अधिनियम के तत्वाधान में जो विभिन्न परिषदें बनाने जा रही हैं उनमें इनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उनका सहयोग मांगा जाएगा तथा उनके प्रतिनिधियों से इस अधिनियम को लागू करने में सहायता मांगी जाएगी।

मैं एक बार फिर अपने प्रधानमन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि अन्य क्षेत्रों में

और अन्य दिशाओं में यह किसी भी प्रधानमन्त्री या किसी भी सरकार के लिए यह कोई आसान बात नहीं है कि वस्तुतः लोगों को किस प्रकार लाभ मिलेगा। परन्तु इस दिशा में यह आसान है। इस प्रकार यह एक आसान और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा स्वागत योग्य दिशा है जिस पर चल कर यह उम्मीद की जाती है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जनता को उनके वर्ग अथवा जाति का विचार किए बिना अधिक फायदा पहुंचा सकेगा, इसलिए मैं, अगर यह असंसदीय न हो तो सारे भारत में नौकरशाही से तथा न्यायालयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सरकार तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए जाने वाले संगठनों का भरसक सहयोग करें और उपभोक्ताओं को उचित सेवा दिलाने में सहायता करें।

***श्री आयनल अबेदिन (जंगीपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए लाया गया है, इसके साथ, साथ भिन्न-भिन्न समय पर अधिनियमित किए गए कुछ अन्य अधिनियमों के संशोधनों को भी इस विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए लाया गया। इसलिए आज हम एक साथ आठ विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं, इस विधेयक के प्रचारित उद्देश्य अच्छे और प्रशंसनीय हैं इसलिए मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। परन्तु श्रीमान, इस विधेयक के पारित होने पर अधिनियम बनने के बाद यह कहां तक वास्तव में उपभोक्ता के हितों के संरक्षण में कारगर साबित हो पाएगा, इस बारे में मुझे संदेह है। उपभोक्ताओं के हितों को मात्र एक विधेयक बनाने से ही संरक्षित नहीं किया जा सकता है। श्रीमान, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। लेकिन क्या इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद खाद्य अपमिश्रण रुक गया था ? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बाद खाद्य अपमिश्रण काफी बढ़ गया है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार आज अनाज में 25 से 70 प्रतिशत तक मिलावट की जा रही है, परन्तु इस बारे में आज तक कितने दोषी व्यक्ति पकड़े गए हैं ? कभी-कभी अखबार के शीर्षक में छपता है कि अनाज में जहरीले पदार्थ होने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार की मिलावट के लिए कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया है ? इसलिए कानून को सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है। यह कानून बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है।

श्रीमान, खाद्यसामग्रियों में मिलावट तीन जगह की जा सकती है। निर्माता या उत्पादक के स्तर पर या फिर थोक व्यापारी के स्तर पर या खुदरा व्यापारी के स्तर पर मिलावट की जा सकती है। अगर कोई उपभोक्ता किसी खुदरा व्यापारी से कोई चीज खरीदता है और वह खराब निकलती है तो वह इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार इसकी शिकायत जिला स्तर पर बनाए गए संगठन से कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि खुदरा व्यापारी को उस चीज में मिलावट की जानकारी न हो वह निर्दोष हो और वह मिलावट के लिए जिम्मेदार न हो। मिलावट उत्पादक या थोक व्यापारी द्वारा की गई हो। खुदरा व्यापारी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि वह इसके लिए स्वयं दोषी नहीं है। उसे किसी और द्वारा किए गए अपराध के लिए दण्ड दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे अधिकतर

*मूलतः बंगाल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

मामलों में गरीब और अनाड़ खुदरा व्यापारी को दूसरों के अपराध की सजा भोगनी पड़ती है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जब किसी जिला स्तर के संगठन को किसी वस्तु में मिलावट की शिकायत मिलती है तो वे उस वस्तु का नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजेंगे। मुझे इस बात का पता नहीं है कि पूरे देश में कितनी ऐसी उपयुक्त प्रयोगशालाएं हैं। प्रत्येक जिले में ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं हैं। इसलिए विभिन्न जिलों के संगठनों को अपने नमूनों को राज्यों की राजधानियों में अपने नमूनों की जांच और विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजना पड़ेगा। मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार विभिन्न जिलों से अगर एक केन्द्र में ढेर सारे नमूने इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रयोगशाला के लिए ठीक प्रकार से अपना कार्य करना असम्भव हो जाएगा, इस विधेयक में इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि उपयुक्त प्रयोगशाला को नमूने भेजने से पूर्व जिला संगठन शिकायतकर्त्ता से नमूना लेने के समय उससे एक निर्धारित शुल्क भी लेंगे। मेरे विचार से इस प्रावधान के कारण गरीब उपभोक्ता अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर गांव के किसी उपभोक्ता से जिसने एक मिलावटी चीज खरीदी है यह कहा जाय कि शिकायत करने के लिए उसे निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक के प्रावधान द्वारा उसको उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

श्रीमान्, इस विधेयक के खंड 4 और 7 में क्रमशः केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाने का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति के प्रभारी मंत्री होंगे, परन्तु विधेयक यह स्पष्ट नहीं करता कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का अध्यक्ष कौन होगा। केवल यही बतलाया गया है कि इसमें कुछ सरकारी और कुछ गैर-सरकारी सदस्य होंगे। अब इन गैर सरकारी सदस्यों की शैक्षिक योग्यता क्या होगी, उनका चुनाव कौन करेगा और इस चुनाव का तरीका क्या होगा आदि बातों का ब्यौरा विधेयक में नहीं दिया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि इसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी होगी। मुझे आशंका है कि अगर सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई तो वे परिषद पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। तब परिषद नौकरशाही की तरह काम करेगी और अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगी। उपभोक्ताओं के हितों व अधिकारों की सुरक्षा केवल कानून बनाने से ही नहीं हो सकती इस विधेयक में कहा गया है कि स्वयंसेवी उपभोक्ता आन्दोलन चलाना होगा, परन्तु कोई भी आन्दोलन कानून द्वारा नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई आन्दोलन चलाना है तो उपभोक्ता की चेतना को जगाना होगा। परन्तु जिस प्रकार की शिक्षा उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में चेतना जागृत करने के लिए चाहिए वह उसे किसी कानून के द्वारा नहीं दी जा सकती। उसके लिए जन सम्पर्क माध्यम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। लोगों को रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अभी तक हमारा जन-सम्पर्क माध्यम इस जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रहा है। सरकार भी जन सम्पर्क माध्यमों का सही उपयोग लोगों को शिक्षित करने के लिए नहीं कर पाई है।

महोदय, अभी की आई बाढ़ों में हमने देखा कि जमाखोरों ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर ली और बनावटी कमी पैदा कर दी जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बाजारों में आसमान छूने लगीं। ऐसी स्थिति में कौन उपभोक्ता यह बता सकता है कि जमाखोर कौन है और किसके विरुद्ध और कैसे उसकी शिकायत लिखवाई जा सकती है ? ऐसे मामलों में सरकार को स्वयं अपनी एजेन्सियों के माध्यम से जमाखोरों का पता लगाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए, नहीं तो उपभोक्ता परेशान होंगे।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को छोड़कर प्राय: हमने देखा है कि उपनगरीय रेलगाड़ियों में बिजली, पखे या पीने के पानी आदि की कोई सुविधा नहीं होती। उपनगर क्षेत्रों में टेलीफोन घंटों खराब पड़े रहते हैं और कभी-कभी टेलीफोन के बढ़े-चढ़े बिल लोगों को मिलते हैं। राशन की दुकानों पर जो चावल तथा गेहूं मिलता है वह आदमियों के खाने काबिल नहीं होता। कई बार जब पैक की गई खाद्य वस्तुएं खरीदते हैं तो पैकट पर लिखा होता है कि पैक करते समय भार एक किलोग्राम था, परन्तु पैक करने के बाद उसका भार कम पाया जाता है। इसके लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है ? महोदय, जब आप 50 कि०ग्रा० सीमेंट खरीदते हैं तो वास्तव में आपको 40 या 45 कि०ग्रा० सीमेंट ही मिलता है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र को जिम्मेदारी लेनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र को इस विधेयक के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है ? क्या सरकार यह कहना चाहती है कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारी व उत्पादक ही लोगों को धोखा देते हैं और इसको तो सरकार बन्द कर देगी परन्तु सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा शोषण जारी रहेगा ? क्या यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है ? यह सम्भव है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपभोक्ताओं पर किए जाने वाले हमलों को समाप्त करने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी।

महोदय, इसी के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक को अपना समर्थन व्यक्त करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, जो सदन में विचार-विमर्श के लिए लाया गया है, का तहेदिल से स्वागत करता हूं।

मुझे माननीय मंत्री श्री एच० के० एल० भगत प्रधान मन्त्री तथा सरकार को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इस विधेयक को इसी सत्र में लाने का पक्का निश्चय किया चाहे वह सत्र के आखिरी दिन ही लाया गया हो तथा उसे इसी सत्र में पारित करवाने का निश्चय किया है यद्यपि समय बहुत कम है। जब मैंने 11 नवम्बर को आधे घंटे की चर्चा इसी विषय पर अर्थात तारांकित प्रश्न संख्या 9 दिनांक 4 नवम्बर 1986 के उत्तर पर इस सदन में शुरू की थी, तो मैंने सोचा था कि सरकार इस सम्बन्ध में इसी सत्र में एक समुचित विधेयक लाएगी। उसी समय सरकार ने आदर्श विधेयक लोगों में परिचालित किया था फिर भी मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया था कि वह आदर्श विधेयक नहीं, बल्कि केवल कुछ नोट्स थे। उस समय मैंने कई सुझाव दिये थे

और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनमें से बहुत सारे सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं।

सबसे पहले मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक में सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल की गई हैं तथा इससे किसी को मुक्त नहीं किया है।

जो आदर्श विधेयक परिचालित किया गया था उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था और बहुत सारे सरकारी उपक्रमों को इससे मुक्त रखा गया था परन्तु अब यह देखकर प्रसन्नता हुई कि सरकार ने देश के उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इन सभी को इस विधेयक के दायरे में ला दिया है।

यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय उपभोक्ताओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उपभोक्ताओं के साथ प्रति वर्ष 1600 करोड़ रुपये की ठगी केवल गलत बाट तथा माप से ही होती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब हम ज्यादा उत्पादन का नारा देते हैं तो इसके साथ ही यह भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न वर्गों, खासकर उपभोक्ताओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाया जाए। इस दृष्टि से यह प्रसन्नता की बात है कि एक अच्छा विधेयक सदन में रखा जा रहा है।

उस समय मैंने कहा था कि जो उपभोक्ता परिषदें, बनाई जाएंगी जैसे केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद उनमें मंत्रियों व नौकरशाहों को न भरा जाए। मुझे प्रसन्नता है कि ये उपबन्ध हटा दिये गए हैं और अब केवल एक ही मंत्री, जिसके पास खाद्य और पूर्ति विभाग हो, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा तथा अन्य सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य परिषद का प्रतिनिधित्व करेंगे। परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इस उपबन्ध को स्पष्ट करें अर्थात्—

> "अन्य सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों जो इन हितों का प्रतिनिधित्व करते हों की संख्या उतनी होगी जितनी निर्धारित की जाए।"

वह इन परिषदों में ज्यादा नौकरशाहों को न भरें, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने की गुंजाइश है। परन्तु विधेयक की भावना को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा गैर-सरकारी सदस्यों को इसमें रखा जाएगा जो उपभोक्ता आन्दोलन में सक्रिय हों।

इसी तरह से, जब जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर 'कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स' गठित किए गए हैं और इसमें वाणिज्य व व्यापार के हितों को भी शामिल किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि इन फोरम में वाणिज्य व व्यापार के साथ उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि यह उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों के विवादों को निपटायेगा। इसीलिए जब हम वाणिज्य, व्यापार व शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को इसमें प्रतिनिधित्व देते हैं तो हमें इन सभी स्तर के फोरम में उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मेरा कहना यह है कि कोई आदमी जो शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो उसका

वहां सदस्य होना आवश्यक नहीं है । इसके बदले उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि वहां होना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं के हितों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो सके ।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने प्रयोगशाला की फीस से संबंधित जो प्रश्न उठाया मैं उनसे सहमत हूं । खंड 13 उपखंड 1 (घ) में यह कहा गया है कि प्रयोगशाला में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण के लिए निर्धारित फीस स्वयं शिकायत कर्ता द्वारा दी जाएगी । शायद यह इसलिए है कि जिला फोरम या अन्य फोरम इस फीस की कोई बड़ी राशि निर्धारित करें और तब शायद उपभोक्ता प्रयोगशाला परीक्षण आदि का लाभ न उठा सके । इसलिए फीस की राशि कम से कम निर्धारित की जानी चाहिए सरकार को कुछ धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उपभोक्ता को कुछ सहायता राशि दी जा सके और उपभोक्ता से मामूली सी राशि फीस के रूप में ली जाये जिससे वह किसी त्रुटिपूर्ण वस्तु का परीक्षण करवा सके जिसके सम्बन्ध में वह शिकायत कर रहा हो ।

जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है वे केवल वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा से ही नहीं बल्कि कीमत से भी संबन्धित हो सकती है । और इस उपबन्ध के अन्तर्गत इन खराबियों की शिकायत की जा सकती है । मेरी राय में शिकायत की परिभाषा जो खंड 2 उपखंड (न) में की गई है, उसमें कुछ कमी है । इसमें कहा गया है कि 'शिकायत' का मतलब है कि शिकायत कर्ता द्वारा लिखित रूप में लगाया गया आरोप कि किसी व्यापारी के अनुचित व्यापारिक व्यवहार से शिकायतकर्ता को हानि या नुकसान पहुंचा हो··· पूरे विधेयक में इस बात की परिकल्पना की गई है कि शिकायत किसी उपभोक्ता संगठन और यहां तक कि राज्य द्वारा भी की जा सकती है । इसलिए इस सन्दर्भ में राज्य या उपभोक्ता संगठन को ऐसा कोई नुकसान या हानि नहीं हो सकती । हानि या नुकसान कुछ अन्य उपभोक्ताओं को ही होगा और वे शिकायत करने पर प्रतिनिधित्व करेंगे । इसलिए इसमें मेरी राय में थोड़ी कमी है जिसे दूर करना होगा ।

अन्त में मैं इसी खंड के उपखंड (ञ) के बारे में सुझाव देना चाहता हूं जिसमें निर्माता की परिभाषा दी गई है । शायद यह परिभाषा शिकायतें दर्ज कराने के लिए कठिनाई पैदा कर सकती हैं : "जहां एक निर्माता कोई वस्तु या उसके हिस्से को अपने अन्य शाखा कार्यालय को उसी के द्वारा संचालित हो को भेजता है तो वह शाखा कार्यालय निर्माता नहीं समझा जाएगा, चाहे भेजे गए हिस्से वहीं जोड़े गये हों और बेचे गये हों या वितरित किए गए हों ।" मेरे सुझाव के अनुसार इसकी ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शाखा कार्यालय इससे मुक्त हो जाता और उपभोक्ता को या शिकायत कर्ता को मुख्य कार्यालय ढूंढना पड़ेगा या मुख्या निर्माता को ढूंढना पड़ेगा जिससे कुछ व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वस्तु की कीमत अथवा मुआवजे की राशि का अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है । यदि यह कम हो या ज्यादा हो तो आपको विभिन्न फोरम के अनुसार ही चयन करना पड़ेगा और उससे मुकदमेबाजी के लिए काफी गुंजाइश रह जायेगी । इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि जिला स्तर की फोरम को बिना किसी आर्थिक सीमाओं के सभी तरह के मामलों को निपटाने का अधिकार होना चाहिए तथा अन्य फोरम

केवल अपील सम्बन्धी अधिकार होने चाहिएं। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तम्पन चामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य का तो स्वागत करता हूं परन्तु इस विधेयक का नहीं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक अपर्याप्त तथा अच्छी तरह सोच समझकर नहीं बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को विधेयक के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता बल्कि इसे आन्दोलन द्वारा ही चलाया जाना होगा इस प्रयोजन के लिए आन्दोलन चलाना होगा। सबसे पहले उपभोक्ताओं में वस्तुओं के गुणों तथा उनकी सेवाओं आदि के सम्बध में जागृति लाई जानी चाहिए।

इस बारे में अगर हम देखें तो पायेंगे कि एक ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेसारी दाल वितरित की जा रही है जिसके कारण लोग लकवे की शिकायत करते हैं, हाल ही में मैंने पढ़ा था कि खेसारी दाल मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के नागरकोल में भेजी जा रही है और हमने यह भी सुना कि वहां भी उन क्षेत्रों से लकवे की शिकायतें मिली हैं जहां जहां गरीब लोगों ने खेसारी दाल को खाया। अगर इस प्रकार की हानिकारक और जहरीली खेसारी दाल को उगाने और वितरित करने की अनुमति दी गई है तो इस विधेयक द्वारा हम कैसे उन चीजों की रोकथाम कर पायेंगे।

दूसरी बात मैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में कहना चाहता हूं जो कि एक सरकारी एजेंसी है तथा अनाज के भंडारण तथा परिवहन का कार्य करती है, हाल ही में, केरल में कुछ गोदामों में बदबू आ रही थी। हमने देखा तो पाया कि वहां 2 करोड़ रुपये का चावल भरा हुआ था और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह छूने लायक तक नहीं रह गया था। जो मजदूर उसे साफ करने गये वे बेहोश हो गए तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अगर एक सरकारी एजेंसी, जो लोगों को अनाज की आपूर्ति करती है, ऐसा कार्य कर सकती है तो मैं नहीं समझता कि हम ऐसे में, इस प्रकार के अहानिकारक विधेयक से उपभोक्ता सरक्षण कर पाएंगे। मुझे इस बारे में सन्देह है। जानते है, उस दो करोड़ रुपये के चावल का व्यापारियों को नीलाम कर दिया गया, ये व्यापारी इन चावलों को अपने स्टाक में मिलाकर जनता को बेच देंगे, जो तथ्य से अनजान हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का विधेयक इन चीजों की रोकथाम के लिए अपर्याप्त हैं, आखिर विधेयक मे क्या है ? इसके अनुसार आप मिलावट का मुकाबला करने के लिए एक सीमित कंपनी बनाएं, लेकिन क्या ये संभव है ? मैं स्वयं कंपनियों से संबद्ध हूं। अगर कोई कंपनी पंजीकृत है और उसके लेखे अगर प्रतिवर्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते तो उनको सजा मिलेगी और जेल भेज दिया जाएगा। क्या कोई स्वयंसेवी संस्था, आगे आएगी और अपने आपको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराएगी तथा लेखे एवं परीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत करने तथा ऐसे कई कार्य का भार स्वीकारेगी ? यह असंभव है। यह व्यावहारिक नहीं है। अगर हम इस बारे में लोगों में चेतना और जागरूकता लाना चाहते हैं तो इस कार्य को हमें, उपयुक्त तरीके से बनाई गई परिषद तथा समितियों द्वारा करना होगा जो जनता के बीच कार्य करती हैं तथा लोगों को भी इस कार्य में सम्मिलित करती हैं। कोई कम्पनी यह कार्य नहीं कर सकती।

हम इस कार्य को पंजीकृत धर्मार्थ समितियों, ट्रेड यूनियनों, महिला समितियों, छात्र समितियों आदि कई मंचों द्वारा कर सकते हैं जहां ऐसी चेतना और जागृति को पैदा किया जा सकता है और जहां उन लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि जनता को ऐसी चीजों से बचाने के लिए उन्हें ये सब जनता को बताना चाहिए। इसलिए मेरा कहना तो यह है कि इस बारे में कम्पनियां किसी भी रूप में कोई भी सहायता नहीं कर सकती हैं।

विभिन्न समितियों के संविधान के संदर्भ में इस विधेयक के अनुसार, सरकार सदस्यों को नामजद करेगी, एक ऐसी सरकार जिसमें पांच सदस्यीय मिला-जुला मंत्रालय हो तो वे किसे नामजद करेंगे। वे रामलाल और श्यामलाल को नामजद करेंगे जिनके राजनीतिक हितों को वे गांव में बढ़ाना चाहते हों और अन्ततः वे भी आर० टी० ए० बोर्ड की भांति बन जायेंगे। आपने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की कहानी तो अवश्य सुनी होगी जिसे परमिट जारी करने के लिए विभिन्न जिलों में बनाया गया था, सत्तारूढ़ दल अपने प्रतिनिधियों को आर० टी० ए० बोर्ड में नामजद करते हैं; भ्रष्टाचार खुले आम होता है; ये भ्रष्ट समितियां बन गई हैं। यहां भी वही बात होगी अगर समितियां नामजद सदस्यों से बनाई जाती हैं। व्यापारी, कालाबाजारिए तथा वे लोग जो समाज को ठगना चाहते हैं इन समितियों में आकर आपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे। इसलिए जिला परिषदों में नामजद सदस्य नहीं होने चाहिएं, यह जनता के हित में हानिकर होगा। अगर इस बारे में कुछ करना ही है तो कुछ न्यायिक मंच बनाए जाएं जिससे इसमें जुड़े हुए लोगों के साथ-साथ महिला प्रतिनिधि भी हों तथा ऐसे लोग तो इस बारे में समझ रखते हों तथा जो निश्चित रूप से कुछ कर सकें, इसलिए जो मंच बनाए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थ रहेंगे।

मैं अपने विद्वान दोस्तों द्वारा दिए गए सुझावों से पूर्णतया सहमत हूं। अब मैं न्यायालय को दी गई आर्थिक सीमाओं की बात करता हूं। यह कानून का एक आधारभूत सिद्धांत है कि जहां पर प्रत्यायुक्त जिम्मेदारी या हानिकर जिम्मेदारी होती है तो इसे एक निश्चित राशि और कार्यक्षेत्र तक सीमित कर दिया जाता है। इसलिए यह कारगर साबित नहीं होती है, न्याय दिलाने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए और कानून के आधारभूत सिद्धांतों को उपयुक्त तरीके से देखा जाए।

मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जिसपर कुछ संशोधन भी लाए गए हैं। यहां आठ कानून लाए गए हैं परन्तु उन आठ में भी जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है कि इनमें कई कमियां हैं जहां वास्तविक अपराधी तो निकल जाता है और एक निरपराध व्यक्ति जो संयोग से घटनास्थल पर होता है, पकड़ा जाता है। इसलिए, मेरा कहना यह है कि इसको देखा जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह है उपभोक्ता आंदोलन। माननीय मंत्री जी स्वयं उसके मुखिया हैं। अगर हम उपभोक्ता सहकारी समिति का समर्थन कर सकते हैं जिसमें सदस्य व्यक्तिगत स्तर पर अपने लिए वस्तुओं की अधिप्राप्ति और वितरण के उद्देश्य से शामिल होते हैं तो इससे कई समस्याएं सुलझ जायेंगी। मेरे विचार से उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनका राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकास

करना चाहिए। जिसके द्वारा इस रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है तथा सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र पर भी सही नियंत्रण रखा जा सकता है। उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना ही इसका उपाय है।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : श्रीमान अधिकतर उपभोक्ता महिलायें होती हैं और मैं पहली महिला हूं जिसने इस विधेयक के बारे में कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली वक्ता भी महिला ही हैं जो बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं हृदय से उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का स्वागत करती हूं मैं इस बिल को लाने के लिए सरकार तथा मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। देश में यूं तो बहुत सारे कानून हैं पर उपभोक्ता को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करने वाला कोई भी कानून नहीं है प्रत्येक मानव एक उपभोक्ता होता है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस देश में अब तक उपभोक्ता आंदोलन का विकास नहीं हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के बाद यह आंदोलन विकास करेगा। उचित उपभोक्ता आंदोलन के अभाव में इस विधेयक को जैसे कि परिकल्पना की गई थी, समाज के हित के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सरकार केवल विधेयक बना सकती है लेकिन समाज की उपयोगिता के लिए उसे प्रयोग करना तो लोगों पर ही निर्भर करता है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसके लिए मेरी सलाह यह है कि उपभोक्ता के लिए एक शिक्षण केन्द्र होना चाहिए। जन संचार के साधनों का उपभोक्ता शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था की गई है मुझे इस बात की भी खुशी है सरकार ने स्वयसेवी उपभोक्ता संस्थाओं को मान्यता दी है। यह प्रसन्नता की बात है कि कोई भी उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और उस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। परन्तु इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि पृष्ट 7 क में यह दिया गया है उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर उपभोक्ता गरीब हैं और इस शुल्क को देने में असमर्थ हैं, इसलिए इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। इसे मैं इस वक्त सरकार पर छोड़ता हूं उसे इस पर विचार करके कुछ अवश्य करना चाहिए।

मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहूंगी कि परिषद में महिलाएं भी समान संख्या में होनी चाहिएं। न केवल परिषद में बल्कि जिलों और राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए। मैं सलाह भी देना चाहूंगा कि अधिकारियों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, अन्यथा यह केवल उनके नियंत्रण में ही चली जाएगी। यह भी कहा गया है कि जब कभी किसी बड़े व्यापारी द्वारा बनाई गई वस्तु के खिलाफ शिकायत आएगी तो इस बारे में जांच की जाएगी। मुझे डर है कि बड़े व्यापारी अपने पैसे के बल पर यह साबित करवा लेंगे कि उनकी वस्तु खराब नहीं थी, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें।

पृष्ठ 6 पर 13 (क) के अन्तर्गत कहा गया है कि "जिला स्तर पर बनाए गए मंच द्वारा दिए गए समय के भीतर"। इस बारे में मेरा कहना है कि जब नियम बनाए जाएं तो कृपया समय को निर्दिष्ट करें। इस बात को जिला स्तर पर बनाए मंचों पर मत छोड़ें अन्यथा जैसाकि अक्सर हम देखते हैं वे लम्बा समय लेते हैं। एक बार फिर मैं आपका ध्यान पृष्ठ 7 पर समय-

सीमा के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं। समय-सीमा का निर्धारण उन पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस बारे में नियम बनाए जाने चाहिए तथा समय-सीमा को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। दो बातें और कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि यह कहा गया है कि शिकायत उस जगह की जाएगी जहां कम्पनी होगी। यह माननीय स्तर पर असम्भव है, कोई कम्पनी अगर बम्बई में और शिकायतकर्ता पश्चिमी बंगाल में है तो उसके लिए यह असंभव है अगर वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पृष्ठ 11 पर आपने कहा है कि "जो तीन साल या दण्ड सहित बढ़ाई जा सकती है" यहां 'या' शब्द को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि जब भी दण्ड का प्रश्न होगा तो व्यापारी आसानी से पैसा दे देगा क्योंकि पैसा उनके पास बहुत होता है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि निसंदेह विधेयक को आज ही पारित किया जाना चाहिए। परन्तु इसके प्रचालन में जब किसी संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाए तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सदन में अपेक्षित संशोधन के साथ आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमान मैं मंत्री महोदय के इस आडंबरपूर्ण दावे से सहमत नहीं हूं कि यह सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए एक ऐतिहासिक घटना है लेकिन फिर भी इसके उद्देश्य के प्रति मेरी सहानुभूति है।

मैं समझती हूं कि विधेयक को कुछ जल्दी में तैयार किया गया है। इस विधेयक को पढ़ते समय लोगों के मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ सकते हैं उनके बारे में इसमें कोई समाधान नहीं दिया गया। इस तरह के कुछ उदाहरण पहले ही दिए जा चुके हैं पर मैं एक-दो और देना चाहूंगा। पहले जिला स्तर पर बनाए गए मंचों को लें। शिकायत किये जाने के बाद ये मंच क्या कार्य करते हैं? मैं देखता हूं कि इसका एक हिस्सा वास्तव में अपमिश्रण से सम्बन्धित है क्योंकि इसमें पहले गुणवत्ता देखी जाती है और फिर मूल्य तदन्तर सेवा की जाती है। वस्तु की गुणवत्ता के सन्दर्भ में हम औषधि की गुणवत्ता की बात करें, अक्सर हम खुदरा बाजार से औषधि खरीदते हैं। कोई उपभोक्ता शिक्षित हो सकता है जो प्रयोगशाला का शुल्क दे सकता है और तब यह साबित किया जाता है कि अमुक वस्तु अपमिश्रित है। अगर यह साबित कर दिया जाय तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति की जाती है। मैं सबसे पहले इस बात को समझना चाहता हूं कि यह क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इस मामले में कई एजेंसियां हो सकती हैं— निर्माता, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी आदि। यहां यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि किससे वस्तु का दाम वापिस करने को कहा जायगा, किससे वस्तु को बदलने को कहा जायगा तथा किससे वास्तव में क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। तब यह बात उठेगी कि सबसे अंतिम बिंदु अर्थात इसे बेचने वाला ही यह क्षतिपूर्ति देगा। अगर यह कोई बहुदेशीय औषधि निगम है कोई बड़ी राष्ट्रीय एकल स्वामित्व की कम्पनी है जिन्होंने हो सकता है खुद ही मिलावट की हो तो हम उन पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये सब बातें यहां पर स्पष्ट नहीं की गई हैं जिनके अभाव में अगर कुछ साबित कर भी दिया जाता है तो अन्य जटिलताएं पैदा हो जाएंगी।

एक और प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है, मान लीजिए, मैं एक उपभोक्ता हूं और मैंने कोई शिकायत की है और यह साबित हो जाता है कि मुझे अपमिश्रित वस्तु दी गई थी और उसके

लिए मुझे क्षतिपूर्ति भी दी जाती है, चलिए ठीक है लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं और ये पूछें कि उस सारी अपमिश्रित वस्तुओं का क्या दिया जाता है जिनमें से किसी उपभोक्ता को अपमिश्रित वस्तु देने पर क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। मैं इस विधेयक में इस बारे में कोई चीज नहीं पाता हूं और यह भी स्पष्ट नहीं दिया गया है कि कौन यह कार्रवाई करेगा, निश्चिय ही अगर कोई उपभोक्ता आंदोलन होता है तो यह तो हो ही नहीं सकता कि लाखों उपभोक्ता व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करेंगे, अगर कोई समिति इस बारे में कार्रवाई करती है तो उनमें से प्रत्येक को इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता कि उन्हें क्षतिपूर्ति कैसे मिल सकती है क्योंकि उनमें से किसी एक ने ही उस वस्तु को खरीदा होता है। इसलिए स्टाकिस्ट निर्माता को इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वह लाखों अन्य उपभोक्ताओं को यह अपमिश्रित वस्तुएं बेच चुके होते हैं, इन प्रश्नों को यहां पर प्रस्तुतः नहीं किया गया है।

मैं एक महिला संगठन से सम्बद्ध हूं जो कई बार ऐसे आंदोलन करती हैं। निश्चय ही, उठाया गया प्रश्न कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण से संबंधित है जोकि एक हास्यात्मक प्रस्ताव लगता है। क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि इस कार्य को करने के लिए मेरे संगठन को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए? केवल समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो कर ही हम यह कार्य कर सकते हैं, यह सही है कि इस बारे में सही अध्ययन नहीं किया गया है, इस बारे में विशेष रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ-साथ काले-बाजारियों सटोरियों और मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने की जिम्मेवारी को हमें इन समितियों पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी समस्त अच्छी बातों के साथ यह विधेयक अपना मुख्य कार्य प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में एक प्रसाधक प्रक्रिया बन कर रह जाएगा। मैं समझता हूं कि ये दो बातें बहुत आवश्यक हैं और उपभोक्ता संरक्षण आदि के नाम पर प्रशासनिक संगठन का मुख्य कार्य और मुख्य जिम्मेवारी जोकि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाही करना है गौण नहीं होनी चाहिए।

आखिर में, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इस प्रकार से छोटे-छोटे विधेयक, यहां और वहां आज की स्थिति में कुछ बदलाव ला सकते हैं जहां सारा का सारा बाजार पूंजीवादी व्यवस्था के लिए खुला हुआ है और जहां इसके नियम भ्रष्टाचार को बढ़ाते हों जिसके कारण काला बाजार फलता-फूलता है और लोगों का अधिकतम शोषण होता है। इसलिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल पूंजीवाद से गठबंधन किये हुए है और उपभोक्ता की परेशानी का यही मूल कारण है।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सरकार की ओर से इस प्रकार के कदम का बहुत लम्बे समय से हमको इंतजार था और मैं देश के करोड़ों-करोड़ उपभोक्ताओं की ओर से माननीय भगत जी को और भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस बिल को पेश करते वक्त भगत जी ने एक बात कही थी कि यह बिल किसी के खिलाफ नहीं है। मैं उनसे आग्रह

करना चाहता हूं और उनके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि यह बिल जहां करोड़ करोड़ लोगों के हित में है, वहां पर एक वर्ग के, जिसको हम शोषक वर्ग कह सकते हैं, जिसको हम जमाखोर वर्ग कह सकते हैं, जिसको हम मिलावट करने वाला कह सकते हैं, उस वर्ग के निश्चित तौर पर यह खिलाफ होगा और कानून के अन्दर थोड़ी-बहुत सजा देकर उनके जो व्यापक हित साधन अभी तक होते थे और विभिन्न कानूनों के तहत वे अभी तक पकड़ में नहीं आ पाते थे अब इस बिल के जरिए सारे देश के अंदर मूवमेंट होगी और इस कानून के जरिए जो उनकी जड़ है, वह जड़ कमजोर होगी। इसलिए मैं माननीय भगत जी को जहां इस बिल को लाने के लिए बधाई देता हूं वहीं इस बात के लिए भी वे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस समय जो उनकी जड़ है, उसको पकड़ा है, जो कमजोरी है, उसको पकड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुधा इस सदन में और सदन के बाहर कंजूमर मूवमेंट को बिल्ट करने की बात करते थे, लेकिन कंजूमर मूवमेंट गवर्नमैंट की तरफ से वास्तविक प्रोटेक्शन न होने की वजह से कभी बिल्ट नहीं हो पाया, कभी जोर नहीं पकड़ पाया। इसलिए अब कंजूमर और इस ट्रेड में काम करने वालों को यह बिल प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। हो सकता है कि इस बिल में कुछ तकनीकी खामियां हों, लेकिन उनको हम इतनी जल्दी किसी एक्सपर्ट की नजर से देख नहीं सकते हैं और फिर यह तो एक प्रयोग के बतौर है ॥जब फील्ड में इसको लागू किया जाएगा तब इस पर नजर रखी जाएगी और जो खामियां पाई जाएंगी, उनको उस समय दूर करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार कार्य करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय, माननीय भगत जी ने बिल के उद्देश्य और कारणों में एक बात कही है, मैं उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा—हम इस बिल के द्वारा कंजूमर को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा केवल कौंसिल को बनाने का नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करने का है, लेकिन लोगों को शिक्षित करने का क्या तरीका होगा, किस तरह की मैकेनिज्म होगी, कौंसिल और फोरम बनाने के अलावा किस प्रकार से शिक्षित किया जाएगा, इस बारे में यह बिल निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहता है। हमारे जो प्रचार माध्यम हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग होगा। इस क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको किस प्रकार से सहायता दी जाएगी और कितनी इमदाद दी जाएगी ? इस सम्बन्ध में यह बिल कहीं पर कुछ नहीं कहता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब वे हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दें, तब कृपा करके इस बात को बताने का कष्ट करें कि लोगों को शिक्षित करने काम किस प्रकार से यह बिल करेगा। मात्र "शिक्षित करने" शब्द से काम नहीं चलेगा। क्या व्यावहारिक कदम उठाए जाने हैं, क्या कुछ इमदाद दी जानी है इत्यादि का वे अपने जवाब में अवश्य खुलासा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में कौंसिल और फोरम बनाने की बात कही गई है। यह सेंट्रल लैवल पर बाडी बनाने से, स्टेट लैवल पर बाडी बनाने से या डिस्ट्रक्ट लैवल पर फोरम बनाने से काम चलने वाला नहीं है। बल्कि हमको इसके लिए एक शृंखला खड़ी करनी पड़ेगी इस तरह की बाडी की और इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन लोगों को जो कंजूमर मूवमेंट के क्षेत्र में और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं। जब तक हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जो जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ वातावरण

बनाने के क्षेत्र में ज्यादा कामयाब है और उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि केवल डिस्ट्रिक्ट लैवल का एक फोरम हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। बल्कि यह भी एक प्रकार से ऐसा फोरम मात्र रह जाएगा जिस प्रकार से हमारी और ऐसी सरकारी बाडी होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लैवल फोरम हो वह ज्यादा ब्राड बेस्ड होना चाहिए। इसमें आपने एजूकेशन, ट्रेड और कामर्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लिया है और महिलाओं में लेडीज सोश्यल वर्कर्स को लिया है, यह बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात की है। महिलाएं ही सबसे ज्यादा, इस तरीके की जो मैल प्रैक्टिसेज हैं इस ट्रेड में, उससे कुप्रभावित होती है। लेकिन आपने इसमें कन्ज्यूमर मूवमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया है। जिक्र इस बात का भी होना चाहिए था।

उल्लेख यह भी होना चाहिए था कि उस जिले के अन्दर कन्ज्यूमर मूवमेंट बिल करने के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी प्रमुख व्यक्ति को इस काउंसिल में शामिल किया जाएगा, बल्कि ऐसे एक से अधिक व्यक्तियों को इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट लैवल के फोरम में शामिल करना चाहिए। बल्कि मैं आग्रह करूंगा कि स्टेट लैवल पर भी इस तरीके के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि जो चेयरमैन इसके हों, वह केवल एक सरकारी व्यक्ति मात्र न हों, क्योंकि मंत्री महोदय भी सरकारी व्यक्ति मात्र हैं।

इसमें यदि ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जिसका कमिटमैंट हो, जो उसके अन्तर्गत काम करना चाहे तो आपकी जो मंशा इस बिल के माध्यम से रही है, आपने बिल को मूव करते हुए कहा कि प्रधानमन्त्री की इच्छा से इतनी जल्दबाजी में इस बिल को लाए हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : जल्दबाजी मैंने नहीं कहा।

श्री हरीश रावत : आपने जल्दबाजी नहीं कहा लेकिन तत्परता कहा है। तत्परता का उर्दू शब्द कहने में मुझसे गलती हो गई। इस बिल को जो आप लाए हैं तो वह मंशा तभी पूरी हो पाएगी जब आप इसमें कमिटेड लोगों को, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको रखेंगे।

आपने इसमें बिल का प्रावीजन रखा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर यह जरूर देखें कि हमारी ये सारी काउंसिल्स केवल बिल की कोर्ट मात्र बनकर न रह जायें।

हमारी माननीय सदस्य बहिन गीता मुखर्जी ने भी ठीक ही कहा है, जिसका मैं भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस समय जितनी मिलावटी और सब-स्टेंडर्ड फूड स्टफ बनता है वह बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। हो सकता है ये मेन्युफैक्चरर्स पाली में हों, हमारे डागा जी उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो आपके उपभोक्ता कम्पलेंट करेंगे, तो वह कैसे पकड़े जायेंगे, उसके बारे में निश्चित तौर से आपका बिल शान्त है।

एक शब्द में ड्रग एण्ड कोस्मैटिक बिल के बारे में भी कहना चाहता हूं। सरोज जी इस समय यहां नहीं हैं। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि आज 7,8 बिलों पर एक साथ चर्चा हो रही है तो बहुत से मंत्रिगण यहां देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि सबने अपना भार श्री भगत जी पर डाल दिया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो बिल माननीय भगत जी ने पेश किया हैं, उसकी मंशा की पूर्ति के लिए अमेंडमैंट लाया गया है। मगर इस मंशा की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ड्रग एंड काश्मैटिक एक्ट में ही कोई संशोधन नहीं होता।

इस समय दवा के नाम पर ऐसी ऐसी नशीली वस्तुयें बाजार में बिक रही हैं, सुरा इत्यादि के नाम से, जिनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मगर उनको ड्रग एंड कास्मैटिक एक्ट ड्रग का नाम देता है। जब तक इसमें कोई संशोधन होकर नशे की मात्रा को क्वांटीफाई नहीं किया जाता है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई भी पीड़ित को वास्तव में संरक्षण मिल पाएगा। मैं अन्त में बहुत बधाई देते हुए आशा करता हूं कि जो मंशा हमारी लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं की है वह इससे पूरी होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय सेवाओं के उपभोक्ता होने के आधार पर क्या मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि हमें मध्याह्न भोजन के अवकाश से क्यों वंचित किया जा रहा है ? इस बारे में हमारी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की गई। इस बारे में हम कहां शिकायत करें ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : जब श्रीमती मुखर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई थीं तभी मैं उपाध्यक्ष महोदय से यह कहने जा रही थी कि मध्याह्न भोजन का अवकाश समाप्त न किया जाय। मैं प्रस्ताव करती हूं हम इस बैठक को मध्याह्न भोजन के अवकाश के समय के दौरान भी जारी रखें।

श्री नारायण चौबे : यह घोषणा पहले की जानी चाहिए थी। एक बजकर दस मिनट पर यह बात कही जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोलने वाले सदस्य के भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहती थी।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैंने सदस्य के भाषण के बीच व्यवधान न डालने की सामान्य विनम्रता अपनायी।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। श्रीमान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 18वें सूत्र में यह कहा गया है कि जन वितरण प्रणाली में उपभोक्ता संरक्षण को सबसे अधिक वरीयता दी जाएगी। हमारे देश में उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए कम से कम 12 केन्द्रीय कानून हैं और राज्यों के कानून अलग हैं परन्तु फिर भी अब तक हम वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र कानून बनाने से ही हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि इसके लिए हमें जन आन्दोलन के साथ-साथ लोगों में जागृति भी पैदा करनी होगी। शायद यही कारण है कि इस विधेयक में, उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि "परिषद ऐसा वातावरण पैदा करेगी जिसमें उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। और यह भी बताया गया है कि "जीवन एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं के विपणन के अधिकार को संरक्षित करना।" इस प्रकार इसे एक जन आन्दोलन बनाने के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य संस्थाओं को ज्यादा अधिकार देने चाहिएं ताकि वे लोगों में अधिक जागृति ला सकें। विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता सलाहकार समितियां बनाई गई हैं परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिएं ताकि वे समुचित कार्यवाही कर सकें। इस बारे में स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जहां मूल्य दोषपूर्ण हों, लाभ बहुत ज्यादा हो तथा वस्तु भी दोषपूर्ण हो वहां परिषद तथा अन्य संस्थाओं को

अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए। इन शक्तियों के अलावा परिषदों और अन्य संस्थाओं के उपभोक्ता वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा वितरण का निरीक्षण करने का अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री थामस, माननीय सदस्य ने कहा है कि उपभोक्ता सहकारी समिति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वास्तव में सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया है। सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियों को न केवल प्रोत्साहन दिया है बल्कि उदार शर्तों पर ऋण देने के अलावा करोड़ों रुपए की राज सहायता दे चुकी है। परन्तु श्रीमान, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहकारी व्यवस्था वितरण क्षेत्र में भी लड़खड़ा रही है जहां तक इस क्षेत्र का प्रश्न है सरकार की नीति यह है कि वितरण इन्हीं सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा पर अभी तक सहकारी समितियां इस लक्ष्य को पाने में असफल रही हैं और बिचौलिए इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस स्थिति को हम खाने के तेल और चीनी के मामले में देख सकते हैं। कंट्रोल के कपड़े की बात छोड़िए, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं और इस तरह से कालाबाजारी हो रही है। सरकार ने ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में अनाज के वितरण के लिए राज-सहायता दी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है, वास्तव में आवश्यकता इन सबको ईमानदारी से लागू करने की है।

हमारे देश में उपभोक्ताओं को कोई ऋण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वे उपभोक्ताओं को ऋण व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने के विषय में सोचें ताकि उपभोक्ता इससे लाभ उठा सकें।

श्रीमान्, वास्तव में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के प्रावधानों को निष्ठापूर्वक लागू किया जाय और मुझे आशा है कि इसके द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा सकेगा। अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण जांच तथा वितरण के अधिकार दिए जाने चाहिएं ताकि वे अधिकतर ऐसे उपभोक्ताओं को जो गरीब, आदिवासी और हरिजन हों उन्हें लाभ पहुंचा सके।

[हिन्दी]

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल और उसके साथ जो अन्य सात बिल पेश किए गए हैं, उनका समर्थन करता हूं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को एक नयी दिशा देने में यह अभूतपूर्व कदम है। मैं इस बिल को पेश करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय खाद्य एवं पूर्ति मंत्री, श्री एच० के० एल० भगत को बधाई देना चाहता हूं और उनकी सराहना करता हूं। उपभोक्ता संगठनों को संरक्षण देने के लिए इस सदन में और इस सदन के बाहर बहुत दिनों से, अनेक वर्षों से मांग चल रही थी, लेकिन भगतजी ने जो साहसिक कदम उठाया है, अगर यह कदम उन्होंने इस बार न उठाया होता तो शायद उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने की यह मांग, मांग ही बनकर काफी दिनों तक रह जाती। मैं समझता हूं इस बिल को लाने के पहले मंत्री महोदय को कितने दबाव झेलने पड़े होंगे, उनके रास्ते में कितनी बाधायें उपस्थित की गई होंगी, क्योंकि यहां पर एक निहित स्वार्थ हमारे देश में बहुत दिनों से काम कर रहा है कि इस प्रकार का कोई बिल न आये, लेकिन भगतजी उस निहित स्वार्थ से

बचकर निकल गए और उन्होंने इस बिल को लाने का एक साहसिक कदम उठाया है। उसके लिए वह हमारे ही नहीं, सदन के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के धन्यवाद के पात्र हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बिल से, जैसा मैंने पहले कहा, उपभोक्ता आंदोलन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस आंदोलन को संरक्षण देने में यह प्रभावकारी कदम है लेकिन इस बिल से उपभोक्ता संगठन कैसे मजबूत होंगे, इसकी कल्पना या इसके बारे में कोई बात इस बिल में कही भी नहीं गई है और शायद हो भी नहीं सकती। इसके लिए सारे देश में एक वातावरण बनाना पड़ेगा, उपभोक्ता संगठन खड़े करने पड़ेंगे और यह काम सामाजिक कार्यकर्ताओं का, समाजसेवी संगठनों का हो सकता है। आज हमारे देश में उपभोक्ता संगठन कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है, जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बंगलौर या जो और कुछ बड़े शहर हैं देश के, उनमें कुछ संस्थायें हैं, कुछ संगठन हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है, कस्बों में रहती है, छोटे शहरों में रहती है और इन स्थानों पर उपभोक्ता संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से ही इस बिल का लाभ उठाया जा सकता है। तो ये संगठन कैसे बनेंगे, विशेषकर गांवों में, जहां सबसे अधिक उपभोक्ता रहते हैं और जहां सबसे अधिक लोगों को चोट किया जाता है, जहां सबसे अधिक सब-स्टैण्डर्ड चीजें मिलती हैं, वे भोले भाले किसान, वे सीधे भोले लोग जिनको आप ठीक प्रकार से चीजें दे नहीं पाते हैं वहां उपभोक्ता संगठनों के बिना काम नहीं हो सकता है। इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से उपभोक्ता संगठन खड़े किए जायें, इसके लिए भी मैं समझता हूं कि सरकार को ही रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। जब तक सरकार इसकी रूपरेखा तैयार नहीं करेगी, हमारे देश में शायद गांवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में उपभोक्ता संगठन खड़े करना बड़ी मुश्किल होगी। जब तक उपभोक्ता संगठन खड़े नहीं होंगे, इस बिल की जो मंशा है, वह पूरी तरह से पूरी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। हमारी जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें हैं, उनके वितरण की जो प्रणाली है, वह सारे देश में अलग-अलग है। कहीं-कहीं पर सार्वजनिक वितरण की प्रणाली बहुत अच्छी है, जैसे केरल राज्य में है, जहां अच्छी तरह से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम काम करता है। लेकिन देश के जो दूसरे भाग हैं, दूसरे राज्य हैं, वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी नहीं है। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणालीको ठीक कर दिया जाये तो दैनिक आवश्यकताओं की बहुत सी चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजें उपभोक्ताओं को मिल सकती हैं। काफी दिनों से यह भी मांग चल रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए एक मॉडल-बिल बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में पहले कुछ कार्यवाही सुनने में आई थी, लेकिन बहुत दिनों से शायद संभवतः सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक मॉडल-बिल सारे देश में लागू किया जाए तो इससे बहुत से लोगों को, खास कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को बहुत अधिक राहत मिल जाएगी।

मैं इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए माननीय मंत्री जी यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने साहसिक कदम उठाए हैं, उसी तरह वे एक साहसिक कदम उठायें और सार्वजनिक

वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सारे देश में एक जैसी व्यवस्था के लिए एक मॉडल-बिल पेश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जोरदार समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसकी जो मंशा है, वह पूरी होगी और पूरी होने में हमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूरे सदन का तथा सदन के सभी पक्षों को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।

वास्तव में यह पूरे देश की, सभी वर्गों की, सभी दलों की मांग की जो सभी दलों से सर्वोपरि थी। इसे जिस भावना से समर्थन दिया गया उसके लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं उनके द्वारा दी गई सलाहों, चेतावनियों के लिए आभारी हूं जो उन्होंने मुझे इस विधेयक के लागू करने तथा इसमें कुछ कमियों के बारे दिए हैं। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस भावना से उन्होंने यह सब किया है, मैं भी इसे उसी भावना से ग्रहण कर रहा हूं।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी का यह कहना बिल्कुल सही था कि सेमिनार जनवरी में हुआ था और विधेयक को लाने में एक वर्ष का समय लग गया है; निश्चय ही इसमें एक वर्ष का समय लगा है, इस बारे में आपका सहयोग चाहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जटिल विषय के लिए हमेशा सावधानी से विचार किए जाने की आवश्यकता होती है। मैं कहना चाहता हूं कि सामान्यतः कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता, है विशेष रूप से वे कानून जो भारतीय जीवन की विराट जटिलताओं के साथ सामाजिक तथा आर्थिक मामलों से सम्बन्ध होते हैं या फिर उन स्थितियों से संबद्ध होते हैं जिनमें हम कार्य करते हैं, यह दावा करना कि कोई खास कानून अपने आप में पूर्ण है और यह एक जादू की छड़ी के समान सारे संसार को बदल देगा जो उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करेगा, मैं यह सब दावा करते नहीं जा रहा हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस एक साल में कई संबद्ध व्यक्तियों द्वारा इस बारे में कार्य किया गया। जिसमें नौकरशाही के साथ-साथ विभिन्न संगठनों, पत्रकारों आदि के प्रयत्न शामिल हैं जिन पर हमने विचार किया और इसके साथ-साथ हमें विभिन्न क्षेत्रों से भी अनेकों सुझाव प्राप्त हुए। इन्हें लेकर हमने एक वर्ष तक श्रम किया और अत्यन्त विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस एक वर्ष का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ विधेयक को लाने के लिए किया गया। मैं इसे अपेक्षाकृत स्वस्थ विधेयक इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त इसे एक आदर्श विधेयक कहा गया था। वास्तव में उस समय जनता की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद ही इस विधेयक को लाया गया है और पूरे साल भर इसमें पर्याप्त सुधार किया गया है, इस बात को ही मैं कहना चाहता था।

माननीय सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, मैं उनमें से कुछ के बारे में बात करूंगा कुछ सदस्यों ने एक ही मुद्दे को उठाया है और कुछ अन्य ने अन्य मुद्दों के बारे में बात की है। माननीय श्री माधव रेड्डी ने कहा है कि उपभोक्ता संगठनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से इस बारे में पूर्णतया सहमत हूं कि कोई भी कानून अपने आप में पूर्ण नहीं होता है केवल उसको ईमानदारी से लागू करने से ही हम जनता की समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

जनता एवं संगठित एवं जिम्मेदार उपभोक्ता आंदोलन द्वारा इसे आधार रूप में अपनाया जायेगा। आज नहीं तो कल, हो सकता है शायद तब मैं न रहूं या हो सकता है यह मेरे जीवन काल में ही घटे लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम भारत के उपभोक्ताओं की क्षमता में विश्वास कर सकते हैं चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों कि एक समय वे एक स्वस्थ उपभोक्ता आंदोलन को गांवों से राज्य मुख्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर तक लाने में सफल होंगे। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वे हमेशा ऐसा करने में समर्थ हुए हैं, मैं विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं। कि सरकार को उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए लेकिन इस आंदोलन को सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया जाना चाहिए, न ही सरकार द्वारा नियन्त्रित होना चाहिए और न ही यह एक राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए। इसे एक जन आंदोलन होना चाहिए और जनता के बीच से ही विभिन्न वर्गों तथा पुरुष तथा महिलाओं द्वारा इसमें भाग लिया जाना चाहिए। क्योंकि उन्हें रसोईघर की समस्याओं का पता है और वे खरीददारी करती है। उदाहरण के तौर पर मेरी पत्नी कई बार मुझे प्रायः चेतावनी देती रहती है क्योंकि उसे बाजार की स्थितियों का मुझ से ज्यादा पता है। मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से महिलाएं बाजार की परिस्थितियों से ज्यादा परिचित होती हैं। इसीलिए हमने कहा है कि सभी मंचों में या उपभोक्ता मंचों में कम से कम एक महिला सदस्य आवश्यक होगी। इसका मतलब यह नहीं कि एक ही महिला होगी। बल्कि महिलाएं होगी। इसी प्रकार से परिषदों में भी महिलाएं होनी चाहिए और जब मैं महिलाएं कह रहा हूं तो मेरा आशय विशिष्ट जनों से नहीं है बल्कि उनसे है जो महिलाओं के हितों की देख सके। उन्हें प्रस्तावों पर अडिग रह कर लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या उपभोक्ता संगठनों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए या नहीं। बहुत सारे उपभोक्ता संगठनों ने मांग की है कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मैं अभी तक विश्वस्त नहीं हूं कि सरकार द्वारा उपभोक्ता संगठनों को आर्थिक सहायता देने पर क्या आप उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल कानून बनाने से ही उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। परन्तु इसी बात से कि उपभोक्ता कानून लाया जा रहा है, बहुत सारे स्वय सेवी छोटे संगठनों को गठित करने के लिए बढ़ावा मिला है। मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए है जिनमें बताया गया है कि उन्होंने संगठन बनाए हैं। जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है मेरे विचार से यह एक स्वस्थ सिद्धांत नहीं है कि कोई स्वयंसेवी संगठन अपनी प्रगति के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर रहे। लोगों में क्षमता है और जो इसके लिए समर्पित है उन्होंने ऐसा किया है। मैं आर्थिक सहायता को नकार नहीं रहा हूं परन्तु इस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

श्री माधव रेड्डी ने एक और प्रश्न उठाया कि लोग मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं कर पाएंगे। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि शिकायत के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया, फार्म या फीस निर्धारित नहीं की गई है। यहां तक कि शिकायतें दूर करने वाले मंच को एक पोस्ट कार्ड लिखना ही पर्याप्त है। अब प्रश्न उठता है कि कितना नुकसान हुआ। अगर कोई शिकायत कर्ता नुकसान का अन्दाजा नहीं लगा सकता तो वह कह सकता है कि नुकसान हुआ लेकिन वह उसका अनुमान नहीं लगा सकता तो ऐसे मामले में मंच नुकसान का अंदाज़ा लगाएगा तथा मुआवजा देगा।

इसका उद्देश्य साधारण है और प्रक्रिया भी साधारण है। इस विधेयक में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि बाद में पेचीदगियां पैदा न हों। वास्तव में यह समय पर पर्याप्त राहत पहुंचाने का एक अतिरिक्त साधारण उपाय है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैंने यह जिला स्तर या राज्य स्तर के मंचों के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में कहा था।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इस मुद्दे पर बाद में आना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे अन्य माननीय सदस्यों जैसे श्रीमती गीता मुखर्जी, डा० फूलरेणु गुहा, श्री शरद दिघे ने भी यह मुद्दा उठाया है। अधिकार क्षेत्र के बारे में मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि शिकायत वहीं दर्ज करवाई जा सकती है जहां पर घटना पूरी या आंशिक तौर पर घटी हो। इसका मतलब यह है कि शिकायत कर्ता जिस जिले में रहता है उसी में शिकायत दर्ज करवा सकता है उसे कहीं अन्य जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा प्रश्न है कि हमने इसके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित क्यों किया। हमने कहा है कि एक लाख तक के मामले छोटे मंच के अधिकार क्षेत्र में होंगे तथा बड़े मंच में दस लाख तक के मामले होंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस प्रकार का है। शिकायतें कई किस्म की हो सकती हैं। कोई शिकायत व्यक्तिगत किस्म की हो सकती है। कुछ शिकायतें कई प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित हो सकती हैं। कुछ शिकायतें व्यापक प्रभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है। कहीं तो आपको मुआवजा देने के लिए सीमांकन करना पड़ेगा। इसीलिए हमने मुआवजे दिलवाने की सीमा निर्धारित की। लेकिन यह अन्तिम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह उपाय अपने आप ही सब बुराईयों को दूर कर देगा। सभी अन्य उपाय जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हम तो यह करने जा रहे हैं कि अब खाद्य-अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी। उसकी प्रक्रिया लम्बी है। इसीलिए अदालत उपभोक्ता को कुछ राहत दे सकती है।

एक अन्य प्रश्न जो श्री माधव रेड्डी ने उठाया कि हम कई कानूनों को मिलाकर एक विधेयक क्यों लाए हैं। ठीक है हम इसे इस तरह से रख सकते हैं कि यह विधेयक उन सभी कानूनों पर लागू होगा। परन्तु तब वह मुश्किल हो जाता है। मैं कानूनी तौर पर निश्चित नहीं कह सकता क्योंकि मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं। मान लो कि न्यायालय के सामने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है और उसमें कोई चीज खास तौर से नहीं दर्शाई गई हो तो न्यायालय के सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि सभी कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

देश में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का होना अनिवार्य है। जब तक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार नहीं होंगे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। हमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की आवश्यकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है परंतु उतनी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए। उद्देश्य यह है कि बाजार प्रतिस्पर्धात्मक होने चाहिए और गुणवत्तावाला होना चाहिए। मेरी अपनी राय है कि इस तरह का कानून

गुणवत्ता की दिशा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा क्योंकि अन्य कानूनों के अलावा, एम० आर० टी० पी० अधिनियम अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा घटिया गुणों के लिए एकाधिकार घरानों को अपने अन्तर्गत लाएगा। जैसा कि विधेयक में दर्शाया गया है। हम प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। वास्तव में बाजार में प्रतिस्पर्धा की कोई सीमा नहीं है इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बाजार प्रतिस्पर्धात्मक बन चुके हैं। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का अर्थ है कि प्रतिस्पर्धा का सदा के लिए बढ़ते ही जाना है। हम चाहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक बाजार ज्यादा से ज्यादा बढ़ें।

मैं समझता हूं कि श्री माधव रेड्डी ने सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत सही व अच्छी सलाह दी कि उन्हें बहुत सतर्क रहना होगा। इस समय विधेयक जिस रूप में आपके सामने है वह सभी पर लागू होता है जब तक सरकार किसी को इससे मुक्त न कर दे और इसमें मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि सार्वजनिक क्षेत्र को अच्छी गुणवत्ता क्यों नहीं देनी चाहिए। मैं उनकी कठिनाइयां जानता हूं और समस्याएं समझता हूं। दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र से यह आशा की जाती है कि वह लोगों को अच्छी गुणवत्ता प्रदान करे।

एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया कि अपमिश्रण के मामले में नमूना लेने के लिए कौन भुगतान करता है। इस समय के कानून के अनुसार यह सही है कि जो नमूना लेता है वही उसका भुगतान करता है। यह सही है। मैंने अभी राज्य मन्त्री से बात की कि क्या भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन्हें इस मामले पर गौर करने का अनुरोध करूंगा। वर्तमान कानून के अनुसार शिकायत कर्ता को नमूने के लिए भुगतान करना होता है और अगर उसकी शिकायत सही पाई जाए तो उसका पैसा वापिस कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में है। परन्तु यहां पर अगर किसी व्यक्ति की शिकायत सही पाई जाती है और अदालत को उसे मुआवजा देना है तो उस समय इस चीज को भी मध्यनजर रखा जा सकता है। साथ ही मैं इस मामले को विचार विमर्श के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सुझाऊंगा।

एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया कि कम्पनी अधिनियम केवल वाणिज्य प्रयोजन के लिए है, इसलिए इसके अन्तर्गत कोई अन्य सोसाइटी पंजीकृत नहीं हो सकती। परन्तु, यह सही नहीं है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सोसाइटी पंजीकृत करवाई जा सकती है। आज भी कम्पनी अधिनियम के अन्दर कई धर्मार्थ सोसाइटीज, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन तथा कल्याणकारी संगठन पंजीकृत हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे संगठन बढ़ें। अमेरिका में तथा अन्य देशों में कुछ ऐसे संगठन और पब्लिक कम्पनियां हैं जो अनुसंधान करते हैं, उपभोक्ताओं को शिक्षित करते हैं, शिकायतें दर्ज करवाते हैं तथा इसी प्रकार के कई अन्य कार्य भी करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर लोग पंजीकृत सोसाइटियों के अन्तर्गत ये काम नहीं कर पाते तो उन्हें किसी अन्य कानून के अन्तर्गत तथा कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत करवा कर ये काम करना चाहिए।

अब मैं वरिष्ठ सदस्य प्रो० रंगा के प्रश्न पर आता हूं। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों व्यापार संघों के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों को जहां तक सम्भव हो इन परिषदों तथा मंचों में जगह दी जानी चाहिए। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून जो आपके सामने है निश्चित ही ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है और सरकार भी यही चाहेगी कि उपभोक्ताओं व्यापार

संघों व किसानों के प्रतिनिधियों को इसमें ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए और सरकार के दिमाग में यह बात है कि प्रत्येक संगठन को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में यह सही है कि ऐसी शिकायतें आती हैं कि किसानों को अपमिश्रित उर्वरक व कृषि उपयोग में लाई जाने वाली अन्य वस्तुएं घटिया किस्म की देकर उनका शोषण किया जाता है। यह सही है परंतु इस समय उर्वरक आदि के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं और यह कृषि मंत्रालय द्वारा अन्य कानून के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। यह कानून भी प्रचलित रहेगा परन्तु यह मंच किसानों को मौका देगा कि अगर उसे अपमिश्रित उर्वरक मिलती है तो वह शिकायत दूर करने वाले मंच के पास जा सकता है। इससे भारत के किसानों को तुरन्त राहत उपलब्ध हो जाएगी। मैं यह जरूर कहूंगा कि कुछ उपभोक्ता संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है उनमें से कुछ के नाम श्री माधव रेड्डी ने भी बताए तथा कुछ अन्य संगठन भी हैं। उनमें से कुछ तो उपभोक्ता परिषद के सदस्य पहले से ही हैं और इस क्षेत्र में जो आगे आएगा और अच्छा काम करेगा हम उनकी अवश्य ही सराहना करेंगे।

असली प्रश्न इसके कार्यान्वयन का है। प्रो० रंगा ने पूछा है कि क्या कार्यान्वित किया जाए, किस समय किया जाए और किस प्रकार से किया जाए।

एक अन्य मुद्दा जो श्री थम्पन थामस, बंगाल के एक अन्य सदस्य तथा कुछ और अन्य सदस्यों ने उठाया। उनका कहना था कि यह नौकरशाहों का तंत्र नहीं बनना चाहिए। परिषदें व मंच केवल नौकरशाहों से ही नहीं भरी जानी चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं। नौकरशाही को आप बिलकुल नकार नहीं सकते क्योंकि संविधान तथा अन्य मामलों में यह एक महत्वपूर्ण मंच है। मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी हमने प्रगति की है कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसमें नौकरशाही का हाथ नहीं है। देश ने बहुत ज्यादा प्रगति की है और नौकरशाही का उसमें बहुत योगदान है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि इन संगठनों व मंचों में नौकरशाहों का प्रभुत्व हो या ये उनके द्वारा चलाई जाएं। नौकरशाह उसमें कम से कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं। विभिन्न सलाहकार समितियों में मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सारे गैर-सरकारी सदस्य भी जो वहां होते हैं, कभी-कभी अपनी राय स्पष्ट नहीं दे पाते और वे इसके लिए अपने अधिकारी की तरफ देखते हैं। वे उन्हें अप्रसन्न नहीं करना चाहते क्योंकि आने वाले समय में उन्हें उन्हीं से वास्ता पड़ेगा। इसलिए इस विषय पर हमारा इरादा स्पष्ट है।

संशोधन के सम्बन्ध में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता यद्यपि शायद बाद में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। जैसा कि मैंने विधेयक पर कहा और जिस भावना से आपने इसका समर्थन किया, जहां भी हम पायेंगे कि संशोधन आवश्यक है तो आप देखेंगे कि हम उसमें कोई आनाकानी नहीं करेंगे।

बंगाल के माननीय सदस्य श्री जायनल अबेदिन ने कहा कि इसके घोषित उद्देश्य अच्छे हैं। उर्वरक के बारे में उन्होंने कहा कि अपमिश्रण विभिन्न स्तरों पर होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। अगर आपने विधेयक देखा है तो आपने देखा होगा कि इसने यह प्रावधान किया है कि बेचने वाला, बनाने वाला और अन्य लोगों को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

यह एक प्रतिनिधिक जिम्मेवारी का प्रश्न है। श्री शरद दिघे ने यह प्रश्न उठाया कि शाखाओं की जिम्मेवारी को खत्म कर सरकार इस जिम्मेवारी को बहुत आगे ले जा रही है। हो सकता है कि यह कुछ समस्यायें पैदा करे। यह तो कानूनी तौर पर प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रतिनिधिक जिम्मेवारी का सिद्धांत कोई नया नहीं है, इसे कई कानूनों में स्वीकार किया गया है। हमारा इरादा यह है कि जो भी जिम्मेवार हो, चाहे वह निर्माता हो या वितरण करने वाला हो या थोक व्यापारी हो उनको उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। हम इस बुराई की जड़ में जाना चाहते हैं और अगर इसमें कोई कठिनाई होती है जैसा कि श्री शरद दिघे ने कहा तो हम इस पर पुनः विचार करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने दंड के बारे में कहा। मैं कहूंगा कि इस कानून का स्वरूप ज्यादा क्षतिपूरक है, दण्डात्मक नहीं। परन्तु इसमें अगर एक आदमी को वस्तु बदलने तथा 10,000 रु० मुआवजा देने के लिए कहा जाए और वह न दे तो वह एकदम जेल में नहीं चला जाएगा, क्योंकि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जल्दी और समय से मुआवजा दिलाना है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि जमाखोरों और अन्य ऐसे लोगों को कठोर दण्ड क्यों नहीं दिया जाए। एक और कानून है जिसमें ऐसी शक्तियां दी गई है और वह शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं जिसके अन्तर्गत जमाखोरों, काला बाजारियों व अन्य ऐसे लोगों को बंदी बनाया जाता है। मैंने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिखा है। मैं राज्य सरकारों को सुझाव दूंगा कि वह ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आयें और मुकदमें के अतिरिक्त अगर उनको नजरबंदी सही है तो उन्हें नजरबंद रखा जाए।

मेरे मित्र श्री थम्पन थामस ने कहा कि सहकारी आंदोलन तथा सहकारी सोसाइटियों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। यह सरकार की नीति है और हम उस पर अडिग हैं। हम उनको बढ़ावा देते रहेंगे। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सहकारी सोसाइटियों तथा ऐसे संगठनों को स्वयंही अपने लोगों से अपनी रक्षा करनी होगी। मुझे शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं, न ही मैं कोई निर्णय दे रहा हूं कि ऐसे संगठनों में कई बहुत बड़े-बड़े कांड हो चुके हैं। सहकारी आन्दोलन के नाम पर हम कभी भी धोखाधड़ी नहीं होने देंगे और मुझे आशा है कि आप भी इस बात पर मुझसे सहमत होंगे।

माननीय सदस्य श्री जायनल अबेदिन ने बताया कि आन्दोलन के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि बहुत अनुशासित, मान्यता प्राप्त तथा जिम्मेवार उपभोक्ता आन्दोलन की आवश्यकता होगी। अगर कोई उपभोक्ता किसी को तंग करने के लिए झूठी शिकायत करता है तो ऐसी शिकायत को खारज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह प्रणाली काम नहीं कर पाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को न केवल अपने अधिकार ही समझने होंगे बल्कि अपनी जिम्मेवारियां भी समझनी होंगी। हम अपने देश में बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हजारों वस्तुयें नहीं बल्कि लाखों वस्तुयें छोटे उद्योगों, घरेलू उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में बनाई जाती हैं। इसलिए यह असम्भव है कि हर वस्तु के लिए सरकारी मानक निर्धारित किया जाए। हम आई०एस०आई० को ज्यादा कारगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने एक विधेयक पास किया परन्तु आई० एस० आई० अपनी

पूरी क्षमता के साथ यह सब नहीं कर सकती। इसलिए विधेयक में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक हो या निर्माता द्वारा स्वयं यह कह कर घोषित किया गया मानक हो कि मेरा मानक यह है, तो उस मानक से दूर जाने पर आपको नुकसान होगा। परन्तु जैसा मैंने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है और यह सभी देश वासियों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों व उद्योगपतियों के लिए काम करेगी। मेरे मित्र श्री हरीश रावत ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि यह विधेयक किसी के विरुद्ध नहीं है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह व्यापार व उद्योग के भी हित में है। यह उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा और अगर वह विश्वासनीयता बना लेते हैं तो मुझे यकीन है कि वह औरों से ज्यादा कमा सकते हैं।" इसमें एक हिस्सा व्यापारी और निर्माताओं से सम्बन्धित है तो अन्य हिस्से उपभोक्ताओं से सम्बन्धित है।

श्री जैनुल बशर ने एक प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में उठाया और कहा कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक प्रकार का आदर्श कानून लाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में हम क्या आदर्श कानून ला सकते हैं। इस सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं और उसके लिए मार्ग-निर्देश तथा नियम पहले से बने हुए हैं। आवश्यकता वास्तव में सही कार्यान्वयन की है। मुझे यह संख्या बताने की आवश्यकता नहीं कि कितने लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, उनकी संख्या काफी अधिक है परन्तु इस सम्बन्ध में और बृहत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यह गलत नहीं है बल्कि सही है कि बहुत सारे राज्यों में वितरण प्रणाली अच्छी है परन्तु कुछ राज्यों में संतोषजनक नहीं है। हमने यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों से उठाया है। आज ही सुबह मैं और मेरे सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हम राज्यों में जायेंगे और राज्य सरकारों से इस विषय पर बातचीत करेंगे ताकि वे इस प्रणाली में सुधार लाने का प्रयत्न कर सकें और लोगों तक अच्छी वस्तुयें पहुंचा सकें। केरल के एक माननीय सदस्य ने भारतीय खाद्य निगम का उदाहरण दिया था तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मौजूदा कानून के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को इससे मुक्त नहीं किया जाएगा। आज भी भारतीय खाद्य निगम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से मुक्त नहीं है। उनके खाद्य पदार्थों के मानक है जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम को उससे मुक्त नहीं किया गया है।

उन्होंने एक उदाहरण दिया। मैं केरल के मामले को नहीं जानता—जहां दो करोड़ रुपए फंसे थे—कि ऐसा हुआ था या नहीं। मैं जरूर इस मामले की छानबीन करूंगा और अगर ऐसा हुआ होगा जैसा कि उन्होंने बताया तो मैं निश्चित ही कोई कार्यवाही करने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। परन्तु मैं उन्हें यह भी बता दूं कि अगर मजदूर को गोदाम में जाने दिया जाता है और उसे वहां सड़न की गन्ध से नुकसान पहुंचता है तो वह भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध मुआवजे के लिए मुकदमा कर सकता है। उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का इरादा किसी को नाजायज सुरक्षा देने का नहीं है। मैं खाद्य मंत्री हूं परन्तु मेरा काम उपभोक्ताओं के हितों को देखना है और मैं समझता हूं कि इससे भारतीय

खाद्य निगम की सहायता होगी। मैं यह नहीं मानता कि भारतीय खाद्य निगम सब खराब चीजें ही सप्लाई करता है। ज्यादातर यह निर्धारित मानक के अनुसार ही सप्लाई करता है। इसके पास बहुत सारे गुणवत्ता परीक्षण और प्रयोगशालाओं आदि की व्यवस्था है। परन्तु मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई एक भी घटिया खाद्य पदार्थों का मामला हो।

मोटे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इससे सम्बन्धित कई कानून हैं। इन सबका सही कार्यान्वयन तथा उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। इनमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। परस्पर मिल बैठकर समन्वय करने अर्थात् एक प्रकार से निगाह रखने की आवश्यकता है क्योंकि कई मंत्रालय इससे सम्बन्धित हैं परन्तु अभी तक कोई समन्वय समिति नहीं बनाई गई है। मैं यह चाहता हूं कि एक समन्वय समिति होनी चाहिए जो विभिन्न कानूनों की ठीक से देखभाल करे और देखे कहां क्या कमी है। परन्तु अच्छे परिणाम तभी सामने आएंगे जब लोग इसमें शामिल होंगे और पूरा हिस्सा लेंगे।

वितरण प्रणाली और उचित दर की दुकानों के सम्बन्ध में हमने सुझाव दिया है कि इनमें सुधार लाने का अच्छा तरीका यही है कि निचले स्तर पर लोगों को इसमें शामिल किया जाए। हमने यह भी सुझाव दिया था कि हर उचित दर की दुकान के लिए पांच सदस्यों की एक समिति जिसमें औरतें भी हो, होनी चाहिए जो इसका निरीक्षण करें और उन्हें कुछ अधिकार दिए जाने चाहिये। हमने पहले ही राज्य सरकारों को ऐसे सुझाव दिए हैं। कहीं-कहीं मण्डल व जिला स्तर पर मशीनरियां बना ली हैं। कई राज्यों ने इस ओर कुछ कदम उठाए हैं। परन्तु अगर आप वितरण प्रणाली को और सुधारना चाहते हैं तो केन्द्र को भी कुछ सुधार लाने होंगे और राज्य सरकारों को एक मशीनरी बनानी होगी जैसा कि कुछ राज्यों में है परन्तु कुछ में नहीं है। उनको एक ऐसी मशीनरी बनानी चाहिए जो इन उचित दर की दुकानों पर राशन पहुंचने पर उसके सही वितरण की पूरी जिम्मेवारी ले और यह और भी अच्छा होगा अगर वह सारी वस्तुएं एक साथ लेकर उचित दर की दुकानों को दें। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। एक दिन मैंने कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में एक बहुत बड़ी और अनोखी सेवा है जो शायद ही दुनिया के किसी अन्य देश में उपलब्ध हो। यह इसलिए है क्योंकि एक तरफ यह किसानों की भी मदद करती है। आज हम गेहूं एक निर्धारित मूल्य पर खरीदते हैं। मुझे यकीन है कि सरकार उस मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदती थी। देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है और आज हमारे पास अतिरिक्त भण्डार है। निजी क्षेत्र के व्यापारी गेहूं को उस मूल्य पर कभी नहीं खरीदेगा।

कुछ छूट देने के बाद भी कुछ कमी सम्भव है। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम कीमतों में कमी कर सके। बहुत गम्भीरता से इस पर विचार हो रहा है ताकि हम जहां तक सम्भव हो कीमतों में कमी कर सकें। यह छूट देने के बाद भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की सहायता कर रहा है और ऐसा नहीं है कि इससे कोई लाभ नहीं है। इस देश में यह अनोखी प्रणाली है कि सरकार करीब 2000 करोड़ रुपये की राज सहायता हर वर्ष देती है जिससे किसानों को लाभ पहुंचता है तथा जो लोग उचित

दर की दुकानों से राशन प्राप्त करते हैं उन्हें भी लाभ पहुंचता है। कुछ राज्य सरकारें तो इससे भी ज्यादा सहायता दे रही हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति ज्यादा सजग हैं।

मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक लोगों को कुछ राहत पहुंचाएगा और उपभोक्ता संरक्षण को काफी हद तक बढ़ावा देगा।

मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों को इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत द्वारा विस्तृत उत्तर दिए जाने के बाद मैं नहीं समझता कि अन्य मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ आगे कहना चाहेंगे।

श्री मूल चन्द डागा तथा श्री राम बहादुर सिंह द्वारा संशोधन पेश किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंत्री जी ने अभी बड़ा अच्छा और सुन्दर भाषण दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। अभी 25 तारीख को दिल्ली में स्पीकर्स की एक कान्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया था।

[अनुवाद]

मैं अपने संशोधन पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको संशोधन पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अपने संशोधन को वापिस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन पर बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधन को वापिस ले रहे हैं या उस पर मतदान करवा रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं इस सम्बन्ध में कुछ आगे कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको विधेयक के तीसरे वाचन के समय बोलने का अवसर दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको तीसरे वाचन के समय मौका दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : इस समय बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा सकता ? मैंने अपना संशोधन रखा है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है। जब आप कहते हैं कि यह एक बहुत अच्छा विधेयक है तो इस पर मुझे कुछ मुद्दे उठाने हैं जिसका जवाब माननीय मंत्री जी को देना है। इसमें नुकसान क्या है ? आप इस विधेयक में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विधेयक में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं समझ नहीं पाया हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अभी बोल रहे हैं आप उनको सुनें।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इनको रोक नहीं रहा हूं । माननीय सदस्य को विचार-विमर्श के समय बोलने का अधिकार है । अब विधेयक विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत हो चुका है और अगर उनका कोई संशोधन है और वह संशोधनों पर कुछ बोलना चाहते हैं तो वह बोल सकते हैं । उनका एक संशोधन था कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए । उन्होंने एक संशोधन रखा है अगर वह चाहते तो यह संशोधन भी रख सकते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री एच० के० एल० भगत : अगर वह उस विशेष संशोधन पर कुछ बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए ।

निर्णय तो उन्हें ही करना है । परन्तु पूरे सदन की राय यही है कि कुछ कमी के बावजूद यह विधेयक आज ही पास हो जाना चाहिए और अगर इसे प्रवर समिति को भेजा जाए तो इसमें विलम्ब हो जाएगा । मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें । यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है ।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस प्रकार के संशोधन में सही प्रक्रिया यह है कि माननीय सदस्य को मंत्री के उत्तर से पहले बोलना चाहिए । एक बार उत्तर दे दिया गया तो उसके बाद बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे संशोधन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए । जब मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है तो मुझे उस पर बोलने दिया जाना चाहिए । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । (व्यवधान) माननीय मंत्री ने एक घंटे में जवाब दे दिया । अब मैं कुछ मुद्दों पर बोलूंगा और माननीय मंत्री उसका उत्तर देंगे । यदि माननीय मंत्री मुझे सन्तुष्ट करते हैं तो ठीक है मैं बुरा नहीं मानूंगा । विधेयक पास करने का यह तरीका नहीं है ।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे अफसोस है कि प्रक्रिया ऐसी है । मैं श्री डागा की बहुत इज्जत करता हूं परन्तु उन्हें उत्तर देने का अधिकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : जब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा तब वह बोल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने उन्हें बताया है ।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : मुझे कुछ शब्द बोलने का अधिकार है । क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए । ज्यादा समय मत लीजिए ।

श्री मूल चन्द डागा : "अध्यक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि उपभोक्ता कानून को लागू करने के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए क्योंकि नागरिक आपूर्ति मंत्रालय उद्ग्रहण व

उचित दर की दुकानों को वस्तुओं के वितरण का जिम्मेवार है इसलिए यह इस कानून के कार्यान्वयन के लिए अनुपयुक्त होगा।"

[हिन्दी]

उस स्पीकर्स कांफ्रेंस में यह कहा गया था। अब यह बिल बन गया है और सबने इसको देख लिया है, लेकिन मैं आज यह कह सकता हूं कि कहीं भी इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर लेबोरेट्री में मेरा माल जाता है और उसको एग्जामिन करते हैं, यदि मुझे उस लेबोरेट्री की जांच पर विश्वास नहीं है तो मैं दूसरी लेबोरेट्री में जांच करा सकता हूं। फूड अडलट्रेशन एक्ट में एक आदमी का माल पकड़ा जाता है तो उसको उसका सैम्पल दे दिया जाता है और वह दूसरी लेबोरेट्री में जा सकता है लेकिन इसमें नहीं।

[अनुवाद]

प्रावधान के अनुसार केवल वह फैक्ट्री जहां वह जाता है, एक निर्णायक सबूत होगी। परन्तु वह एक निर्णायक सबूत नहीं हो सकता है।

[हिन्दी]

मुझे क्या मालूम कि इस फैक्टरी में किसी लेबोरेट्री में ईमानदार आदमी काम नहीं कर रहा है। एक बेईमान आदमी है वहां, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि दूसरी फैक्टरी में जाकर जांच करवा सकता हूं। कभी आप बिल को पढ़ें।

[अनुवाद]

पहले उसे डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाना पड़ेगा फिर राज्य फोरम के पास तथा इसके बाद राष्ट्रीय आयोग के पास और अन्त में उच्चतम न्यायालय के पास जाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

आप बताइये, मुझे चीज आज चाहिए और आप प्रोसीजर लाए हैं।

[अनुवाद]

पहले उसे डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ही जाना पड़ेगा, फिर जिला अपील समिति के पास और फिर उच्च न्यायालय यानी कि राष्ट्रीय आयोग के पास.....

[हिन्दी]

दस लाख का ज्यादा है।

[अनुवाद]

वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

यह बहुत लम्बी प्रक्रिया है। तीसरी बात त्रुटि के बारे में है। क्या आपने 'त्रुटि' की परिभाषा दी है? क्या वस्तुए यह बताएंगी कि इन चीजों की आवश्यकता है। कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है.....

[हिन्दी]

इस चीज में यह यह चीजें चाहियें, इन्ग्रीडिएन्टस होंगे

[अनुवाद]

अगर इसमें कोई त्रुटि, अपूर्णता या कमी हो जो आवश्यक हो । अब किस चीज की आवश्यकता है ? कानून द्वारा अपेक्षित है । इसलिए आपको उन आवश्यकताओं के बारे में अवश्य बताना पड़ेगा·····

[हिन्दी]

जिसमें यह-यह चीजें चाहिए ।

[अनुवाद]

सेवाओं के बारे में, मैं यह नहीं समझ पाया कि इन्होंने इन नौकरशाहों को कैसे शामिल कर लिया । सेवा का अर्थ है किसी भी प्रकार की सेवा, सेवा क्या है ? बैंकिंग सेवा, वित्तीय, बीमा··· ये चीजें उपभोक्ताओं से किस रूप में संबद्ध हैं। बैंकिंग सेवा उपभोक्ता सेवा, बीमा सेवा का कहीं भी उल्लेख नहीं है·····

[हिन्दी]

इस प्रकार की सर्विसेज उसमें होंगी ।

[अनुवाद]

राज्य आयोग का आप क्या करेंगे ? ऐसी तीन समितियां हैं । कृपया पहले बात को समझने की कोशिश करें और तभी अपना उत्तर दें, क्योंकि वह कहता है कि·····

[हिन्दी]

सोसाइटी चलायेंगे कैसे ? सोसाइटी को पहले पैसा देना पड़ेगा । कंज्यूमर शिकायत करता है, वह कहता है कि लेबोरेट्री में हमारा माल एग्जामिन कराओ ।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : वह एक सामान्य बहस कर रहे हैं । वह एक विभिन्न स्तर पर इन बातों को कर रहे हैं·····

श्री मूल चन्द डागा : मैं कह रहा हूं कि यह आवश्यक है·····मैं सदन से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि मेरी प्रार्थना पर विचार किया जाए, लेकिन मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि इस पर विचार किया गया या नहीं । मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने अपनी बात को सदन के सभा-पटल पर इस बात को रखा ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने कहा है कि माननीय सदस्य ने अपना सुझाव दिया है और मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : कृपया मुझे समझने की कोशिश करें···

उपाध्यक्ष महोदय : डागाजी काफी हो गया है·····

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मूलचंद डागा : अगर कभी कंज्यूमर गांव का आ जायेगा तो क्या वह फीस जमा करा सकेगा लेबोरेट्री में ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मूल चंद डागा : ठीक है मैं बैठ जाता हूं अभियोग क्या होगा। इतने सारे खंड हैं, कृपया इसे बारीकी से.....

[हिन्दी]

इसको माइन्यूटली देखें, अच्छा होगा। मेरा कुछ नहीं जाता मैं कहने का हकदार हूं। मेरी इससे कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा बिल लाने के बाद क्या उससे कोई उद्देश्य पूरा कर सकेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एच० के एल० भगत : श्रीमान, मैं श्री डागा की प्रशंसा करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे हमेशा ही बोलते हैं। वह बोलने में दक्ष हैं--चाहे उन्हें आता हो या न आता हो पर वे बोलते अवश्य है। जिस भावना से वे बोल रहे हैं मैं उनकी भावना की और समझ की कद्र करता हूं, मैंने स्वयं इस बात को कहा है कि यह विधेयक पूर्ण नहीं हैं लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूं। कि इस समय इसे प्रवर समिति के पास भेजकर समय व्यर्थ करेंगे। माननीय सदस्य ने कई बातें उठाई है जिनमें से कुछ मेरे अनुसार सम्बद्ध है और कुछ असंबद्ध हैं, परन्तु अब प्रवर समिति के पास इस विधेयक को भेजने से कोई फायदा नहीं है। इससे इसमें अधिक समय लगेगा जो उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : ठीक है, मैं आपको लिखकर दे दूंगा कि आप इन प्वाइंटस पर विचार कर लेना।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपके साथ बैठकर इस बारे में डिसकस भी कर लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आप कर लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन,

[अनुवाद]

इतनी सारी बातें हैं इतनी सारी कमियां हैं,

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : जी हां, श्रीमान् !

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति ली है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 3, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामबहादुर सिंह, उपस्थित नहीं हैं। अब मैं श्री रामबहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपबन्ध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगा।

खंड 2 परिभाषाएं

श्री सी० माधव रेड्डी। मैं प्रस्ताव करता हूं।

'पृष्ठ 2, पंक्ति 12,—

(कम्पनी अधिनियम, 1956) के स्थान पर (सोसाइटी पजीकरण अधिनियम 1860) को प्रतिस्थापित करें।' ...4

'पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

अन्त में जोड़ें—

"या परिवाद को स्वीकार करता है पर उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार एवजी देने से इनकार करता है, देरी करता है या बहाने बनाता है"।' ...5

'पृष्ठ 3, पंक्ति 2—

(प्रवृत्त) के बाद (या किसी रीति या प्रयोग द्वारा) अन्तस्थापित करें।' ...6

'पृष्ठ 3, पंक्ति 10—

(प्रवृत्त) के बाद (या किसी रीति या प्रयोग द्वारा) अन्तस्थापित करें।' ...7

'पृष्ठ 3, पंक्ति 13—

(निष्पादित) के बाद (अन्तर्निहित) अन्तस्थापित करें।' ...8

'पृष्ठ 3, पंक्ति 19—

(बनाता) के बाद (या संसाधित) अन्तस्थापित करें।' ...9

'पृष्ठ 3, पंक्ति 21—

(बनाता) के बाद (या संसाधित) अन्तस्थापित करें।' ...10

'पृष्ठ 3—

पंक्ति 33 के बाद

"(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समावेशित कोई कम्पनी"।' ...11

'पृष्ठ 4, पंक्ति 3—

(प्रसंस्करण) के बाद (मरम्मत) अन्तस्थापित करें। ...12

मेरा संशोधन संख्या 5 'उपभोक्ता विवाद' से संबंधित है। विधेयक में यह कहा गया है :

(ङ) "उपभोक्ता विवाद" से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इन्कार करता है या उनका प्रतिवाद करता है।

इतना ही काफी नहीं है क्योंकि वह इसे यह कह कर स्वीकार कर सकता है कि हां मुझसे गलती हुई है; मैंने इसकी आपूर्ति की "और यह कह कर वह इस बारे में और कुछ करने से इन्कार कर सकता है। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि निम्नलिखित को इसमें जोड़ा जाए:—

"या परिवाद को स्वीकार करता है पर उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार एवजी देने से इन्कार करता है, देरी करता है या बहाने बनाता है।"

जब तक वह उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार एवजी नहीं देता है तब तक विवाद बना रहता है क्योंकि यह एक मूल बात है। विवाद का कारण क्या है, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विवाद होने के पश्चात ही प्रतिवादी किसी मंच या आयोग के पास जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विवाद की बात को स्वीकार करने के बाद भी वह एवजी देने में बहाने बना सकता है या देरी लगा सकता है या कोई भी कारंवाई करने से इन्कार कर सकता है। इस स्थिति में 'विवाद' पूर्ववत बना रहेगा। इसलिए मैंने निम्नलिखित को जोड़े जाने का सुझाव दिया है :—

"या परिवाद को स्वीकार करता है पर उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार एवजी देने से इन्कार करता है, देरी करता है या बहाने बनाता है।" अन्यथा त्रुटि बनी रहेगी।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं। मुझे यह बताया गया है कि प्रस्तावित संशोधन खंड 2(ङ) में निहित प्रावधानों का विस्तार मात्र ही है। इसलिए यह उद्देश्य पहले ही पूरा हो रहा है अतः संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : खंड 2 के लिए मैंने और भी प्रस्ताव किए थे···

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन पर एक साथ बोलें। मंत्री महोदय बाद में उत्तर देंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं संशोधन संख्या 11 पर बोलूंगा।

खंड 2(1) में कहा गया है :

(ङ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :

(i) कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई कम्पनी है तो वह इसके अन्तर्गत नहीं आती है। निर्माता एक कम्पनी हो सकता है—वह एक सार्वजनिक कम्पनी या निजी कम्पनी भी हो सकती है। यहां इसे इस तरह दिया गया है कि 'व्यक्ति' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं। कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं। इसे इस तरह से दिया जाना चाहिए कि "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं। कोई कम्पनी कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं कहना चाहूंगा कि मैंने संशोधनों का भरसक सावधानी से अध्ययन किया है कोई व्यक्ति, जैसा कि अधिनियम के सामान्य खंड में परिभाषित किया गया है, के अन्तर्गत कम्पनियां भी हैं। इसके अन्तर्गत कम्पनी अवश्य आती है। इसलिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपने संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान्।

संशोधन संख्या 4 से 12 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 4—केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4 पंक्ति 37—

अन्त में जोड़ा जाए—

"परन्तु सरकारी सदस्यों की संख्या परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के 1/5 से ज्यादा नहीं होगी।" (13)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 37 के बाद अन्तःस्थापित किया जाए :

"(ग) लोक सभा पांच सदस्यों को अपने सदस्यों में से चुनेगी।" (14)

यह परिषद के गठन के सम्बन्ध में है। कई माननीय सदस्यों की राय है कि यह परिषद सरकारी सदस्यों से नहीं भरी जानी चाहिए और सरकारी सदस्यों की संख्या घटा कर परिषद की कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 कर देनी चाहिए।

मेरे दूसरे संशोधन में यह कहा गया है कि इस परिषद में आपको कम से कम पांच सदस्य इस सदन से लेने चाहिएं।

श्री एच० के०एल० भगत : मेरे विचार से ये संशोधन आवश्यक नहीं हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम अधिक संख्या में गैर-सरकारी सदस्यों को रखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि सरकारी सदस्यों की संख्या कम से कम हो। दूसरे, संसद सदस्यों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है तथा उन्हें मनोनीत किया जा सकता है। उन पर हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 13 तथा 14 सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 6—केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 10 के बाद अन्तःस्थापित किया जाए—

"(छ) किसी खतरनाक माल की बिक्री से होने वाली हानि या क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान का अधिकार।" (15)

यह किसी खतरनाक माल की बिक्री से होने वाली हानि या क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान के अधिकार से सम्बन्धित है। विधेयक में ऐसा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। मुआवजे के भुगतान का अधिकार भी इसमें अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए।

श्री एच०के०एल० भगत : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करूंगा। क्षति तथा अन्य बातें पहले ही इसमें स्पष्ट रूप से शामिल की गई हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मुआवजे का भुगतान किसी भी खंड में शामिल नहीं किया गया है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह बिलकुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप तथ्यों तथा अन्य बातों की परिभाषा देखें तो उसमें यह पहले ही शामिल है। अन्यथा इस अधिनियम का कोई मतलब नहीं है। जो आप सुझाव दे रहे हैं या पूछ रहे हैं वह पहले ही उसमें शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 15 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 राज्य परिषद के उद्देश्य

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 5, पंक्ति 19—

"(च)" के स्थान पर "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाए (16)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस संशोधन पर जोर देना चाहते हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अपना संशोधन संख्या 16 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 15 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 5, पंक्ति 25—

"जिला फोरम" के स्थान पर "उपभोक्ता जिला फोरम" प्रतिस्थापित किया जाए।" (17)

पृष्ठ 5, पंक्ति 28—

"राज्य आयोग" के स्थान पर "उपभोक्ता राज्य आयोग" प्रतिस्थापित किया जाए।" (18)

ये संशोधन नाम से संबन्धित है। हम उन्हें "जिला फोरम" "राज्य आयोग" या "राष्ट्रीय आयोग" के नाम से पुकारते हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि इन सभी नामों के साथ "उपभोक्ता" शब्द होना चाहिए। आपको विशेष रूप से उल्लेख करना होगा कि यह "उपभोक्ता जिला फोरम" "उपभोक्ता राज्य आयोग" आदि हैं। मैं चाहता हूं कि 'उपभोक्ता' शब्द सब जगह आना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया गया है इसलिए बहुत स्थानों पर इन्हें ठीक करना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस चरण पर ऐसा करने पर जोर न दें। इससे विधेयक की विषयवस्तु पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए जैसा यह है वैसा ही रहने दीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : ठीक है।

मैं खंड 9 के लिए प्रस्तुत अपने संशोधन संख्या 17 और 18 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 17 और 18 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिए गये

खंड 12—रीति जिसमें परिवाद किया जाएगा

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6 पंक्ति 31,—

"कम्पनी अधिनियम, 1956" की जगह "सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860" प्रतिस्थापित किया जाए" (19)

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं खंड 12 के लिए अपना संशोधन संख्या 19 को वापस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 19 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 जिला फोरम के निष्कर्ष

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

—पृष्ठ 8, पंक्ति 38,

अन्त में जोड़ा जाए—

"और किसी अतिरिक्त भुगतान से भी मुक्त होगा।" (26)

पृष्ठ 8 पंक्ति 41

'विरोधी पक्षकार' के बाद अन्तःस्थापित किया जाए—

"द्वारा आपूर्ति किया गया माल जिसके खतरनाक पदार्थ या उस" (27)

पृष्ठ 9, पंक्ति 3—

अन्तःस्थापित किया जाए—

"(4) यदि धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात् जिला फोरम का यह समाधान हो जाता है कि विरोधी पक्षकार के खिलाफ अपराध मामले के लिए पर्याप्त सबूत है तो जिला फोरम विरोधी पक्षकार के खिलाफ अपराध मामला दर्ज करवा सकती है।" (28)

खंड 14 (1) (क) और (ख) इस प्रकार हैं :

(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना;

(ख) माल को उसी वर्णन के नए माल से बदलना जो किसी त्रुटि से रहित होगा; मैं चाहता हूं कि इसके अन्त में जोड़ा जाए : "और किसी अतिरिक्त भुगतान से भी मुक्त होगा।"

ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वस्तु तो बदली कर देगा परन्तु उसके लिए अतिरिक्त पैसा भी मांग सकता है। मैं चाहता हूं कि बाद में जो वस्तु दी जाए उसके लिए अतिरिक्त कीमत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक संशोधन संख्या 26 की बात है, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि खंड ऐसा बहुत साफ इंगित करता है। संशोधन 27 के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि शब्द 'उपेक्षा' में यह आ जाता है। संशोधन संख्या 28 आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए अन्य अभिकरण हैं तथा कानून हैं जो इस सम्बन्ध में ध्यान रख सकते हैं और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन पर मुकद्दमा चला सकते हैं। इसलिये मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सी० माधव रेड्डी : यदि जिला फोरम यह निष्कर्ष निकालती है कि किसी व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है तो वह मामला अपराध न्यायालय में दिया जाना चाहिये, इसमें हानि क्या है।

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा भी मामला हो, जिला फोरम उसका निर्णय कर सकती है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग भी मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन वास्तव में आवश्यक नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अपने संशोधन संख्या 26, 27 और 28 को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 26, 27 और 28 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 27— शास्तियां

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11 (i) पंक्ति 21—

"या" के स्थान पर "और" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पंक्ति 22—

"अथवा दोनों से दंडनीय होगा" को हटा दिया जाए (23)

पृष्ठ 11, पंक्ति 27—

(i) "या जुर्माने" के स्थान पर "और जुर्माने" को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) "या दोनों" को हटा दिया जाए। (24)

मेरे संशोधन स्वतः स्पष्ट हैं। मैं मंत्री महोदय से इन्हें स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं खंड 27 के लिए प्रस्तुत अपने संशोधन संख्या 23 और 24 को वापस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 23 और 24 सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 28 से 31 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बाट और माप मानक (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे । प्रश्न यह है :—

"कि बाट और माप मानक अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3—खंड 12 क क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 3

"सहकारी संस्था" के बाद "ऐसा व्यक्ति उस संस्था का सदस्य है या नहीं" को अंतःस्थापित करें।" (श्री एच० के० एल० भगत)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये :

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हू।

"कि विधेयक संशोधित रूप में,पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधायक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

कुमारी सरोज खापर्डे : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7, विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० अरुणाचलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री रामानंद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.38 म० प०

काली मिर्च पर उदग्रहणीय निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 29 पर विचार आरम्भ करेंगे।

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : श्री वी० पी० सिंह की ओर से श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 27 नवम्बर 1986 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1235 (अ), जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से काली मिर्च पर उदग्रहणीय निर्यात शुल्क 3 रु. प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 5 रु० प्रति किलोग्राम किया गया है, का अनुमोदन करती है।"

श्रीमान्, काली मिर्च को, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के शीर्षक संख्या 2 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है । मई 1985 से, जबकि काली मिर्च निर्यात वसूली मूल्य 40 रु० प्रति किलो था तबसे इस पर निर्यात शुल्क की दर 3 रु० प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई थी । तब से वर्ष 1986 के दौरान काली मिर्च का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तेजी से बढ़ा है । सरकार काफी समय तक निर्यात मूल्यों की प्रवृत्ति की देखती रही है । काली मिर्च का वर्तमान निर्यात वसूली मूल्य लगभग 65 रु० प्रति किलोग्राम है । इसके अनुरूप, काली मिर्च पर निर्यात शुल्क को 5 रु० प्रति किलोग्राम दिए जाने सम्बन्धी एक अधिसूचना संख्या 473/86सीमा शुल्क दिनांक 27.11.86 जारी की गई है । इसके द्वारा प्रति वर्ष 50000 टन के निर्यात पर अनुमानत 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व के प्राप्त होने की आशा है ।

श्रीमान्, पारम्परिक निर्यात की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं लेकिन यह शुल्क यह सुनिश्चित करने के बाद ही लगाया जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से होने वाले लाभ का केवल आंशिक लाभ ही लिया जाय और इस प्रकार के शुल्क से हमारे निर्यात पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े । निर्यात शुल्क में की गई वर्तमान वृद्धि में भी यही स्थिति है ।

मैं संकल्प पर विचार करने तथा इसे पारित करने के लिए इसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 27 नवम्बर 1986 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1235 (अ) जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से काली मिर्च पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क 3 रु० प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 5 रु० प्रति किलोग्राम किया गया है, का अनुमोदन करती है ।"

श्री तम्पन थामस (मावेलिकारा) : यह एक प्रमुख समस्या है जो केरल राज्य की अर्थ-व्यवस्था को बहुत प्रभावित करेगी क्योंकि विश्व में काली मिर्च से कुल निर्यात का 80 प्रतिशत भारत निर्यात करता है और भारत में कुल निर्यात का 80 प्रतिशत केरल से होता है, काली मिर्च उपजाने वाले तीन प्रमुख राष्ट्र भारत मलेशिया और इंडोनेशिया हैं । इन्हें पहले काली मिर्च के समुदाय के नाम से जाना जाता था । बाद में, ब्राजील के इस क्षेत्र में आने के बाद एक देश और बढ़ गया है । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च की 125,000 टन की खपत है । इस वर्ष अचानक अमरीका ने भारत से काली मिर्च की मांग की है जिसके कारण अमरीका को भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है ।

पहले अमरीका भारत से उस मात्रा में नहीं खरीदता था जितनी मात्रा में अन्य स्थानों से खरीदता था । हमारा मुख्य बाजार यूरोप है, पूर्वी यूरोप के देश ये चीजें भारत से खरीदते हैं । प्राचीन काल में भी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में केरल एक कड़ी रहा है । यूनानी काल के बाद यूरोपीय देशों से लोग केरल में आया करते थे । इस तरह से कोचीन और महाबलीपुरम का विकास हुआ था । प्राचीन काल के दौरान भी केरल से यूरोपीय देशों को काली मिर्च का निर्यात किया जाता था ।

अतः इस समस्या को बहुत गम्भीरपूर्वक देखा जाना चाहिए क्योंकि इसका केरल की अर्थ-व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस पहलू पर गौर किया है या नहीं और अगर नयी टैरिफ दरें लागू करने के आधार पर निर्यात को कम कर दिया जाता है तो यह केरल को कहां तक अत्यधिक प्रभावित करेगा।

मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करें, और मुझे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें अर्थात क्या इस निर्यात शुल्क से केरल के अर्थात् भारत की निर्यात संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा ?

दूसरी बात यह है कि जब मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं, तो मैं काली मिर्च की खेती करने वाले किसानों की विभिन्न समस्याओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काली मिर्च की खेती मुख्यतया ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जिनके पास केवल दो एकड़ जमीन है। इसका आशय यह है कि मध्य वर्ग अथवा निम्न वर्ग के लोग ही इसकी खेती में लगे हुए हैं, जबकि रबड़, नारियल, अदरक और इलायची जैसे कुछ अन्य मसालों की खेती छोटे उत्पादक नहीं अपितु बागानों के मालिक ही करते हैं। काली मिर्च की खेती मध्य वर्ग के लोग करते हैं या जिनके पास केवल 2 एकड़ जमीन है। वे लोग ही इसके उत्पादन में सम्बद्ध हैं। अन्ततः यह राज्य के गरीब और मध्य वर्ग के लोगों पर ही प्रतिकूल असर करता है। अतः जब आप शुल्क को 3 रुपए से 5 रुपए करते हैं, तब आपको इस बारे में काफी सुरक्षा भी देनी होगी। मेरे विचार से सरकार की इस विशेष कारोबार से बहुत लाभ होगा। अगर ऐसा है, तो उसकी खेती बढ़ाने के लिए, संवर्धनात्मक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेंगी। अन्यथा जो आंकड़े मैंने इकट्ठे किये हैं उनके अनुसार, मैं महसूस करता हूं, कि शायद इस कारोबार से भी हमें हाथ धोना पड़े। ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1947 में हम लगभग 80 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा कर रहे थे जबकि बाद में यह घट कर 20 प्रतिशत रह गई है। 1975-76 में यह कम हो गया था। अतः जैसे भी हो, कई बार हमारी बिक्री कम होती है। अब अगर हम शुल्क बढ़ाते हैं तो इसका असर अन्ततः किसानों और वह भी मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग तथा जन साधारण पर ही होता है और इसका भयंकर परिणाम भी हो सकता है। इसलिए ऐसे तरीके निकालने होंगे जिनसे किसानों को अपना उत्पाद बेचने में और यदि वह उसे नहीं बेच सके तो उसके सुरक्षित भंडारों की व्यवस्था करने में सहायता मिल सके और ऐसे मामलों में सरकार को सम्बद्ध होना चाहिए। मैं शुल्क लगाने के विरोध में नहीं हूं। अगर यह पैसा व्यापारियों बिचौलियों और निर्यात करने वालों के लाभ में से लिया जाए तो मैं इस संकल्प का विरोध नहीं करूंगा। मैं इसे खुशी-खुशी मान लूंगा। किन्तु यदि यह अन्ततः गरीब किसानों, खेतिहरों तथा निर्धन व्यक्तियों को प्रभावित करें तो मैं इसके खिलाफ हूं, और इस पर तथा अन्य मुद्दों पर, जो मैं निवेदन करूंगा गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

इसके बाद मैं यह आग्रह करता हूं कि बागानों और छोटे किसानों को सहायता मिलनी चाहिए। अभी खेतों में बाढ़ की वजह से बहुत गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो गई थी। मध्य ट्रावनकोर में, जहां से मैं आता हूं, एक ही बाढ़ से सारी काली मिर्च की फसल बर्बाद हो सकती है। वास्तव में इन फसलों की खेती उन्हीं जगहों पर होती है और वहां की काफी जमीन का उपयोग इस काम के लिए होता है अतः उन लोगों की समस्याओं के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि यह वृद्धि तर्कसंगत है। पिछले साल यह वृद्धि 3 रुपए थी। और उससे पहले मेरे विचार से यह और भी कम थी। 1985 में ही इस शुल्क को बढ़ाकर 3 रुपये किया गया था, और 1985-86 में इसे बढ़ाकर 5 रुपये किया गया है। अब यह जो अचानक आपकी बिक्री बढ़ी है वह कम हो सकती है। और हो सकता है कि ऐसी स्थिति बाद में न आये। अगर स्थिति ऐसी ही रहे, तो इस वृद्धि से बिक्री कम हो जाएगी और अन्त में हम घाटे में रहेंगे। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि जो मुर्गी सुनहरे अण्डे देती है, उसे कभी नहीं मारना चाहिए, जो कि आप अपने इस काम से करने जा रहे हैं। और मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी थोड़ा हमें काली-मिर्च के कारोबार से, किसी भी प्रकार से प्राप्त है, कृपया आप उसे नष्ट नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में किसी और माननीय सदस्य का नाम नहीं होने के कारण मैं माननीय मंत्री महोदय से इस वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री पी० के० गढ़वी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री तम्पन थामस महोदय द्वारा दिये गये तर्कों की सराहना करता हूं। हम सुनहरे अण्डे देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे। इसके विपरीत हम उसको और अच्छा करेंगे। जहां तक काली-मिर्च का सबंध है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य लगभग 65 रुपये प्रति किलो है। जब 1985 में प्रति किलो पर 3 रुपये का निर्यात शुल्क निर्धारित किया गया था, तब यह मूल्य लगभग 40 रुपये था अब मूल्य बढ़ गये है। अतः अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है जिसके लिए मैंने यह के संकल्प रखा है। हमने उसकी गहराई से जाच की है कि क्या इससे हमारे निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने यह भी जांच की है कि इससे देश में हमारी काली मिर्च के उत्पादन में कमी तो नहीं होगी। और दोनों ही मामलों में उत्तर निश्चयजनक है।

पहली बार मैं श्री थामस महोदय की बात से सहमत हूं कि जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, बहुत से प्रोत्साहन तथा इसे गति देने की आवश्यकता है।

सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ योजनायें बनाई गई हैं, और कृषि मंत्रालय द्वारा भी अनुसंधान कार्य के जरिए बीजों की किस्मों में सुधार लाने के लिए और मसालों की खेती के क्षेत्र को अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। अतः लौंग, इलायची, काली मिर्च के उत्पादन मे जहां तक पहली आशंका का सवाल है, मैं यह निवेदन करूगा कि मध्य और निम्न वर्ग के लोग इनकी खेती में लगे हुए हैं, जबकि रबड़ का उत्पादन बड़े लोग करते हैं, और सातवीं योजना में मसालों के उत्पादन में सुधार के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, तथा इस बारे में जो मुख्य क्रियाकलाप अपनाये जाएंगे, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) अधिक उत्पादन वाली काली मिर्च की किस्मों की जड़ वाली कतरनों का उत्पादन तथा विवरण।

(दो) अधिक उत्पादन वाली काली मिर्च की किस्मों के मॉडल बागानों की स्थापना।

(तीन) आदान किटों और छिड़काव वाली मशीनों से काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि करना।

(चार) काली मिर्च में उन्नत प्रबन्ध व्यवस्था का फील्ड प्रदर्शन।

(पांच) केरल राज्य में काली मिर्च के बागानों की पुनर्स्थापना।

(छह) लौंग की पौध का उत्पादन और वितरण जो यहां लागू नहीं है और यह अन्य के बारे में है।

संस्थागत सहायता के बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान कसारगोड़ा में मसालों की फसल का अनुसंधान कार्य किया गया है। यह संस्थान कई प्रकार का शोध कार्य कर रही है। उनमें अधिक उत्पादन वाले विभिन्न मसालों का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, जिनमें काली मिर्च भी आती है, कीटनाशी दवाइयों और बीमारियों पर अनुसंधान-कार्य, उर्वरकों का प्रयोग, पौधों की सुरक्षा तथा फसल काटने के बाद के तरीके और देश में मसालों की फसल की खेती में वृद्धि करने के लिये बहुत-सी अन्य कार्यवाहियां की जा रही हैं।

जहां तक उस मुद्दे का सवाल है जो आपने उठाया था और यह कहा था कि इससे हमारे निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा मैं कहूंगा कि जब 1985 से पहले कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता था। तब हम कितनी काली मिर्च का निर्यात करते थे उसके आंकड़े देता हूं जो हजार मीट्रिक टन में हैं। हमने 20.61 हजार मैट्रिक टन काली मिर्च का निर्यात 198.-82 में किया। जिसकी कीमत 27.98 करोड़ रुपय थी। 1982-83 में हमने 22.59 हजार मैट्रिक टन बाहर भेजे, 1983-84 में 25.79 हजार मैट्रिकटन का निर्यात हुआ। 1984-85 में यह 25.42 हजार मैट्रिक टन था। और 1985-86 में यह 37.62 हजार मैट्रिक टन है।

अत: 1985 में 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से निर्यात शुल्क लगाने के बावजूद हमारा निर्यात कम नहीं हुआ है। इसके विपरीत, इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की दरों में इतनी वृद्धि हुई है, और इतनी मांग है, तब 2 रुपये प्रति किलो की इस वृद्धि से निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता। अत: जैसा मैंने पहले भी कहा है आपको इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने अमरीका को यह मसाला भेजने के बारे में भी मुद्दा उठाया था। हम काली मिर्च मुख्यतया सोवियत संघ, अमरीका, पोलैंड, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, इटली, यूगोस्लाकिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस भेज रहे हैं, और हम अमरीका और सोवियत संघ में इसका काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। हम 7,636 टन सोवियत संघ को निर्यात कर रहे हैं। जिसकी कीमत 104.6 करोड़ रुपये है। और 5,815 टन अमरीका को निर्यात कर रहे हैं। जिसकी कीमत 104.3 करोड़ रुपये है। दोनों देशों में लगभग बराबर मूल्य का निर्यात होता है। बाकी देशों में कितना निर्यात होता है। उसके आंकड़े भी मैं दे सकता हूं।

हर तरह से, सदस्य महोदय की आशंका ठीक नहीं है। यह न्याय संगत नहीं है। इसका खेती पर या देश में इन मसालों के व्यापारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्यात या निर्यात संवर्धन पर भी इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और मैं यह निवेदन करता हूं कि यह संकल्प स्वीकार की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण मेंयह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 27 नम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1235 (अ), जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के जारी होने की

तारीख से काली मिर्च पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क 3 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से बढ़कर 5 रुपया प्रति किलो ग्राम किया गया है, का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

2.53 म० प०

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि किसी बहुमंजिला भवन में एकल अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

खंड 24

कि पृष्ठ 19 में

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये —

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात 28 फरवरी, 1986 को या उससे पूर्व किसी आबंटिती या अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में किसी संप्रवर्तक से अर्जित अधिकार, हक या हित को प्रभावित नहीं करेगी।"

यह आवश्यक हो गया है कि अपार्टमेंट के स्वामियों और आबंटितियों के हितों की रक्षा की जाये और उन्हें लम्बे समय की मुकदमेंबाजी से बचाया जाये। यह संरक्षण आबंटितियों और अपार्टमेंट के स्वामियों के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रस्तावित विधान में संप्रवर्तकों को हटाने की व्यवस्था है जब अपार्टमेंट और सामान्य क्षेत्र आबंटित कर दिये जाते हैं।

ऐसे मामलों में जहां तीसरी पार्टी का सामान्य क्षेत्रों में अर्जित हित है वहां संप्रवर्तक प्रभावित नहीं होते हैं और प्राय: खत्म हो गये हैं। कानून पिछली तारीख से नहीं बनाये जाते हैं और चूंकि इस संशोधन का उद्देश्य साधारण आबंटितियों के हितों की रक्षा करना है इसलिए यह संशोधन आवश्यक हो गया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वह इस संशोधन से सहमत हों।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि किसी बहुमंजिला भवन में एकल अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न-लिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

खंड 24

कि पृष्ठ 19 में

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाये—

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात 28 फरवरी 1986 को या उससे पूर्व किसी आबटिती या अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में किसी सम्प्रवर्तक से अर्जित अधिकार हक या हित को प्रभावित नहीं करेगी।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुझे नहीं मालूम यह संशोधन सदन में अब क्यों लाया गया है। जब पिछले सत्र में दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक पारित किया गया था तो उस समय यह विधेयक नहीं लाया गया था अब इस संशोधन को लागू करने के लिए एक विशेष तारीख का भी उल्लेख किया गया है। यह संशोधन किसके लिए लाया गया है ? माननीय मंत्री महोदय ने इसका कोई कारण नहीं बताया। मेरे विचार से यह धनी लोगों के बचाव के लिए लाया गया है जो कि बहुमंजिला भवनों में रह रहे हैं। अत: मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं जो केवल दिल्ली के बहुमंजिला भवनों मे निवासियों के हित में है।

श्री लक्ष्मण थामस (मवेलिकरा) : यह एक गंभीर मामला है। हमने यह विधेयक बिना संशोधन के पारित कर दिया था अब मंत्री जी संशोधन ले कर आए हैं। इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि हमें इस पर चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसमें बहुत जटिलताएं हैं क्योंकि इसमें विशेष तारीख का उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किसको सुरक्षित करना चाहती है क्योंकि दिल्ली में अपार्टमैंटस बहुत मंहगे हैं। किराएदार वास्तव में परेशान हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इस विधेयक का प्रयोजन उन्हें निश्चित सुरक्षा प्रदान करना है। अब यह सुरक्षा इस संशोधन के द्वारा खत्म की जा रही है। हमने यह विधेयक इस सुरक्षा के साथ पारित किया था अर्थात् कोई भी किराएदार जो वहां रहता है उस सम्पति रखने का अधिकार होगा, वह सम्पति का मालिक बन जाएगा और जो जमीन उस भूसपति से जुड़ी होगी उसका सांझा उपयोग किया जाएगा और जब सांझा उपयोग होगा तो वे सभी अधिकारों के साथ वहां रह सकेंगे। इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब इस संशोधन में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 28 फरवरी, 1986 को सांझा सम्पति का कोई अधिकार प्राप्त था तो वह बना रहेगा। तब इस अधिनियम का क्या प्रयोजन है ? यह एक गम्भीर विवादास्पद प्रश्न है जिस पर हमें बहस करनी होगी। माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है। आज सुबह ही हमने यह संशोधन देखा। आज सदन में बहुत कम उपस्थिति है। मेरे विचार से पार्टी सम्बद्धता के बिना इस पर चर्चा की जरूरत है कि सरकार ऐसा करके किसको बचाना चाहती है और वह क्यों बेचारे किराएदारों को जो इसमें पहले से रहते हैं कुछ व्यक्तियों की दया पर छोड़ना चाहती है। मेरा अनुरोध यह है कि इससे इस कानून का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : माननीय मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस संशोधन की इतनी ज्यादा जरूरत क्या है। स्पष्ट है कि पहले इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की

गई। सदन ने इस विधेयक पर चर्चा की और इसे पारित किया। अब अचानक जो प्रक्रिया अपनाई गई वह भी नियमानुसार नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय से इसकी अनुमति ले ली है क्योंकि आज सुबह ही जब हमने अपना पैकेट खोला तो इस संशोधन की एक प्रति मिली।

3.00 म० प०

इसकी प्रति पहले नहीं परिचालित की गई जैसे कि सभी सरकारी संशोधनों में होता है। ठीक है मैं समझता हूं कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर उसकी छूट ले ली होगी परन्तु मुख्य मुद्दा यह है कि अगर वास्तव में इस संशोधन को रद्द कर दिया जाता है तो जो मूल प्रयोजन है जिसके लिए विधेयक इस सदन द्वारा पारित किया गया था उसमें अब कुछ और जुड़ जाएगा। मैं नहीं जानता कि यह बाद में सोचकर जोड़ा गया या कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के दबाव में आकर लाया गया जो बाद में सामने आए हों। उन्हें यह बताना चाहिए कि साझे भूभाग के सम्बन्ध में वह कौन से अधिकार थे जिन्हें वह पहले सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे और अब उन्हें हटा रहे हैं। मैं नहीं जानता परन्तु प्रेस की यह टिप्पणी है यह सब बड़े निहित स्वार्थी तत्वों के दबाव में आकर किया गया। वास्तव में यह बड़े-बड़े अपार्टमेंट गृहों के निर्माताओं या प्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के दबाव के कारण है कि अब अचानक यह असाधारण प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सामान्यतः ऐसा कभी नहीं किया गया। सरकार अब अचानक यह संशोधन ले आई। इसलिए अगर यह मूल विधेयक के प्रयोजन को खत्म करता है तो हम निश्चित ही इससे सहमत नहीं हो सकते। उन्हें पूरी बात को खुलकर तथा स्पष्ट रूप से हमें बतानी चाहिए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपको मालूम है कि कल राज्य सभा में एक माननीय सदस्य ने यह संशोधन प्रस्तुत किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह सदस्य कौन है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह राज्य सभा में श्री आनन्द शर्मा ने प्रस्तुत किया था। यह राज्य सभा के एक सदस्य ने राज्य सभा में प्रस्तुत किया था और उस सदन द्वारा पारित कर दिया गया। इसीलिए अब यह इस सदन में आया है। आप प्रक्रिया जानते हैं। हम यह संशोधन इस सदन में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं बल्कि राज्य सभा ने कल इसे पारित कर दिया था। इसीलिए अब यह इस सदन में लाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त को 28 फरवरी, 1986 की तारीख पर आपत्ति है।

[हिन्दी]

मैंने अभी बताया है कि हम यह अमेंडमेंट क्यों लाये हैं ? हम ओनर्स को लिटिगेशन से बचाना चाहते हैं। अगर किसी ने 15-20 साल पहले मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनायी और उस मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग के जो एपार्टमेंट ओनर्स है, उनके रिलिफ के लिए यह लिया गया है। इससे पहले यह बिल 30 अप्रैल को पास किया है। 28 फरवरी इसलिए ली गई है।

[अनुवाद]

क्योंकि यह विधेयक 28 फरवरी, 1986 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इसीलिए संशोधन में 28 फरवरी, 1986 लिखा गया है।

[हिन्दी]

यह इस परपज को डिफिट नहीं करता है। मैं मैम्बरान साहब की इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करती हूं कि हम किसी प्रेशर से या किसी बिल्डर की लाबी वगैरह से प्रेशराइज हुए हैं। आप इसमें देखिए कि कहीं बिल्डर्स आते नहीं हैं। इसलिए कहीं से भी यह इंटरेस्ट क्लैश नहीं होता है कि हम कोआपरेटिव सोसायटी, डी. डी. ए. या किसी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, उसको हम कोई ओनरशिप दे रहे हैं। चार से ज्यादा जिनके फ्लैट होंगे उन पर यह लागू होगा और जिनके पास चार से कम हैं उनके लिये आपशन है कि वह आना चाहें तो आयें। इससे पहले उनको हैरिटेबल राइट नहीं था, ट्रांसवर करने का राइट नहीं था और न ही माडगेज करने का राइट था। इस ऐक्ट के तहत वह सारे राइट्स एपार्टमेंट ओनर्स को मिल रहे हैं। सिर्फ इसमें जो अमेंडमेंट है उसमें यह कहा गया है कि रिट्रोस्पैक्टिव की बजाय प्रोसपेक्टिव इफेक्ट से इसे लिया जाये। यह भी इस वजह से किया गया है क्योंकि किसी ने पिछले 15 साल में कामन यूज के प्लेस किसी तीसरी पार्टी को दे दिये। इससे बिल्डर्स बीच में नहीं आता है। जिस पार्टी ने या किसी छोटे आदमी ने उसे लिया है तो उसके लिए लिटिगेशन के दरवाजे खुलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी कोई लिटिगेशन नहीं हुआ है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : ऐक्ट ही नहीं है तो लिटिगेशन कहां से होगा? हम इस ऐक्ट के तहत यह हक दे रहे हैं कि कामन यूज के जो प्लेसिज हैं, उस एरियाज में जो लोग रहते हैं, उसमें जो एपार्टमेंट डीड होगी, उसके जरिये से ओनर्स को अपने एपार्टमेंट्स का राइट दिया जाएगा। यह सिर्फ कामन-यूज के जो प्लेसिज हैं उसके लिए ही है और 28 फरवरी के बाद वालों पर ही यह लागू होगा। पुराने 15-20 साल के प्लेसिज हैं, उसके हजारों केसिज हमारे पास आये। उन सबकी वजह से ही इस बिल को लाया गया है। हम किसी लाबी के प्रेशर से या किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए यह लाये हैं, यह सोचना ठीक नहीं होगा। इसमें तो न जाने कितने लिटिगेशन होंगे।

[अनुवाद]

हम पहले से ही उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए यह संशोधन लाया गया है।

श्री तम्पन थामस : एक बात मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। निश्चित तिथि निर्धारित करने से क्या अपार्टमेंट के मालिक दो तरह के नहीं हो जाएंगे, जिनके पास अपार्टमेंट हैं उनके लिए एक विशेष कानून होगा और जिन्हें बाद में अपार्टमेंट मिलेंगे उनके अपार्टमेंट इस संशोधन की वजह से नियमित नहीं होंगे। उनका नियमन नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि।

"किसी बहुमंजिला भवन में एकल अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दायग्राह्य और अंतरणीय बनाने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

खंड 24

कि पृष्ठ 19 में,—

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए —

"परन्तु यह उपधारा की कोई बात 28 फरवरी, 1986 को या उससे पूर्व किसी आवंटिती या अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में किसी संप्रवर्तक से अर्जित अधिकार, हक या हित को प्रभावित नहीं करेगी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को लेते हैं । प्रश्न यह है कि :

खंड 24

पृष्ठ 19 में-

पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु यह उपधारा की कोई बात 28 फरवरी, 1986 को या उससे पूर्व किसी आवंटिती या अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में किसी संप्रवर्तक से अर्जित अधिकार, हक या हित को प्रभावित नहीं करेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं प्रस्ताव करती हू कि

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गए संशोधन पर सहमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गए संशोधन पर सहमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.07 म०प०

बालक श्रम (प्रतिषेध. विनियमन) विधेयक-जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री पी० ए० संगमा द्वारा 3 दिसम्बर, 1986 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव को आगे विचार के लिए लेते हैं, अर्थात :

"कि कुछ नियोजनों में बालको के लगाये जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के कार्यों की शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

श्री श्याम लाल यादव । आप पहले ही नौ मिनट का समय ले चुके हैं ।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : गलीचा उद्योग पूर्ण रूप से एक कुटीर उद्योग है । गलीचा बुनना एक पारिवारिक मामला है । गलीचा बनाने की कला को जीवित रखने के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों को इसमें सक्षम करने की प्रथा है । बुनकर अपने घर में गलीचे बुनता है जो उसका एक सहायक पेशा है जो महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुरूप कृषकों तथा

अर्ध-कृषकों के लिए बहुत सहायक है। गलीचा बुनकरों को श्रमजीवी वर्ग नहीं समझा जाना चाहिए। वह ग्रामीण शिल्पकार हैं जो एक लाभदायक सहायक पेशा करते हैं।

3.08 म०प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

ज्यादातर ये बुनकर कृषक और अर्ध-कृषक वर्ग के लोग होते हैं जो अपनी मुख्य जीविका के लिए खेती का काम करते हैं और जब खेती का काम नहीं होता तो गलीचे बुनते हैं। फसल बुवाई और कटाई के समय गलीचों का उत्पादन बहुत प्रभावित होता है परन्तु जब खेती का काम नहीं होता तो इसका उत्पादन काफी अच्छा होता है। यह एक आदर्श प्रणाली है जिसमें उत्पादन बढ़ने की बहुत सम्भावना है और इसमें बाधा डालने की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

गलीचा उद्योग में बुनने के अतिरिक्त अन्य कामों के लिए जैसे नक्शानवीस, जिल्दसाज, छपाई, रंगरेज, धुनाई आदि में शायद ही बाल श्रमिकों के लिए काम हो। हर वर्ग महत्वपूर्ण कार्य करता है परन्तु सभी वर्ग अलग-अलग हैं।

पहले मैं बाल श्रम पर राज्य श्रम मंत्रियों की समिति जिसके अध्यक्ष गुजरात के श्रम मंत्री श्री शांताभाई मेहता थे, की रिपोर्ट पर बोला था।

मैं समझता हूं कि उस समिति ने हाल ही में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ दिलचस्प अध्ययन किये गये हैं और उसके निष्कर्ष व्यावहारिक हैं और उन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। मेरे विचार से सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया होगा। उन्होंने भदोही, वाराणसी, और मिर्जापुर जो गलीचा बुनने की पट्टी है उसका दौरा किया और गलीचा उद्योग का बड़े विस्तार से अध्ययन किया। मैं समझता हूं कि समिति का अवलोकन और सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका अनुसरण करना चाहिए।

बालक श्रम की समस्या को न तो बहुत आसान समझा जा सकता है न इसे बिल्कुल अलग समस्या समझ कर हल किया जा सकता है। यह हमारे सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे का एक अत्यन्त पेचीदा हिस्सा है जिसके लिए कोई आसान अथवा तत्काल हल नहीं सोचा जा सकता। अब बालक श्रम की जड़ें निश्चित ही गरीबी में है। अतः समिति की सिफारिशों में ऐसे विशेष सुझाव दिए गए हैं जिन्हें शीघ्रता से लागू किया जा सकता है और उसके अन्य सामान्य सुझाव हैं जिनका लक्ष्य विकास तथा शिक्षा के क्षेत्रों में योजना की एकीकृत प्रक्रिया के रूप में धीरे-धीरे बालक श्रम को समाप्त करना है।

कई उद्योग तथा व्यापार ऐसे हैं जो छोटी जगहों पर ही चलते हैं और कभी-कभी घर पर भी, इनमें शिल्पकला सीखने की प्रक्रिया है और यह बच्चे को सीखने का मौका देता है ताकि वह आने वाले वर्षों में लकड़ी तराशने, गलीचा बुनाई, सिल्क कसीदाकारी, जरादोजी, हथकरघा बुनाई आदि का एक अच्छा शिल्पकार बने। यह पारंपरिक शिल्पकला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और इन शिल्पकलाओं को जीवित रखने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मामलों में समिति ने महसूस किया कि बच्चे को वंशानुक्रम से यह शिल्पकला सीखने के लिए किसी कम से कम कम आयु का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह किसी प्रतिकूल पर्यावरण में काम नहीं करता बल्कि वह अपने घर में ही काम करता है और इसी कारण से इस विधेयक में वर्कशापों को भी जो उसके परिवार द्वारा चलाई जा रही हो, इससे मुक्त करता है।

समिति ने, बालक-श्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए, सरकार द्वारा इस बारे में एक समयबद्ध कार्य-योजना पर विचार करने की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया। समिति का यह विचार था कि यह कार्य-योजना व्यापक होनी चाहिए, ताकि इसके अन्तर्गत शिक्षा एवं आर्थिक विकास सहित विधान कल्याणकारी कार्यक्रमों का समावेश किया जा सके जिन सबका लक्ष्य एक निश्चित समय के भीतर बाल श्रम को समाप्त करना हो।

समिति ने यह भी महसूस किया कि वे सभी शिल्प और दस्तकारी की वस्तुयें जिनका निर्माण निर्यात के लिए किया जाता है,—यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे देश में गलीचे केवल निर्यात के लिए बनाए जाते हैं—और जिन्हें सरकार द्वारा राज-सहायता दी जाती है, उन सबको राज-सहायता देने के लिए एक शर्त रखी जानी चाहिए कि जो नियोक्ता इस तरह की वस्तुओं के निर्माण के लिए बालक श्रमिकों को नियुक्त करता है तो उसे उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य की जांच संबंधी सुविधाओं को जुटाना होगा।

यह देखा गया है कि मजदूर संघ बाल-श्रमिकों की नौकरी के विभिन्न पहलुओं से सक्रिय रूप से संबद्ध नहीं हैं। इस विधेयक में भी मैं मजदूर संघों की संबद्धता को नहीं पाता हूं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस क्षेत्र में मजदूर संघों का सहयोग प्रभावी रूप में निश्चित करे, ताकि वे बालक-श्रम को समाप्त करने के अन्तिम लक्ष्य के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकें। मजदूर संघ को, नियोक्ताओं द्वारा बाल-श्रमिकों का शोषण किए जाने के बारे में, जनता में चेतना जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए।

बालक-श्रम को समाप्त करने के लिए हमें उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना पड़ेगा जिनके बच्चे गरीबी के कारण काम करने के लिए मजबूर हैं। जहां कहीं बाल श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो, वहां सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह एक उपयुक्त स्तर पर विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए साधनों को उपलब्ध कराने में समुचित ध्यान दे। इस बारे में मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि उद्योगों से बाल-श्रमिकों के कल्याण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि के बारे में कुछ कर लिया जा सकता है। जैसे कि बीड़ी उद्योग से इस संबंध में कर लिया जाता है। ठीक ऐसा ही गलीचा उद्योग से भी किया जा सकता है।

बाल-श्रमिकों के जीवन के कई पहलुओं को बताने के बाद, मेरी राय में यह संभव नहीं है कि देश की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वर्तमान कानून में कोई बड़ा परिवर्तन किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा कि पहले ही ऐसे कानून मौजूद हैं जिनके अनुसार बच्चों को किसी कारखाने या अन्य जगह नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए कानून हैं, बाल श्रमिकों के कल्याण तथा उनके कौशल के विकास के लिए प्रावधान किया गया है जिससे कि नियोक्ता के लिए ये श्रमिक अब फायदे का सौदा नहीं रहे हैं ऐसा अपेक्षाकृत छोटे किंतु ठोस उपायों से ही संभव हो पाया है कि भविष्य में हम बालक श्रम को समाप्त करने में सफल होंगे।

उपयुक्त आधारों पर, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन पर ध्यान देंगे कि गलीचा बुनाई को विधेयक की अनुसूची से हटाया जाये, क्योंकि इससे इस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी विधेयक में संस्थाओं, सरकारी स्कूलों या संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली कार्यशालाओं को इससे अलग रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में दिए गए सभी उपबन्धों में स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, और फिर, गलीचा बुनाई का

कार्य घरों में, गांवों में, परिवारों द्वारा किया जाता है | न कि एक छत के नीचे किसी उद्योग के अन्तर्गत । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और माननीय मन्त्री महोदय इसे विस्तार से देखें तथा चाहें तो एक विशेषज्ञ समिति इस बारे में नियुक्त की जा सकती है जो इन सब बातों को विस्तार से जान सकती है तब वे अपने आप देख सकते हैं कि यह तर्क न्यायसंगत है या नहीं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : श्रीमती किशोरी सिंह, कृपया पांच मिनट से ज्यादा समय न लें । कृपया संक्षेप में बोलें । आज हमें अन्य कार्यों को भी समाप्त करना है ।

श्री नारायण चौबे (भिंडनापुर) : आप इसे अपने आप ही 'श्री हां' 'जी नहीं' कहकर समाप्त क्यों नहीं करते ?

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें । श्रीमती सिंह आप जारी रखें ।

श्री नारायण चौबे :.....**.....

सभापति महोदय : यह आक्षेप है । इसलिए इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : धन्यवाद सभापति महोदय, कि आपने मुझे काफी प्रतीक्षा के बाद इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे सुनें । कृपया जब तक मैं अपनी बात समाप्त न करूं तब तक आप घंटी न बजायें । अन्यथा मैं निराश हो जाऊंगी ।

सभापति महोदय मैं विधेयक का समर्थन करती हू लेकिन मुझे थोड़ी निराशा भी हुई है । गुरुपदस्वामी समिति ने 1979 में एक व्यापक विधान की सिफारिश की थी जिसमें लगभग 14-15 अधिनियमों में बालक-श्रम से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित किया गया जो इस विषय से संबद्ध हैं जैसे फैक्ट्री अधिनियम बागान श्रम अधिनियम और खदान अधिनियम आदि । हमारे माननीय मंत्री ने पहले के मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस बारे में एक व्यापक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया जायेगा ।

एक निर्धारित समय के भीतर बालक-श्रम को समाप्त करने के संकल्प को पूरा न करने से भी मुझे निराशा हुई है । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा एवं हमारे संविधान में भी बालक-श्रम पर रोक लगाने की बात कही गई है । मैं इस बात से सहमत हूं कि जब हमारे 27 करोड़ से भी अधिक देशवासी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहें हैं तब बालक-श्रम को एकदम समाप्त करना व्यावहारिक नहीं होगा ।

आज बालक अपने परिवार के लिए एक सम्पत्ति के समान है जो अपने परिवार की कुल कमाई का लगभग 23 प्रतिशत कमाता है । यह भी बालक-श्रम जारी रहने का एक कारण है ।

इसलिए यह अनिवार्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा पोषाहार और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध किए जायें, ताकि समय बीतने के साथ बच्चा एक निपुण कारीगर बन सके ।*

निम्नतम मजदूरी को बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिऐ और इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इन्हें शोषण के प्रति पूरी तत्परता से लागू

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

किया जा सके । हम सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर वयस्कों को मजदूरी अच्छी मिले तो वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर नहीं होंगे । दुर्भाग्य से बालक श्रम से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है । इसके अलावा दण्ड इतना कम था कि यह इसका निवारण नहीं कर सका ।

मुझे खुशी है कि इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने के लिए दण्ड को बढ़ा दिया गया है । अब कोई भी व्यक्ति इस बारे में शिकायत कर सकता है जिसके कारण लोग बच्चों का शोषण करने में डरेंगे । मुझे आशा है कि अधिकारी इन प्रावधानों को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे ।

हाल ही में बच्चों पर हुई स्टार्क की बैठक में इस बात को उठाया गया और यह बताया गया कि अधिकतर मामलों में बालक-श्रम सस्ता होने के कारण वयस्कों की जगह बालकों को लगाया जाता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि काम करने के घंटों का 6 घंटों से कम किया जाए, क्योंकि विधेयक में 6 घंटे कहा गया है । अगर कोई बच्चा 6 घंटे काम करता है तो क्या यह न्यायसंगत है । क्या उसमें ऐसा करने की क्षमता होगी । और क्या 6 घंटे काम करने के बाद उसमें स्कूल जाने की क्षमता और रुचि होगी । इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि बच्चों के लिए कार्य के घंटे 6 घंटे से कम किए जाएं ताकि वह कौशल सीखने स्कूल आदि जा सकें । सारे विश्व में कार्य घंटे घटाने की प्रवृत्ति है । मेरा सुझाव है कि हमारे देश में भी कार्य करने के घंटे कम किए जाएं ।

पारिवारिक श्रम द्वारा किए जाने वाले कार्यों को छूट देने के प्रावधान से इसके दुरुपयोग किए जाने की संभावना है । कुछ कारीगर समूचे परिवार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं । जहां बच्चों को बचपन से ही देर तक काम करना सिखाया जाता है तथा उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा जाता है । कारीगरों की गरीबी के कारण ही वे गुलामों की तरह श्रम करने को मजबूर होते हैं । विशेषत: बुनकरों, कुम्हारों, मोचियों तथा लुहारों आदि के ऐसे हजारों धन्धे चल रहे हैं । इस विधेयक में इनकी बात नहीं की गई है । इसके कारण इन धंधों में बालक-श्रम जारी रहेगा जिसके कारण वे लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि पारिवारिक उद्योगों में भी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए ।

इस विधेयक को, गरीबी के आधार पर भी देखा जाएगा जिससे बालक-श्रम द्वारा जारी रहता है । क्या इससे इस चक्र को तोड़ने में सहायता मिलेगी । केवल कुछ उद्योगों में ही बालक-श्रम पर रोक की बात इस विधेयक में कही गई है । अन्य कई उद्योगों जैसे सिलिका कांच व स्लेट उद्योगों में बालक श्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई तकनीकी सलाहकार समिति नहीं बनाई जाएगी जो इन्हें प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं करेगी ऐसी उपाऊ प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा क्यों की जाए ? क्या सरकार इस बात को नहीं जानती कि फिरोजाबाद की कांच फैक्टरियों में बच्चे बड़ी-बड़ी भट्टियों के सामने 1200 डिग्री तापमान पर कार्य करते हैं । क्या इस प्रकार की स्थिति की कोई खबर नहीं दी गई ? स्लेट फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे 5 वर्ष सिलिका के धुएं में काम करने के बाद अपंग हो जाते हैं । अक्सर देखा जाता है कि पूरा का पूरा परिवारपत्थर की खदानों में काम करते हैं इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से सरकार इन्हें सूची में शामिल न करे । इस विधेयक के प्रावधान

अधूरी कोशिशें हम बच्चों को नहीं बचा सकती। काश! सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रीय बाल कल्याण मण्डल की सलाह ली होती। माननीय मंत्री महोदय को हमें यह भी अवश्य बताना चाहिए कि वह कब विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और बच्चों को काम से छुड़ाकर शिक्षा देने की 45 करोड़ रुपए की योजना जो शिवकाशी और मिर्जापुर में लागू की जाएगी कब शुरू कर रहे हैं। किशोरावस्था के श्रमिकों के लिए क्या किया जा रहा है, हमारे देश में ये कुछ काले धब्बे हैं।

मैं इन काले धब्बों को दूर करने के लिए जाने वाले सभी उपायों, चाहे वे कितने अपर्याप्त क्यों न हों की प्रशंसा करता हूं। क्योंकि जिस देश ने अपने बच्चों के साथ लम्बे समय तक गरीबी और दरिद्रता के कारण अन्याय किया हो वहां एक छोटा सा अच्छा कार्य भी काफी अहमियत रखता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : श्रीमान, इस विधेयक का नाम सर्वथा अनुपयुक्त है क्योंकि यह बालक-श्रम का निवारण नहीं करता है, यह बालक श्रम को मान्यता देता है, स्वीकार करता है तथा इसे नियमित करने की परिकल्पना करता है।

सभापति महोदय : प्रतिषेध और नियमन।

सैयद शाहबुद्दीन : यह अनुपयुक्त है कम से कम आंशिक रूप से तो अनुपयुक्त है ही। मेरी राय में यह विधेयक एक मजाक है। यह अपर्याप्त है तथा इसकी अवधारणा ही गलत है। माननीय मंत्री महोदय ने आत्म प्रवंचना के क्षणों में हमारे भूत को हमारे भविष्य सुबह की ताजगी को रात के अंधेरे बचपन को बुढ़ापे आदर्शवाद को भौतिकवाद, सहानुभूति को लाभ के और निर्दोषता को अनुभव और बच्चे को बुजुर्ग के सामने ला खड़ा किया है।

माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा करके देश के साथ न्याय नहीं किया है।

हम बच्चों के अधिकार पर विश्व घोषणा पत्र के आधार पर यह कह रहे हैं, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। हम 'सार्क' शिखर सम्मेलन के बंगलौर घोषणा पत्र के आधार यह कह रहे हैं जो बच्चों के अधिकारों की बात करता है तथा उनके विकास के लिए एक वातावरण बनाने का वादा करता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बच्चों के अधिकारों की घोषणा के पाठ से वह पैराग्राफ पढ़सकूं। मैं संविधान के अनुच्छेद 24 और 39 के जानकारी के आधार पर ही कह रहा हूं मैं मानता हूं कि इसमें कोई तकनीकी उल्लंघन नहीं है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतवाद योग्य नही है। वे केवल मार्ग दिखाते हैं और उन्हें हमारा मार्ग दर्शक बने रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक प्रतिगामी कदम है। यदि संविधान की शब्दों का उल्लंघन नहीं है तो यह उसकी भावना का उल्लंघन तो है ही। यह भारतीय समाज की असफलता है कि 1938 में भी बिल्कुल ऐसा ही एक कानून बना था और 50 साल बाद भी हम शब्दावली और खंड वही के वही दोहरा रहे हैं, जैसा कि उपनिवेशी सरकार ने बनाया था।

यह शर्म की बात है मुझे पता है कि केवल सामाजिक कानून से हम समाज को बदल नहीं सकते। हमारे समाज में अनेक सामाजिक और संसदीय कानून बनाये गये, जिन्हें कभी लागू नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि काफी कानून लागू नहीं हुए हैं। अगर यह सच है तो मैं यह पूछूंगा कि दोष किसका है? क्या यह प्रशासन का कसूर नहीं है? क्या यह सरकार की गलती नहीं है कि ये कानून लागू नहीं होते हैं और पुस्तकालयों में पड़े रहते हैं? मैं

माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में कितने मुकदमें चलाये गए हैं ? यदि हम दांडिक खंडों को ज्यादा सक्त बनाने संबंधित इस कानून को पारित कर भी दें तो वह क्या गारंटी दे सकते हैं ? कितने मुकदमे चलाए जायेंगे ? वे नहीं चलाए जायेंगे क्योंकि हम 'इंस्पेक्टर-राज' में रह रहे हैं। यह कानून 'इंस्पेक्टर राज' को और बढ़ावा देगा। इस कानून से केवल कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आय के रास्ते खुलेंगे। मूल बात यही है कि रोजगार और शिक्षा को अलग नहीं किया जा सकता। अनिवार्यतः ये दोनों चीजें बच्चों के लिए परस्पर जुड़ी हुई है। संबंधी है। जब तक हम इस सांविधानिक गारंटी को कार्यरूप नहीं देते कि सभी 4 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य होगा, और उन्हें समान एवं समरूप शिक्षा मिलेगी। जो गारटी माननीय मंत्री ने दोहराई है। जो नई शिक्षा नीति के मामले में अभी यहां आए हैं, अतः जब तक हम शिक्षा को समरूपता प्रदान नहीं करते तब तक बच्चो के साथ अन्याय होता रहेगा। मैं मानता हूं कि यही वास्तविक स्थिति है। चाहें उद्देश्य कोई भी हो। बच्चों से काम लिया जाएगा। माता-पिता कुछ आधिक लाभ पाने के लिए बच्चों से काम करवाते है। मालिक इसलिए बच्चों को काम पर रखना पसन्द करते हैं क्योंकि वे हड़ताल नहीं करते और न ही, श्रमिक संघ बनाते हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि इस कानून के अन्तर्गत उन्हें श्रमिक संघ बनाने के लिए उत्साहित किया जाए। किन्तु जब तक सरकार यह संकल्प नहीं लेती कि सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा 14 साल तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण का सारा खर्चा सरकार उठाएगी और उन बच्चों के गरीब माता-पिताओं को उनके बच्चों की बेरोजगारी से होने वाली क्षति की पूर्ति की जाएगी, तब तक यह कानून बेकार ही रहेगा जैसा कि पिछले कानून रहे।

मैं कहूंगा कि यह कानून कोई बुद्धिमतापूर्ण कदम नहीं है। यह केवल यथास्थिति को विधिवत् करता है। वह प्रगतिशील नहीं है। जहां तक सामाजिक कानून का संबंध है, इससे हमें कोई नई दिशा नहीं मिलती। माननीय मंत्री ने जिन अधिक शक्तियों की बात की है वे भी पूरी तरह से बेकार हैं। आप उन शक्तियों का कड़ाई से प्रयोग नहीं करना चाहते। मैं नहीं समझता कि सरकार, राज्य या समाज का ऐसा कोई इरादा है।

महोदय, एक कहावत है कि बच्चा ही मनुष्य का बाप है। मैं और आगे कहूंगा कि बच्चा सभ्यता का भविष्य है। संस्कृति का भविष्य है, मानव इतिहास की शुरुआत बच्चे से होती है। जैसा कि महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है बच्चा भगवान की देन है और इस बात को प्रतिबिंब करता है कि भगवान अभी तक मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। मैं यही आशा करता हूं कि माननीय मंत्री ने इस कानून से जो भ्रम का वातावरण पैदा किया है, उससे भगवान हमारे से, इस देश के नागरिक होने के तौर पर निराशा न हों। हमारी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम बच्चों का कितना ध्यान रखते है। हमारी प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को शिक्षा दी जाए। इस समय मुझे थामस ग्रे के छोटे से शोककाव्य की बात याद आ रही है, मैं आशा करता हूं कि आपने 'एलीजी' पढ़ी होगी :

> "ऐसे बहुत से निर्मल विशुद्ध रत्न है जो महासागर की गहराईयों में दबे रहते हैं। ऐसे बहुत से फूल है जो खिलकर अनदेखे मुरझा जाते हैं। और वीरानों में खो जाती है उनकी सुगन्ध।"

महोदय, हमारे बच्चे वह गुलाब हैं जो कभी नहीं खिलते, वे ऐसी कलियां हैं जो कभी फूल नहीं बनती। उन्हें कभी मुस्कराने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें विपत्ति भरी और अन्धी स्थितियों में काम करना पड़ता है और अपनी रोजी खुद कमानी पड़ती है, इसलिए वे हमारा सद्व्यवहार चाहते हैं, हमारा ध्यान चाहते हैं। हमारा भविष्य हमें बुला रहा है और यह कानून उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मैं यह कहूंगा कि हमें इस विधेयक को अस्वीकार करना चाहिए, और माननीय मंत्री को और अधिक व्यापक विधेयक लेकर आना चाहिए जो ज्यादा सहृदय तथा अनुकंपाशील हो, और तब मैं उसका समर्थन करूंगा।

श्रीमती मीरा कुमार (बिजनौर) : महोदय, हम एक गम्भीर मामले के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। हम देश के सबसे अधिक बेसहारा नागरिकों के भविष्य के बारे में कानून बनाने जा रहे हैं, जो यह भी नहीं जानते कि उनके बारे में क्या किया जा रहा है। हम बच्चों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर अमीर और शक्तिशाली लोगों के बच्चों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं जो पढ़े-लिखे और होशियार हैं और अपने बच्चों के हितों की रक्षा खुद अच्छी तरह से कर सकते हैं; हम उन कमजोर वर्गों के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो शोषित हैं, अशिक्षित हैं, भूमि-विहीन हैं, बंधुआ मजदूर हैं और अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के सदस्य हैं। मैं इन बच्चों को बेसहारा इसलिए नहीं कह रही हूं कि वे बहुत गरीब घरों से आते हैं, बल्कि इसलिए कि इनके माता-पिता जो इनके हित को देख सकते थे। गरीबी रीति-रिवाज या अशिक्षा के कारण खुद इनके शोषण के लिये जिम्मेदार हैं। मैं इन बच्चों को बेसहारा कहती हूं क्योंकि उनके हित में आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। मैं उन्हें बेसहारा कहती हूं क्योंकि जब उन्हें पढ़ना चाहिए तब उन्हें जबरदस्ती मजदूरी करनी पड़ती है। मैं उन्हें बेसहारा कहूंगी क्योंकि वे कार्यिक संघ नहीं बना सकते हैं। वे अपने अधिकारों के लिए प्रबन्धकों से लड़ नहीं सकते हैं। उनको तो अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है। हम मजदूर बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो जबरदस्ती मजदूरी की बात कर रहे हैं। जिस तरह भी आप इसे कहें यह मर्म-स्पर्शी है। जब हमें इस विषय पर बात करनी है तो हमें इस विषय के गाम्भीर्य को और भयावहता को याद रखते हुए इस पर सावधानी से संवेदनशीलता से और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से विचार करना है। हमारा इन बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं और हम आने वाले पीढ़ी के प्रति उत्तरदायी हैं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को निषेध सम्बन्धी उपबन्धों के लिए बधाई देना चाहती हूं। उन्होंने अनुच्छेद 24 को स्पष्ट किया है। किन्तु विधेयक में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने प्रक्रिया निर्धारित की है, एक समिति भी नियुक्त की है और दंड को भी बढ़ाया है। परन्तु मैं यह कहूंगी कि यह काफी नहीं है। मैं तो यह निवेदन करूंगी कि विधेयक में जो निषेध सम्बन्धी उपबन्ध है, वह सभी बच्चों पर लागू होना चाहिए जिनकी उम्र 14 साल से कम है और किसी भी संकटग्रस्त क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो; संगठित, अर्धसंगठित या गैर संगठित हो। क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे इस क्षेत्र में काम करते हैं।

यह निषेध सबसे ज्यादा उन बदकिस्मत बच्चों पर अवश्य लागू होना चाहिए जिन्हें

जाति पर आधारित सफाई का गन्दा काम करना पड़ता है। मैं तो यह कहूंगी कि यह निषेध सम्बन्धी उपबन्ध उन सभी बच्चों पर लागू होना चाहिए चाहे वे कहीं भी काम कर रहे हों, केवल उन पांच धन्धों में नहीं या विधेयक की अनुसूची के भाग (क) और (ख) में दिये गये 11 व्यवसायों में काम कर रहे हों या न कर रहें हो। इस बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 39 के भाग (ई) और (एफ) की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरे पास इसे यहां पढ़ने का समय नहीं है। उन्हें पता है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि इन कम उम्र के बालकों का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे देश में 173.6 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 4 और 14 के बीच है। बाल श्रमिकों की यह संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। चिन्ता की बात यह है कि हर साल बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इन बच्चों से ज्यादा काम लिया जाता है और कम मजदूरी दी जाती है। ये बच्चे कुपोषण तपेदिक और अन्य कुप्रभावों का शिकार होते हैं जो कि अस्वच्छ परिस्थितियों में और जहरीले रसायन पदार्थों के साथ काम करने से होता है तथा उन्हें पीटा भी जाता है। ये बच्चे बड़ों से अधिक समय काम करते हैं। ये बच्चे क्रूर मालिकों के लिए आकर्षक हैं। यह इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ के लिए बहुत हानिकारक है। यहां यह कहना सही होगा कि इस देश में मृतकों की कुल संख्या में एक-तिहाई हिस्सा बच्चों का होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्लेक का छोटा चिम्नी स्वीयर रो रो कर यह कह रहा हो :

"उन्होंने मुझे मृत्यु वस्त्र पहनाये हैं और दुःख भरे बोल गाने सिखाये हैं पर क्योंकि मैं खुश हूं और नाचता-गाता हूं वे सोचते हैं कि उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई है।"

हमें यह देखना होगा कि हमारे इन कम उम्र के बालकों का गलत उपयोग न किया जाए।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त में कहिए।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं कुछ मिनट और लूंगी।

अनुच्छेद 45 इसमें एक और कदम आगे जाता है और इसमें यह कहा गया है कि दस साल के अन्दर हर चौदह साल से कम उम्र वाले बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब तक हमने बहुत दस साल काट लिए हैं। देश ने प्रगति की ओर बहुत लम्बे कदम लिए हैं मगर हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है ? देश के लाखों बच्चे हमारी ओर अपेक्षा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। यह सच है कि ये अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के अधीन आते हैं जिन्हें न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। फिर भी वे एक वायदा और सपना थे। हम वायदे को तोड़ नहीं सकते और इस सपने को खत्म नहीं कर सकते। ये नीति निर्देशक सिद्धांत देश के संचालन के लिए प्राथमिक महत्व रखते हैं। राज्य का कर्तव्य यह है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का प्रयोग करें।

हम कानून क्यों बनाते हैं ? हम सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए और देश को महान बनाने के लिए कानून बनाते हैं। क्या हम इसे बच्चों से काम करवा कर और उनसे

उनकी बचपन की खुशियां छीन करके हासिल कर पाएंगे ? क्या इसलिए हमारे बच्चों को फिरोजाबाद के कारखानों में आग से खेलना होगा और मिरजापुर शिवकाशी और अन्य जगहों फैक्टरियों में जहर सूंघना पड़ेगा ? बच्चे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। वे हमारे बच्चे हैं और सबसे कीमती संपत्ति है और उन्हें वैसा ही व्यवहार मिलना चाहिए। उनका पालन-पोषण सही होना चाहिए और उन्हें पूरा लाड़-प्यार और स्नेह मिलना चाहिए। उनकी उन्नति पर देश की उन्नति निर्भर करती है। उनकी प्रगति को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। लिखने से पहले ही उनके मुरझाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हम समाजवाद की बात करते हैं वर्ग रहित और जाति रहित समाज की बात करते हैं हम समान अवसरों की बात करते हैं। परन्तु उन बालकों के लिए क्या समान अवसर होंगे जिनमें से एक तो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और दूसरे जो घटिया जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। हम जाति प्रथा कैसे समाप्त कर पाएंगे अगर बाल श्रम की संस्थाएं सदा के लिए जारी रहती है। हम जानते हैं कि हमारे व्यवसाय ज्यादातर जाति पर आधारित होते हैं और बच्चों को जबरदस्ती परिवार के पारंपरिक और जाति पर आधारित व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। हम वर्ग व्यवस्था को कैसे खत्म कर पाएंगे अगर हमारी संतानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक शोषण का शिकार रहे। और जो हम उनसे जो वादा करते हैं उसे हम पूरा नहीं कर पाते हम उनसे श्रम करवाने का वैध ठहराते हैं। इसलिए हमें इन सभी प्रश्नों पर सोच विचार करना है। हमें इसकी अमानुषिकता और क्रूरता को महसूस करना है और जल्दी से जल्दी बाल श्रम को खत्म करना है। नहीं तो वह 21वीं सदी, जिसमें कुछ ही वर्षों में हम प्रवेश करने की सोच रहे है, कई प्रकाश वर्ष दूर हो जाएगी।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रगति के साथ देश को 21 वीं सदी में ले जाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हमें भी अपनी योग्यता के साथ उसके प्रयत्नों में सहयोग देना चाहिए हर बच्चे को आवश्यक ही पढ़ना चाहिए। इस नैतिक और सामाजिक बचनबद्धता को हमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सूची में पहला स्थान देना चाहिए।

बाल श्रम की समस्या और परिवार कल्याण कार्यक्रम एक दूसरे के विपरीत हैं। ज्यादा बच्चे, खास कर लड़के, होने का मतलब है परिवार को ज्यादा आमदनी। काम की शर्तों को ज्यादा मानवीय या नियमित बनाने से जैसा कि इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया है, लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, अतः माल्थ्यूसियन दुःस्वपन पैदा हो जाएगा। इसके अन्य अवांछनीय प्रभाव यह होंगे कि इससे बहुत पुरानी लड़कों की चाह को और बल मिलेगा तथा लड़कियों की मौजूदा तिरस्कारपूर्ण स्थिति और खराब हो जाएगी।

यथार्थपूर्ण अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी इसमें कोई तर्क नहीं है कि छोटे बच्चे तो पसीना बहाये और बड़ी संख्या में वयस्क गलियों में बेकार घूमें और माता-पिता परजीवी हो रहे हैं। जहां बच्चे काम कर रहे हैं वहां पर माता-पिता को काम करना चाहिए। वयस्कों को काम करना चाहिए। उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम मजदूरी यथार्थवादी स्तर तक बढ़ायी जानी चाहिए तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कुछ व्यवसायों में बाल श्रम पर रोक लगा कर नौकरियों के लिए नई जगह बनाई है। अगर आप बाल श्रम को पूरी तरह खत्म कर देते हैं तो आप बेरोजगारी की समस्या से कारगर ढंग से निपट सकते है। मेरे पास ऐसी सूचना है कि आई० एल० ओ० के प्रस्ताव की जिसका सम्मेलन 1973 में बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हुआ था, अभी तक हमारे देश द्वारा पुष्टि किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसका शीघ्र अनुमोदन किया जाना चाहिए। हमने पहले से ही यह कुख्याति अर्जित कर ली है कि हमारे देश में सबसे बड़ी बालक श्रम फोर्स है। हमें संसार को दिखा देना चाहिए कि हमें अपनी प्रगति के लिए अपने बच्चों के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमें अपने बच्चों की प्रगति के लिए त्याग करना चाहिए। हमें "ओइम् स्वाहा" कह कर अपने लाखों बच्चों को देश निर्माण के महा यज्ञ में नहीं झोंकना है। हमें इसके लिए स्वयं त्याग करना चाहिए।

मैंने कई लोगों से यह तर्क सुना कि बाल श्रम की जड़े गरीबी में है और जैसे गरीबी एकदम समाप्त नहीं हो सकती उसी प्रकार बाल श्रम भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बाल श्रम एक कटु सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना है कि यह हमारी आर्थिक प्रगति की वर्तमान स्टेज पर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे पास आंकड़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि देश ने इन वर्षों में जो प्रगति की वह यह है हमारे पास आर्थिक प्रगति के आंकड़े हैं। हमारे पास इन वर्षों में गरीबी कम होने के आंकड़े है। हमारे पास यह भी आंकड़े हैं इसके अनुरूप इन वर्षों में बाल श्रम में कमी नहीं आई है। वास्तव में इसमें वृद्धि हुई है। इसलिए यह तर्क सही नहीं है। हम गरीबी को बाल श्रम जारी रखने का बहाना नहीं बना सकते। हमें इसे समाप्त करना चाहिए। बुराई को समाप्त करना ही उसका हल है न कि उसको वैध बनाने में।

यह भी कहा जाता है कि जो बच्चे अनाथ हैं या जिनके माता-पिता असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें अपनी अजीविका कमाने के लिए काम करना पड़ता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसे मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन छोटे-छोटे अजीविका कमाने वाले बच्चों की सहायता के लिए पेन्शन, गुजारा भत्ता, वजीफा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें अपनी आर्थिक मजबूरियों से ऊपर उठना चाहिए और अपनी दृढ़ राजनैतिक इच्छा दिखानी चाहिए।

यह भी कहा गया है कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वैधानिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगी कि अगर सरकार उसे कारगर ढंग से लागू कर सकती है तो वह बाल श्रम को समाप्त करने में भी कारगर हो सकती है।

अन्त में मैं यह कहूंगी कि हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे सहन ही करना पड़ेगा। यदि यह बात हमें पीड़ा पहुंचाती है तो हमें उसे दूर करने के उपाय करने चाहिए तथा अन्य दर्द निवारक व शांत करने वाले उपाय अपनाने चाहियें क्योंकि यह एक रोग है जिसे हम सहन नहीं करेंगे। इसका इलाज जरूरी है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस बुराई को समाप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करें। और मैं उनसे यह भी अनुरोध करती हूं

कि वह हमें यह आश्वासन दें कि अगले सत्र में बाल श्रम पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक विधेयक लायेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं ।

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं । जो माननीय राज्य मन्त्री श्री पी०ए० संगमा द्वारा इस सदन में लाया गया है इस संबंध में मैं अपने विचार सदन में रखूंगा ।

महोदय, नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरागांधी द्वारा शुरू किया गया था और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा उसे लाग् किया जा रहा है । नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है देश से अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना ।

महोदय, अब इस विधेयक की अनुसूची के भाग—क के अन्तर्गत यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का विधेयक की अनुसूची के भाग—ख में दर्शाये गये कारखानों में काम के लिए नहीं रखा जा सकता । परन्तु बीड़ी उद्योग जो विधेयक की अनुसूची के भाग-ख में दर्शाया गया है इस नियम को नहीं मानता। बहुत सारे फैक्ट्री मालिक ठेकेदारों द्वारा बीड़ियां बनवाते हैं और ठेकेदार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी बनाने के लिए काम पर लगाते हैं । यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों व कस्बों में प्रचलित है । इस प्रक्रिया से ठेकेदारों को ही लाभ पहुंचाता है । इस प्रकार के कार्य बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं । अब छोटे बच्चों को इन कारखानों में काम पर लगाने की इस बुरी प्रथा को कैसे रोका जाए ? इस बुरी और असामाजिक प्रथा को समाप्त करने का यही तरीका है कि सरकार को गरीबी समाप्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए और उन बच्चों के परिवारों को जिनको मजबूरन बीड़ी कारखानों में काम करना पड़ता है, नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जाना चाहिए ।

महोदय, दियासलाई उद्योग, साबन बनाने के कारखानों, बढ़ई व राजगीरी के कामों में छोटे बच्चों को लगाया जाता है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गैर कानूनी प्रथा को समाप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी कड़े कदम उठाए जायें । इसके अलावा बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं जो विधेयक की अनुसूची के भाग 'क' और 'ख' में शामिल नहीं किए गए हैं । विधेयक में यह कहा गया है कि ऐसी सुविधायें काम करने वाले वर्ग को दी जानी चाहिए । सरकार को ऐसे निगरानी सैल बनाने चाहिएं जो यह देखें कि उनको ये सुविधायें दी जा रही हैं या नहीं । यह भी आवश्यक है कि सरकार एक बाल श्रम समिति का गठन करे जो यह देखे कि विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का निश्चित रूप से पालन हो । मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि हर जिले में जिला समिति बनाई जाए जिसमें उस क्षेत्र के सांसद व विधान सभा के सदस्य हों ताकि सामन्वय स्थापित हो सके । यदि कोई इस विधेयक के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं करता तो जिला समिति को ऐसे मामलों का निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए ।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर ।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है कई राज्यों में स्कूल के बच्चों को दोपहर को भोजन भी दिया जाता है, उन्हें पुस्तकें व स्कूल की वर्दी भी मुफ्त दी जाती है, पर इन सब सुविधाओं के बावजूद भी यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अत्यधिक गरीबी के कारण खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को मजबूर होकर इन कारखानों में काम करना पड़ता है । इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने का भरसक प्रयत्न करे। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं, वे लोगों की सही ढंग से मदद नहीं कर पायेंगे जब तक ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में जो अत्यधिक गरीबी व्याप्त है उसे दूर नहीं किया जाता। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में यह समस्या काफी हद तक हल की जा सकेगी। धन्यवाद

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी मां-बाप या परिवार जान-बूझकर अपने बच्चों को कारखाने में या काम करने के लिए कहीं और नहीं भेजना चाहते। मां-बाप तो बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं। यह तो गरीबी की मजबूरी है और निर्धनता मजबूर करती है कि शहरों में, नगरों में, गांव में, कस्बों में बच्चे कारखानों में काम करते हैं या घरों में खाना बनाने या होटलों में बर्तन मांजने का काम करते हैं। हमारी सरकार देश के आर्थिक विकास में लगी है, प्रधानमंत्री जी तीव्र विकास करना चाहते हैं। जब विकास हो जाएगा, लोग सम्पन्न हो जायेंगे, तो स्वतः वह अपने बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे।

मंत्री महोदय ने अपने शिड्यूल में जो व्यवसाय गिनाए हैं हैजार्डस हैं, नुकसानदेह हैं, उसमें कालीन की बुनाई यानी कार्पेट वीविंग को भी गिनाया है। उसमें भी रोक लगाई है कि बच्चे इसमें काम नहीं करें। मैं निवेदन करूंगा कि कालीन बुनाई, कार्पेट-वीविंग कोई काम नहीं है, उसके लिए कोई कारखाना नहीं खोलता, उसके लिए कोई फैक्टरी नहीं खुली हुई है। यह काटेज इंडस्ट्री है, गांव की विलेज की इंडस्ट्री है। गांव के गरीब लोग कच्चा माल लेकर आते हैं और अपने घरों में लूम लगाते हैं और उस पर काम करते हैं, कालीन बुनते हैं और कालीन बुनकर पहुंचाते हैं। यह दैनिक मजदूरी का काम नहीं होता है। नाप-तोलकर चीज मिलती है और उस काम में घर के मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर काम करते हैं। इसमें बच्चों को काम सीखने को मिलता है। इसमें बच्चे घंटा, दो घंटा काम सीखते हैं और काम सीखकर पैसा पाते हैं। जो सरकार के ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं उसमें 8 बरस से 14 बरस तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और 2,3 रुपये रोज दिए जाते हैं। 2-3 घंटे उन्हें काम सिखाया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादा बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। लोगों के घरों में लूम लगे होते हैं और वहां बच्चे कुछ काम करते हैं और पैसा पाते हैं और अपने परिवार के भरण-पोषण में हाथ बंटाते हैं और वहां से वह एक कला सीखते हैं। कालीन की बुनाई एक कला है। जिस तरह पढ़ाई लिखाई आर्ट है उसी तरह कार्पेट वीविंग भी एक आर्ट है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कालीन का काम होता है। बच्चों से बनवाया

के रूप में काम नहीं लिया जाए यह बात तो सही है, इसके खिलाफ मैं भी हूं, लेकिन स्वेच्छा से अपने घरों में जो लूम खड़े किए जाते हैं और उन पर बच्चों को काम सिखाया जाता है जिससे बच्चे कुछ पैसे भी पाते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए । खाली समय में बच्चा स्कूल और पाठशाला भी जा सकता है ।

मैं निवेदन करूंगा कि कालीन उद्योग से डेढ़ सौ, दो सौ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है यह हैंडीक्राफ्ट है, इसको बच्चे सीखते हैं । उनको स्कूल जाने से मनाही नहीं है । उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है । क्योंकि तैयार यान से वह बुनाई का काम सीखते हैं । यह काम हैजार्डस नहीं है ।

मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने विधेयक में शिड्यूल बी में से कार्पेट वीविंग को निकाल दीजिए, नहीं तो इस इंडस्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचेगा, लाखों परिवारों की रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचेगा और देश की करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा में भी फर्क पड़ेगा । इन अल्फाज के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री काडम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां हम 85 लाख बच्चों को रोज भोजन देते हैं । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए ।

जो पुस्तक हमें दी गई थी, उसमें यह बताया गया था कि 1 करोड़ 65 लाख बच्चे बालक श्रम में लगे हुए हैं, हालांकि आई०एल०ओ० के प्रकाशन, जिसका श्री सगमा ने हवाला दिया था के अनुसार भारत में 1 करोड़ 78 लाख बच्चे श्रमिक के रूप में करते हैं ।

भारत में हम प्रधानमंत्री नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल-दिवस के रूप में मनाते हैं । इससे पता चलता है कि हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं । हम जानते हैं कि बाबू जगजीवनराम बच्चों को कितना प्यार करते थे और हमने अभी उनकी बेटी को बच्चों के बारे में कहते हुए सुना ।

सन् 1881 में, भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया था और उस समय निम्नतम आयु सात वर्ष कही गई थी और आज सन 1986 में इस कार्य के लिए निम्नतम आयु सात वर्ष कही गई थी और आज सन् 1986 में इस कार्य के लिए निम्नतम आयु 14 वर्ष रखी गई है, भारतीय बच्चों की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । अब हम एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां पर आकर या तो हमें बालक श्रम को बिल्कुल समाप्त कर देना है या इसे उचित तरीके से विनियमित करना है ।

ऐसा लगता है कि इस देश से बालक श्रम को समाप्त करना असंभव है । इस बात को हम वर्तमान विधेयक से भी स्पष्टतः देख सकते हैं । फैक्टरियों में बालक श्रम समाप्त करने की बात छोड़िए, हम इस बारे में वर्ष 1980-81 में एक कानून लाए थे और हम अब तक उसे लागू नहीं कर पाए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्ष बाद भी हम फैक्टरियों में बालक श्रम को विनियमन करने की बावत सोच रहे हैं, अब हम यह निर्णय करने की स्थिति में आ चुके हैं । कि

कौन से उद्योगों में बालक श्रम को विनियमित करना है और किन उद्योगों में इसे समाप्त करना है। श्रीमान् ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने शिवकाशी के बारे में बात की है। माचिस उद्योग एवं आतिशबाजी उद्योग मात्र शिवकाशी में ही नहीं है। तिरुनेलवली, कामराज, मुथुरामलिंगम, चिदंबरनार और रामनाड जिले जो कि तमिलनाडु में आते हैं यहां भी माचिस और आतिशबाजी उद्योग स्थित है, मैं कोदम्बूर से हूं, जहां की जनसंख्या 2800 है। इनमें से 1000 लोग अपनी जीविका के लिए माचिस तथा आतिशबाजी उद्योगों पर निर्भर करते हैं। हमारे देश के इस भाग में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जीवरत्नम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां कोई माचिस उद्योग नहीं है, वहां उत्तरी अरकोट, तंजापुर और कोयम्बतूर जैसे स्थान हैं, तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में केवल इन पांच जिलों में जिसका मैंने उल्लेख किया है, ये माचिस तथा आतिशबाजी की फैक्टरियां स्थित हैं। मैं मंत्री महोदय श्री संगमा जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात की व्यवस्था करवाएं कि बच्चों को ऐसी खतरनाक आतिशबाजी की फैक्टरियों में न लगाया जाए अगर कोई व्यक्ति बच्चों को ऐसे खतरनाक काम में लगाता है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए।

लेकिन इस संदर्भ में मैं इन माचिस फैक्टरियों के महत्वपूर्ण पहलू पर बात करना चाहूंगा, आपने पर्यावरण के बारे में कुछ पुस्तकें वितरित की हैं और उन पुस्तकों में माचिस उद्योग में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को दिखाने वाले चित्र दिए गए हैं, मैं उन चित्रों को माननीय सदस्यों को दिखाने के लिए लाना चाहता था लेकिन चूंकि आज अंतिम दिन है इसलिए जल्दी में मैं उन्हें ला नहीं सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस माचिस उद्योग को दो तरह से विनियमित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए इस उद्योग को खतरनाक तथा सुरक्षित दो भागों में स्पष्टतः विभाजित कर देना चाहिए, इन दोनों में अंतर होना चाहिए तथा बच्चों को सुरक्षित कार्यों में लगाया जा सकता है जैसे तीलियों को डिब्बियों में भरा जाना आदि जिसे फैक्टरी के साथ-साथ घर में भी किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। श्री संगमा तमिलनाडु जा रहे हैं, हम सांसद जो कि तमिलनाडु से हैं इस बात से निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे अगर वह इन फैक्टरी कर्मचारियों की मजदूरी में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करवा दें, यह उद्योग इतनी मजदूरी देना सहन कर सकता है।

दूसरे आतिशबाजी उद्योग को माचिस उद्योग से अलग देखा जाना चाहिए। आतिशबाजी उद्योग में किसी बच्चे को काम पर न लगाया जाए, उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, आतिशबाजी उद्योग पर ऐसे खतरनाक कार्यों के लिए बच्चों को नियुक्त किए जाने पर प्रतिषेध होना चाहिए। एक माननीय महिला सदस्या ने कहा था कि उत्तर में भी कुछ बच्चों को चूड़ी की फैक्टरियों में काम करना पड़ता है जहां 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर काम करने से उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मेरा यह कहना है कि इस तरह की चीजों पर बिल्कुल प्रतिषेध होना चाहिए, इस संदर्भ में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अब वैज्ञानिक धरातल पर इस बात का दावा किया जा सकता है कि बालक की सृजनात्मक क्षमता और स्वाभाविक योग्यता की प्रत्यक्ष उपलब्धि के रूप में काम करना हमेशा उसके स्वरूप विकास

का प्रेरक होता है। अगर कार्य किसी उद्देश्य, किसी योजना के साथ स्वतंत्रता से दिया जाए तो वह अत्यंत स्फूर्तिदायक होता है। जब ये सब बातें न हों तो स्पष्ट रूप से यह काम न रहकर श्रम हो जाता है इसलिए एक बच्चे को काम तो करने को दिया जा सकता है पर उसे श्रम नहीं करवाया जाना चाहिए, इसलिए कार्य और श्रम के बीच में एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि शिक्षा को न केवल अनिवार्य बनाया जाना चाहिए बल्कि इसको वास्तविकता बनाने के लिए इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने पिछले दिनों बताया था कि अगर हम पूरे देश के प्राथमिक स्कूल के छात्रों को मुफ्त खाना देना चाहें तो उसके लिए हमें 4000 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। श्रीमान् मेरी राय में 4000 करोड़ रु० कुछ भी नहीं हैं अगर इससे हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगर मुफ्त खाना दिया जाता है तो बच्चों को स्कूल जाने का प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा और स्वभावतः बालक श्रम की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, फिर इसके लिए किसी विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4.00 म० प०

इसलिए जब आप बजट में 180 लाख करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं तो 4000 करोड़ रु० कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस राशि को सही-सही नहीं बता सकता क्योंकि संसद में आने के बाद मैंने करोड़ों की भाषा ही सीखी है। इसलिए मैंने सभापति जी के द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह उचित समय है कि मुफ्त भोजन कार्यक्रम के बारे में निर्णय करके उसे अपनाया जाय जैसा कि तमिलनाडु राज्य में अपनाया गया है। इस योजना को 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों अथवा आठवीं कक्षा तक के छात्रों पर लागू किया जाना चाहिए, शिक्षा को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, माचिस उद्योग को भी विनियमित किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह उद्योग केवल शिवकाशी में ही केन्द्रित नहीं है बल्कि देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। माचिस उद्योग में जहां कहीं भी बच्चे काम करते हों उन्हें विनियमित किया जाए। यह मेरा विनम्र प्रस्ताव है। सांसद हमारे क्षेत्र में आएं और वे स्वयं देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों में काम कैसे किया जा रहा है। कई समितियां बनाई गई हैं। कोई एक समिति यहां आये और इस बात को देखे कि काम कैसे किया जा रहा है तथा इन क्षेत्रों में बच्चों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय नेता श्री गोर्बाचोव ही क्यों न हो, कुछ समय पहले वह दिल्ली में थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना अपनी कार रोकी और बच्चों से मिले इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय नेता बच्चों को प्यार करते हैं, समस्या गंभीर हो सकती है पर हमें बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। यह उचित समय है जब हमें कुछ उद्योगों को विनियमित करना चाहिए और उनमें बालक-श्रम का प्रतिषेध करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता।

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, कई संस्थाओं के साथ-साथ स्वयं मंत्रालय द्वारा बालक-श्रम की समस्या के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई। इसलिए इस सत्र में इस

विधेयक को सदन में लाया गया है। बालक श्रम की यह समस्या काफी गंभीर है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है लेकिन इस मौके पर एक विस्तृत विधेयक की आवश्यकता है। यहां पर खण्डशः दृष्टिकोण किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। अगर हम अपने देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा देखें तो पाएंगे कि समाज के वर्तमान संदर्भ में हम बालक-श्रम की समस्या का पूरी तरह से निदान नहीं कर सकते है। फिर भी हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस समस्या को सुलझाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति में यह कानून एक अगला कदम है। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार बालक श्रम और इसके बारे मे कल्याणकारी उपाय करने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के अंतिम चरण में है संविधान का उद्देश्य चौदह वर्ष की आयु से कम के बालकों के फैक्टरी में तथा खदानों आदि खतरनाक कार्यों में कार्य करने से प्रतिषेध तथा बालकों की सुरक्षा का है इस कानून को इस प्रकार के उद्योगों का प्रतिषेध करने के लिए लाया गया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 24 की सीमा से बाहर कहीं पर भी बालक फैक्टरी खदानों तथा खतरनाक कामों के अलावा अन्य उद्योगों में लगे हुए हैं उन्हें प्रतिषेध किए जाने के बजाय विनियमित किया जाना चाहिए। इस संबंध में दिए गए कल्याणकारी कार्य बालक-श्रम की समस्या को कम करेंगे, हमें इस बात का पता है कि सरकार इस बारे में कल्याणकारी कार्य करने की इच्छुक है लेकिन मात्र इतना ही काफी नहीं है, ये कार्य विस्तृत रूप से भी किए जाने चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि अब के पश्चात् मंत्री महोदय इस सिलसिले में सोचेंगे, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि बालक-श्रम के बारे में कई कानून बनाए गए हैं लेकिन हम अनुभव करते हैं कि इन्हें लागू सही तरह से नहीं किया जा रहा है, अन्यथा यह कानून भी वर्तमान कानूनों के साथ मात्र जुड़कर रह जाएगा।

श्रीमान, इस विधेयक के द्वारा हमें बच्चों का शोषण से बचाव सही क्रियान्वयन तथा निम्नतम आयु सीमा को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ-साथ इस विधेयक द्वारा उचित निम्नतम मजदूरी को निश्चित करने के लिए पर्याप्त क्रियाविधि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो बालक-श्रम को विनियंत्रित नहीं किया जा सकता, और कुछ समय के लिए उसे बन्द करना पड़ेगा।

मैं इसके क्रियान्वयन वाले प्रकरण से खुश नहीं हूं क्योंकि इस बारे में कोई अभियोजन नहीं किया गया है इस संबंध में सबूत जुटाना बहुत मुश्किल कार्य है क्योंकि उनके माता-पिता तथा नियोक्ता द्वारा इस बारे में सहयोग नहीं दिया जाता है। यह भी सोचा जाता है कि अगर बच्चों को इस तरह काम पर नहीं लगाया जाएगा तो वे गलियों मे आवारा घूमेंगे और समाज के लिए एक समस्या बन जाएंगे। वह जिस वातावरण में कार्य करता है, वह विश्वास किया जाता है कि वह उसके घर के वातावरण से अच्छा होता है, हमें इस बात को भी देखना है।

निश्चय ही इस कानून में धारा 10, 11 और 13 में यह कहा गया है कि रजिस्टरों की ठीक तरह से रख-रखाव होना चाहिए तथा उचित वातावरण होना चाहिए, लेकिन जब हम अभिलेखों के रखरखाव की बात करते हैं तो पाते हैं कि कई फैक्टरियां नकली नामों से रजिस्ट्रीकृत

हैं और उन्होंने अपने रजिस्टरों को ठीक तरह से नहीं रखा है, इस प्रकार वे बिक्री कर और उत्पाद शुल्क के सांविधानिक प्रावधान से बच निकलते हैं। इनमें से बहुत कम के पास काम करने वाले बच्चों के रजिस्टर होते हैं। वेतन का विवरण, वास्तविक देनदारी के बारे में नहीं बतलाता है। औद्योगिक सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन किया जाता है। निम्नतम मजदूरी निश्चित नहीं की जाती है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। बच्चे इन विषय परिस्थितियों में कार्य करते हैं।

वर्तमान में हम पाते हैं कि इस बारे में कुछ कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं परन्तु वे लघु अवधि के उपाय हैं। इन लघु अवधि के उपायों का लाभ अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। अन्य सुख-सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। भ्रष्ट तरीकों से पैसा निकाल लिया जाता है और योजनाओं के प्रशासन पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है।

जब मैं यह कहता हूं कि बहुत अधिक पैसा लगाया जाता है तो उस बारे में मैं एक उदाहरण भी दे सकती हूं। राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम जो आज कल चालू है। एक अच्छा उदाहरण है। हमने शिवकाशी के बच्चों के दोपहरी भोजन योजना के लिए 13.8 करोड़ रुपयों के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखा था। इसमें से केवल 3.८ करोड़ रुपये बच्चों के भोजन पर खर्च के लिए रखे गये हैं। बाकी पैसा विभिन्न स्थापनाओं के खर्चे पूरा करने में लगाये गए हैं। अत: इससे यह आशंका हो जाती है कि कहीं इन अल्पकालीन कल्याण उपायों का उद्देश्य ही समाप्त न हो जाये।

मिर्जापुर के उदाहरण से भी यही पता चलेगा। जब बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया था तब उनका क्या हुआ? वे बच्चे अपने घरों को चले गये जो कि विभिन्न राज्यों के गरीब हिस्सों में थे। किन्तु वे दोबारा वापस आ गये। जब उनसे उनकी वापसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें भूखे रहने से तो कड़ी मेहनत करना ज्यादा पसन्द है। अत: पुनर्वास के ठोस कार्यक्रमों के बिना तात्कालिक समाधान ढूंढ़ना बेकार है। इन कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संस्थाएं पूरी तरह वचनबद्ध तथा समर्पित होकर चलायें।

इसके अलावा गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना तथा कोई सार्थक शिक्षा नीति जिसमें मौसमी कृषि-आवश्यकताओं के अनुकूल व्यवसाय का ध्यान हो, कामकाजी बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सहायता, पोषण-खाद्य तथा आवास सुविधायें पुस्तकालय आदि जैसे सहायक उपाय मजदूर कालोनियों में किये जाने चाहिए। इन कालोनियों के लोग गरीबी, सूखा इत्यादि से पीड़ित रहते हैं। इन सहायक उपायों को कार्य रूप देना चाहिए। इनके अलावा मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियां शिक्षुता तथा व्यावसायिक सुविधायें भी दूसरे सहायक उपाय हैं।

अब एक शिक्षुता अधिनियम भी चालू है। पर यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हुआ है। शिक्षुता इस बात की गारंटी नहीं देती कि नौकरी जरूर मिल जायेगी। इसके अलावा गरीबी कम करने के और भी कार्यक्रम है जैसे 'ट्राइसेम' 'आई० सी० डी० एस० आदि। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे श्रमिक संघ आंदोलन के प्रभाव में न आयें। माननीय मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि उनके हितों को सामने लाने के लिए और कौन से मंच हो सकते हैं।

हमने यह व्यवस्था की है कि तीन घंटों के काम के बाद अवकाश हो और फिर तीन घंटे काम हो। कुल छह घंटे बनते हैं। अगर वे दिन में छह घंटे काम करें तो उन्हें कल्याण उपायों से क्या लाभ होगा ? उनमें और शक्ति कहां से बचेगी कि वे स्कूल जायें और दूसरी कल्याणकारी गतिविधियों में भी हिस्सा लें।

सलाहकार बोर्ड के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि भी इनमें सम्मिलित किये जाने चाहिए। बोर्ड को शक्तियां तथा संसाधन प्राप्त होने चाहिए कि वह इस बात की जांच आदि कर सके तथा इस बात का पता लगा सके कि कहीं बालक संबंधी विनियमों की जरूरत है कि नहीं। इसको समय-समय पर विद्यमान कानून के कार्यान्वयन के परिणामों की पुनरीक्षा भी करनी चाहिए। सरकार अकेले यह सब नहीं कर सकती। इसके लिए लोगों का तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है। इस संबंध में जन संचार माध्यम अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर गहन प्रचार के द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में सचेत किया जाये तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे, न कि मजदूरी पर जाने के लिए। पर इस संबंध में अभी तक सचेत रूप से कोई कदम नहीं उठाये गये। इसके अंतिम भयावह परिणामों की ओर लोगों को सचेत करना होगा। इसके अलावा बाल श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए जो कानूनी उपबंध किया है उसी के अनुरूप उसको लागू करने संबंधी तंत्र भी होने चाहिए तथा साथ कल्याण संबंधी उपाय भी होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति जी, चाइल्ड लेबर पर जो बिल आया है, उसका समर्थन करते हुए, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस सम्मानित सदन में चाइल्ड लेबर पर बहुत से कानून बनाए गये हैं और जो कानून बनते जा रहे हैं, उनका सही इम्पलीमेंटेशन न होने की वजह से चाइल्ड लेबर की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। आज हमें यह कहने में दुःख होता है कि आज भारत के बच्चों के लिए दो तरह का भारत है। एक बच्चों का भारत वह है जो 21वीं सदी के प्रवेश द्वार पर जाने को तैयार है और एक बच्चों का वह भारत है, जहां बच्चे 18वीं सदी में जाने को तैयार नहीं हैं और वैसे बच्चों की संख्या देश में अधिक है। जब इस बिल को माननीय मंत्री ला रहे होंगे, तो उनके दिमाग में यह बात आई होगी कि वे पुनः चाइल्ड लेबर पर दूसरा बिल लेकर आएंगे क्योंकि जहां पर सही रोग है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। आज देश में चाइल्ड लेबर किसके घर में पैदा होता है, समाज का कौन सा तबका है, जिसमें चाइल्ड लेबर बड़े पैमाने पर पैदा होता है। वह हिन्दुस्तान के गांवों का गरीब और कमजोर वर्ग है, जहां चाइल्ड लेबर ज्यादा पनपता है और ऐसे बच्चों की संख्या देश में 16.5 मिलियन है। संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कम्पलसरी एजुकेशन देंगे लेकिन वह संकल्प हमारी अलमारियों में बन्द है और हम उसको सही रूप में लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 1990 तक देश में हम बच्चों को साक्षर कर देंगे और कम्पलसरी एजुकेशन उनको दी जाएगी। शिक्षा के अभाव में आज ये बच्चे जान नहीं पाते कि हमारे देश का प्रधान मंत्री कौन है। मैं आपको छोटा नागपुर के उन इलाकों में ले जाना चाहूंगा जहां अभी तक मास मीडिया नहीं गया है और वे लोग यही नहीं जानते कि हमारे देश का प्रधान प्रधानमंत्री कौन है।

तो यह कितना बड़ा विरोधाभास अपने आप में है। सरकार काफी प्रयत्नशील है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके मूल में इकोनोमिक रीजन है। जब तक इस आर्थिक स्थिति से समाज को विमुक्त नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि आप ऐसे बिल लाते रहेंगे, पांच वर्ष बाद पुनः कोई दूसरा बिल ले आयेंगे, कोई और बिल दूसरे सदन में ले आयेंगे लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा।

अभी हमारे मिश्र जी कह रहे थे कि मिर्जापुर में कालीन उद्योग में लगे हुए बच्चे कला सीख रहे हैं। तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर बच्चों को काम सिखाया जाता है, कला सिखायी जाती है। बच्चों को 12-12 घंटे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्या इस तरह से कला सिखायी जाती है? कोडरमा की अभ्रक खानों में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जाता है। क्या वे वहां कला सीख रहे हैं? क्या यही कला सिखाने की परिपाटी है? अगर आप चाइल्ड लेबर के माध्यम से यही करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि इस चाइल्ड लेबर बिल के पास करने का कोई औचित्य नहीं होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा बिल पास करे, एक ऐसा एक्ट बनाये जिसमें इस बात का पक्का प्रावधान हो कि कोई भी संस्थान, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो उनमें 5वर्ष से14वर्ष तक के बच्चों को किसी काम पर नहीं लगाया जायेगा। आप कहेंगे कि इससे एक बहुत बड़ी पापुलेशन जो कि बिलो पावर्टी लाईन के नीचे रह रही है, वह भूखों मरने लगेगी। उस पापुलेशन के बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि आप कम्पलसरी एजूकेसन कीजिए और फूड फार एजूकेशन का कार्यक्रम चलाइये। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए फूड फार एजूकेशन नहीं करेंगे तो उन गरीब बच्चों को आप एजूकेशन नहीं दे सकेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी प्लेनिंग तो बहुत सही है लेकिन हरि अनन्त, हरिकथा अनन्त वाली कहावत लागू होती है। यह इतना बड़ा विषय है जिस पर पांच मिनट में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। मैं श्रम मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि आप फूड फार एजूकेशन कीजिये। जो भी बच्चा प्राइमरी या मिडिल स्कूल में रोज पढ़ने जाये उसे शाम को पढ़ने के बाद रोज दो किलो गेहूं दे दीजिए। इससे आपका कम्पलसरी एजूकेशन का कार्यक्रम भी पूरा होगा और गरीब लोगों की मुखमरी की शिकायत भी दूर होगी। इससे गरीब बच्चे भी पढ़-लिख जाएंगे। नहीं तो इस बिल को पास करने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूं कि अगले अधिवेशन में मंत्रीजी एक बहुत विस्तृत बिल लेकर उपस्थित होंगे ताकि इस विषय में बहुत कुछ किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मुझ जो यह अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

पिछले सात दिनों से इस विधेयक पर थोड़ा-थोड़ा करके चर्चा हो रही है। हमारे में से कई लोगों ने नीति निर्देशन सिद्धांतों का और अनुच्छेद 14 का उल्लेख किया जिसमें बच्चों से काम लेने की मनाही है और अनुच्छेद 45 का उल्लेख किया जिसमें सब बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की गारंटी दी गई है।

हमने इस बात का भी खेद प्रकट किया है कि नीति निर्देश सिद्धांत वाद योग्य नहीं हैं इसलिए हम बाल श्रम की समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं।

4.19 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

पिछले पन्द्रह सालों में बाल-श्रमिकों की संख्या 107 लाख से बढ़कर 200 लाख हो गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार सारे विश्व में बाल-श्रमिकों की संख्या का एक तिहाई हिस्सा भारत में है।

अब हम बाल श्रम व्यवस्था को विनियमित करने की सोच रहे हैं और इस पर रोक लगाने की नहीं सोच रहे हैं। यह इसलिए कि आज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐसी है कि यह एक अपरिहार्य बुराई बन गई है। और इसी दृष्टिकोण से हम यह विधेयक लाये हैं। (व्यवधान)

मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक में भी······(व्यवधान)

उच्चतम-न्यायालय के फैसले के बाद सन् 1938 के पुराने अधिनियम के स्थान पर 1951 का अधिनियम लाया गया। परन्तु लगभग सभी पहले व्यवसायों को अनुसूची भाग (क) और भाग (ख) के अन्तर्गत लाया गया है। शीशा उद्योग तथा स्लेट उद्योग को भी इनमें शामिल करना चाहिए क्योंकि इन उद्योगों में बच्चे कैंसर से मर रहे हैं। इसी प्रकार से गुब्बारा उद्योग को भी इनमें शामिल करना चाहिए। इसलिए, इस विधेयक में एक समिति गठन करने का प्रबंध है जो कि सरकार को सलाह देने का काम करेगी ताकि और अधिक व्यवसाय इन अनुसूचियों में सम्मिलित हो सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के लिए कोई समिति बनाने की जरूरत नहीं है। यह काम स्वयं सरकार ही कर सकती है। कोई भी अवरसचिव या उपसचिव फाइल तैयार कर सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय उस पर निर्णय ले सकते हैं। सरकार को सलाह देने हेतु समिति बनाने का तात्पर्य कार्य बढ़ाना है और इससे इस विधेयक में और सुधार करने में भी विलम्ब हो सकता है।

किसी प्रकार से धारा 3 ऐसी किसी वर्कशाप पर लागू नहीं होती है जहां उसके मालिक द्वारा अपने परिवार की सहायता से काम किया जाता है। यह भी बहुत खतरनाक है। यदि हम समझते हैं कि कोई कार्य विशेष बच्चों के लिए खतरनाक है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। विधेयक में इस विसंगति को दूर करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्री संगमा हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनके इरादे भी बहुत नेक हैं। इस विधेयक से यह साफ जाहिर है कि उनके बहुत अच्छे इरादे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है :—

"किंत्वा क्रियते धेन्वा
या नसूता ना दुग्धधा"

इसका अर्थ है कि ऐसी गाय का क्या फायदा जो कि न तो दूध देती है और न ही बछड़ा। ऐसे विधेयक का क्या फायदा जो अच्छी बातों से भरा हो पर उसको कार्यान्वित करने का कोई प्रबन्ध न हो।

इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रबन्ध है ? हम यह चाहते हैं कि बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध हो । पर इस समय वह सम्भव नहीं है । इसके लिए वातावरण और आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा ताकि इस देश में बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करा जा सके ।

भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है । पर इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अनपढ़ भी हैं । इस देश में सारे विश्व में से सबसे अधिक अशिक्षित लोग हैं और बाल श्रमिक भी इसी देश में सबसे ज्यादा हैं ।

खण्ड 3 अनुसूची क और ख में बताये गए व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाना है लेकिन एक बड़ी चीज यह है कि सारे व्यवसायों को खतरनाक करार नहीं दिया गया है । काम के एक हिस्से को खतरनाक ठहराया गया है और दूसरे को नहीं । जब कोई निरीक्षक बाल श्रमिक को काम करते हुए देखता है, तो उसे यह कैसे मालूम हो कि वह खतरनाक शाखा में काम कर रहा है या नहीं । इसलिए इसको लागू करना कठिन होगा । मैं आशा करता हूं कि आप इसे देखेंगे ।

जहां तक परिवार की परिकल्पना का सवाल है, यह कैसे हो सकता है कि कोई कार्य यदि परिवार में किया जाए तो वह खतरनाक नहीं होगा और यदि वही कार्य किसी कारखाने में किया जाए तो वह खतरनाक होगा । ऐसा दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है । मेरे विचार से तो यह बिल्कुल सही नहीं है ।

इसके बाद, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं । तो वे जानते होंगे कि किस प्रकार से परिवार की परिकल्पना का दुरुपयोग किया जाता है । मुझे मालूम है कि बीड़ी उद्योग में इस परिकल्पना का कैसे दुरुपयोग होता है । मालिक तम्बाकू के पत्ते देता है । हर घर में भेजता है । और गरीबी की वजह से मजदूर यह कह देते हैं कि वे परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं जबकि वे मालिक के लिए काम कर रहे हैं । माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए अन्यथा इससे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी ।

धारा 3 में बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की व्यवस्था है । जैसे मेरे मित्र ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है । इस विधेयक से निकाल देना चाहिए क्योंकि यह काम आसानी से किया जा सकता है । अफसर लोग भी यह काम कर सकते हैं ।

विधेयक के भाग 3 में यह कहा गया है कि काम के घंटों आदि के बारे में सभी वर्ग विस्तृत प्रावधान करेंगे । पर उनको लागू करने के लिए क्या प्रबन्ध हैं ? उनके पास कोई तंत्र नहीं है । विधेयक की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें उसको कार्यान्वित करने के लिए कोई तंत्र की व्यवस्था नहीं है । और जो भी उन्होंने व्यवस्था की है, आप जानते हैं कि राज्यों में जाने पर इस विधेयक का क्या हाल होगा ?

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : पश्चिम बंगाल में भी नहीं ?

श्री नारायण चौबे : हर जगह । मुझे सच बात कहने दो । मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यदि आप अन्य राज्यों के लिए भी अपनी सहमति दें ।

धारा 16 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है । यह बहुत अच्छी बात है । पर धारा 16(2) में प्रमाण-पत्र का प्रश्न रखा गया है । उन्होंने यह

कहा है कि कोई भी विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस बात के लिए पर्याप्त होगा कि बालक की उम्र 14 या 12 या 18 या 19 है। इस देश में, जिसको भारत कहते हैं। आपको मालूम है कि चिकित्सकों से मालिक लोग क्या काम लेते हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में सोचें। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और एक 12 साल की आयु के बच्चे को 18 साल का दिखाया जा सकता है। इसलिए इसे भी देखना चाहिए।

यह केवल एक प्रतिषेधक, विनियामक, नियंत्रक विधेयक है। किंतु अन्य बाल श्रमिकों का क्या होगा? बाल श्रमिकों में से 80 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं आशा करता हूं कि उनके लिए भी एक विधेयक लाया जाएगा।

आखिरकार वो भी तो बच्चे हैं। इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ये किसी विधेयक या अधिनियम में शामिल हो। अगर आप अनुसूचित जातियों व जनजातियों के बारे में जोकि बाल-श्रमिकों को जन्म देते हैं नहीं सोचेंगे तो इन जातियों में से अधिकांश को आप इस समस्या से कभी नहीं बचा सकते।

महोदय, इसके बाद एक अन्य बात है जिसे मैं यहां कहना चाहता हूं। यद्यपि यह मामला इस मंत्रालय के अधीन नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि जब तक सरकार विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों को लागू नहीं करती. जैसेकि बंगाल में किए गए हैं परन्तु अन्य राज्यों में नहीं, तब तक आप अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों का कोई सुधार नहीं कर सकते और उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मार्केट में आने से नहीं रोक सकते। उनकी संख्या 100 लाख से बढ़कर 170 लाख तक पहुंच चुकी है।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, माननीय मंत्री को 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए और उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे आप बालक श्रमिकों की समस्या को खत्म कर सकते हैं। मैं अपने मित्र राम से पूरी तरह सहमत हूं परन्तु अन्य मित्रों से जो कहते हैं कि गलीचा बुनाई, ऊन धुनाई आदि को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। गलीचा बुनाई इसमें अवश्य शामिल किया चाहिए और इसके अतिरिक्त कांच फुलाना, पत्थर तराशना आदि भी इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा आशा करता हूं कि उनके अच्छे इरादों को पूरा कर सकने के लिए कुछ अन्य सहायक उपायों को भी किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : माननीय सभापति महोदय, जब नन्हे-मुन्ने बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, जब उनको पार्क में चहचहाते होना चाहिए था, जब उनको हंसना खेलना चाहिए था तब वह फटे चिथड़ों में लिपटे स्टेशनों पर भीख मांगते हैं। यही नहीं छोटे-छोटे बच्चे स्कूटर, मोटर मेकेनिक को रिंच उठाकर देते हैं यह हमारे अधिकांश बच्चों की दशा है। यही नहीं, इनसे कुछ अनैतिक कार्य भी कराये जाते हैं। जैसे इनके गैंग का सरदार किसी

स्टेशन आदि जगह पर बैठकर इनसे लोगों की जेब कटाने का काम भी कराते हैं। इनकी रोक-थाम तभी सम्भव है जब हम इनके बारे में गम्भीरता से विचार करें। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे गांवों में अधिकांश किसान हैं जहां एक कहावत सी बन गई है कि पढ़ाई लिखाई न करके गाय भैंस चराना जरूरी है। इस प्रकार की तमाम वहां किंवदंतियां है। जो इन पर साफ उतरती है। इस सबका कारण केवल मात्र गरीबी ही है। हमारे देश में 40 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे के है इसीलिए वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। यही बच्चे जो आगे चलकर हमारे लिए फायदेमंद होते, हमारे लिए समस्या बन जाता हैं। हमारे गांव के बच्चों को तुरन्त खेत आदि पर काम पर लगा दिया जाता है। जैसे ही वहां किसी घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ वह थोड़ा बड़ा होकर गांव के चौधरी के यहां जाता है और कहता है कि महाराज आपका यह गुलाम आया है। ज्यों ही वह जानने वाला हुआ उसको चरवाही में लगा दिया जाता है। तो वह कैसे तरक्की कर सकता है। इसलिए हमें कानून ऐसा बनाना चाहिए, हम चाहते तो हैं उसको पढ़ाना, लेकिन पढ़ाई जरूरी होनी चाहिए और ऐसे गरीब 'बच्चों' को स्कूल में स्कालरशिप मिलनी चाहिए साथ में दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा): चेयरमेन, साहब मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा कि सदन में जो जल्दी-जल्दी कार्यवाही हो रही है, यह समझ में नहीं आता। खयालात दिल में रह जाते हैं, बोल नहीं पाते और फिक्र यह है कि बिल जल्दी से पास हो जायें। यह बड़ा गलत तरीका है। अगर आज समय नहीं है तो कल समय दीजिए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आइन्दा इसका ध्यान रखा जाये। मैं राष्ट्रीय पार्टी का हूं इसलिए मुझे समय दिया जाये बोलने का। मैं बाल श्रम (प्रतिषेध विनियमन) विधेयक पर जो बहस चल रही है, उस सिलसिले में यह कहूंगा कि यह बिल क्यों लाया गया। बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज है गुबंत, पहले आप गुबंत को खत्म करें जब तक हिन्दुस्तान से गुबंत खत्म नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। यह गरीब बच्चे न हों तो यह अपने मां-बाप को नहीं पाल सकते, इसलिए यह मजबूर हैं अपराध करने के लिए, मजबूर है, होटलों में काम करने के लिए और रिक्शा चलाने के लिए। आप बाहर चलकर देखिये कि किस उम्र के बच्चे रिक्शा चलाते हैं। जब आप इस गरीबी को दूर नहीं कर सकते तो क्यों यह बिल ला रहे हैं। इसका फायदा क्या है। क्या आप उन बच्चों के मां-बाप की गारण्टी देंगे जिनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, कि वह पल जायेंगे। यह बिलकुल सही बात है कि आप एक तरफ बिल लाते हैं और दूसरी तरफ गुबंत को नहीं देखते। हिन्दुस्तान की आज आर्थिक स्थिति क्या है, पहले आप गरीबी को खत्म करें तब बिल लायें।

आज हम देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे, उनके पालन-पोषण की तरफ हमारी तवज्जोह नहीं है, आपने कम्पलसरी एजूकेशन कर रखी है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आप मुझे बताय कि सदन में आप बिल पास करा लेते हैं, लेकिन उन पर अमल किस हद तक होता है। क्या सरकार बतायेगी कि इस एक्ट में कितने चालान किये गये हैं और कितने बच्चों को तहकीकात की

गई है, कितने कमिशन बिठाये गये हैं यह पता लगाने के लिए कि छोटे-छोटे बच्चे कितनी संख्या में रिक्शा चला रहे हैं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या और दीगर काम कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि फिरोजाबाद में, वहां चूड़ियों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है, जहां भट्टियां जलती हैं, वहां मैंने देखा है, चेयरमेन साहब आप भी उनको देखें तो रो पड़ेंगे, उनकी मासूमियत को देखकर कि किस तरह छोटे-छोटे बच्चे आठ-आठ घंटे आग के सामने बैठे रहते हैं परन्तु वे जो कुछ तनख्वाह के रूप में लाते हैं, उसी से उनके मां-बाप अपने परिवार का पालन करते हैं। आज सारा हिन्दुस्तान गुरबत का शिकार हो रहा है, इस लिए पहले आप गुरबत को मिटाइये। वरना चाइल्ड लेबर बिल लाने का कोई फायदा नहीं है। आखिर गरीब क्या करें, कहां से खाने को लाये। मां-बाप अपने छोटे-छोटे बच्चों को मेहनत मजदूरी कराने के लिए भेजने पर मजबूर होते हैं ताकि उनकी रोटी चल सके। आप इस तरफ तवज्जह देकर गुरबत को खत्म कीजिए, फिर यह बिल लाइये। सन् 1981 की सैन्सस के मुताबिक इस देश में 11.17 मिलियन चाइल्ड वर्कर थे जिसमें से 7.41 मिलियन लड़के और 3.76 मिलियन लड़कियां थीं। इनमें से मैजोरिटी अशिक्षित, इल्लिटरेट और तालीमयाफ्ता नहीं है। ये बच्चे किस वर्ग से आते हैं, अधिकतर शेड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड होते हैं, अमीरों के नहीं होते। अमीरों के बच्चे तो बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं परन्तु गरीब बच्चों के लिए वह भी नहीं है। इस स्थिति की तरफ आप ध्यान दीजिए। आपके खुर्जे में भी एक पौटरी लगी हुई है, उसमें भी चाइल्ड लेबर की स्थिति ऐसी ही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप बच्चों की तालीम की तरफ पहले ध्यान दीजिए, उनकी गुरबत खत्म कीजिए तभी इस बिल का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। आप नये बिल बनाते रहिए, दिखाते रहिए, अखबारों में निकलवा दीजिए कि हमने यह बिल पेश किया उसे पास करवाया परन्तु किसी पर अमल नहीं होता। अमल की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप जो बिल लाये हैं, बहुत अच्छा है, आपने एक खास उम्र के बच्चों को किन्हीं खास जगहों पर कार्य करने पर पाबन्दी लगायी है, परन्तु आप इस पर सीरियसली इम्पलीमैंटेशन की तरफ भी ध्यान दें। यदि इसको आप सही तरीके से इम्पलीमैंट नहीं करायेंगे तो इस बिल को लाने और पास करवाने का कोई फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, मैं भारी मन से इस विधेयक पर बहस में हिस्सा ले रहा हूं, मेरा दिल दुखों से भरा हुआ है क्योंकि इस विधेयक से सरकार इस देश के लाखों मासूम बच्चों के भविष्य को खत्म कर रही है। इस बालक श्रम (प्रतिषेध विनियमन) विधेयक द्वारा सरकार उन बेईमान मालिकों खास कर निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को ज्यादा बाल श्रमिकों के नियोजन की खुली छूट देने जा रही है जोकि हमारे संविधान के भाग III और IV के प्रावधानों के प्रतिकूल है क्योंकि इनमें काम करने वाले वर्ग के प्रति दयालुता दर्शाई गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह कहा है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के मूल सिद्धान्त हैं जिनको न बदला जा सकता है न इनकी उपेक्षा की जा सकती है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 24 के प्रतिकूल है। अनुच्छेद 24 इस प्रकार है :

> "चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।"

दोबारा अनुच्छेद 45 में यह वादा किया गया है कि :—

"राज्य इस संविधान के प्रारम्भ के दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।"

महोदय, यह विधेयक लगभग 1938 के अधिनियम की पदानुपद प्रति है। बालक नियोजन अधिनियम, 1938 कभी लागू नहीं किया गया। इसी प्रकार से अनियमित क्षेत्र के लिए वयस्क श्रम पर बनाए गए कानूनों जैसे बन्धुआ मजदूरी अधिनियम, इन्टर-स्टेट माइग्रेन्ट लेबर एक्ट और कंटरैक्ट लेबर एक्ट भी निराशाजनक रहे क्योंकि सरकार इनको लागू करने में असफल रही है। इस विधेयक के भाग III धारा 3 में बच्चों के काम के समय के बारे में विस्तार से प्रावधान बनाए गए हैं। बच्चों को अगर एक बार नियोजित कर लिया जाता है तो वयस्क मजदूरों की तरह ही उनसे पूरे आठ घण्टे काम लिया जाएगा और वहां पर कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं है जो इसका निरीक्षण कर सके।

श्रम मंत्री जी को मालूम है कि आसाम में 775 चाय बागान हैं जिनमें करीब 15 लाख मजदूर काम करते हैं और उनकी रहने की स्थिति (सामाजिक-आर्थिक स्थिति) देश के अन्य भागों में काम करने वाले मजदूरों की तुलना में सबसे बदतर है। उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है और वे गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आप प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने में असफल रहे हैं। आप फैक्ट्री एक्ट, 1948, वर्क्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923, दी मैटरनीटी बैनेफीट एक्ट, 1961, चाइल्ड लेबर एक्ट, 1938, दी इक्वल रम्यूनरेशन एक्ट, 1976, मीनीमम वेज, 1948 और पेमैंट आफ बोनस एक्ट, 1965 को भी लागू करने में असफल रहे हैं। अभी अगर आप आसाम में जाएं तो आप पायेंगे कि चाय फैक्ट्रीयों में काम करने वाली औरतों से जबरन रात को भी काम लिया जाता है। मैंने 12 वर्ष के कम आयु के बच्चों को चाय बागानों में काम करते देखा है फिर उनको छः घण्टे काम व उनके आराम की तो बात ही क्या है उन्हें थोड़े से वेतन में पूरे दिन के लिए नियोजित किया जाता है। अतः आपका कानून आसाम में मूक दर्शक बन गया है। कानून के अन्तर्गत काम करने वाली औरतें प्रसूति अवकाश की हकदार हैं परन्तु वे इससे वंचित की गई हैं क्योंकि वे स्थायी कर्मचारी नहीं हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री भद्रेश्वर तांती : आपके भ्रष्ट अधिकारियों को ये सब मालूम है। परन्तु अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन बेचारी काम करने वाली औरतों को प्रसूति अवकाश का लाभ नहीं मिलता। हमारे अशिक्षित लोगों के इस लोकतन्त्र में आप राजनैतिक लाभ के लिए हजारों कानून बना सकते हैं, परन्तु उन्हें आप तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक लोगों को व काम करने वाले वर्ग को शिक्षित नहीं करते।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें। इसके बाद श्रीमती प्रभावती गुप्त बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : सभापति महोदय, यह चाइल्ड लेबर के बारे में जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया समाप्त करें।

श्री भद्रेश्वर तांती : भारत में बालक श्रमिकों की संख्या अनुमानतः 17.31 लाख है। अगर उन्हें काम से हटा दिया जाया है तो ये नौकरियों की जगहें उनके बेरोजगार माता-पिताओं को दी जा सकेंगी। बालक श्रमिकों की वजह से वयस्क बेरोजगारी ज्यादा होती है। यह स्पष्ट है कि जब तक मालिकों को सस्ते व ज्यादा आज्ञाकारी बाल श्रमिक उपलब्ध हैं तब तक वह वयस्कों को काम पर नहीं रखेंगे। बालक श्रम को समाप्त करने का तरीका यही है कि इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कई बार आपको कहा कि कृपया पढ़ना बन्द करें।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदय, एक मिनट का समय और दीजिए।

मालिकों को जो बाल श्रमिकों को नियोजित करते हैं उन्हें अनिवार्य कारावास, ऊंचे कर लगाकर व चुंगीकर लगाकर सजा दी जानी चाहिए। नहीं तो वे मालिक वयस्क मजदूरों की बजाए बाल श्रमिकों को नियोजित करने की तरफ ज्यादा झुकेंगे।

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : मुझे कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : अब कुछ मत बोलिए क्योंकि और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। आपको कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, केवल एक मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय : क्या आप शीघ्र समाप्त करेंगे ?

श्री भद्रेश्वर तांती : जी हां श्रीमान, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह लाखों मासूम बच्चों के दिमागों को अच्छे कल के लिए प्रशिक्षित करें क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तीव्र विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से विधेयक वापिस लेने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना भाषण एक कविता से शुरू करना चाहती हूं जिससे पता चल जाएगा कि हमारे देश में क्या स्थिति है—

"लूंगा वही-वही लूंगा मैं, मचल गया दीना का लाल
वह बालक पुकार रहा था पथ में जिसको बारंबार
लूंगा वही-वही लूंगा मैं, मचल गया शिशु राजकुमार

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वह बालक पुकार रहा था पथ में बारंबार
वह तो मिट्टी का ही होगा खेलो तुम तो सोने से
दौड़ पड़ीं सब दास-दासियां राजपुत्र के रोने से
राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार
लूंगा वही-वही लूंगा मैं, मचल गया दीना का लाल।"

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं विशेषकर के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के बारे में जहां कि दक्षिण अफ्रीका के रंग-भेद के विरोध में आवाज उठाई जाती है, मानवता की गुहार करने वाला हमारा देश, परमाणु-शस्त्र का घोर विरोधी, विश्व-शांति के लिए कबूतर उड़ाने वाले इस देश में 4 करोड़ 40 लाख बाल-श्रमिक हैं। सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार तो हमारे यहां 10 करोड़ बाल-श्रमिक हैं।

सभापति महोदय, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि एक तरफ हमारे संविधान में यह कहा गया है कि 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को हम अनिवार्य-शिक्षा देंगे और मंत्री महोदय ने इस बिल में कहा है कि बच्चों को छः घंटे काम करना होगा और यदि छः घंटे से ज्यादा कोई बच्चों से काम लेगा तो उसको तीन महीने की सजा और दस हजार रुपया जुर्माना किया जाएगा। मान्यवर, आप संविधान में कहते हैं कि 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और बिल में कहते हैं कि उससे छः घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा, तो मुझे जब आप जवाब दें, तब इस बात को अवश्य स्पष्ट कर दें कि किस समय बच्चा शिक्षा पाएगा और किस समय बच्चा काम करेगा। इन दोनों समय का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आजादी के बाद कई विधेयक बाल-श्रमिकों के लिए पास हुए हैं। सबसे पहले 1938 में पास हुआ और बाल श्रमिकों के कल्याण के काम हुए। आजादी के बाद 1948 में फैक्ट्री एक्ट में सुधार किया गया और रात में करने न जाने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया। उसके बाद 1952 में और भी कल्याण के काम हुए। हुआ यह कि 16 बरस के बच्चों को खान में काम करने नहीं दिया जाएगा।

मैंने जो कविता पढ़ी, आज हमारे देश के अन्दर 4 करोड़ 40 लाख बच्चे इसमें लगे हैं। 2 करोड़ 70 लाख तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और 1 करोड़ 70 लाख संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यह क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि 5 साल के बच्चे से भी काम कराया जाता है। मैं जानती हूं हमारे इस देश में इस तरह के बच्चों से काम कराया जाता है। यह बात नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बच्चे ही काम करते हैं, गरीब किसी भी जाति का हो उससे काम कराया जाता है। यह हमारा आज का जो आर्थिक ढांचा है, यह सबसे बड़ा इसके लिये अभिशाप है।

मैं कहना चाहती हूं कि आज से 10 साल पहले हमारे यहां बाल श्रमिकों के लिए भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उन्होंने जो सुझाव दिए थे, अगर हमारी सरकार उन सुझावों पर कार्यान्वयन करती तो आज इन विधेयकों को रखने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने सुझाव दिया था कि आई०एल०ओ०, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो मानक निर्धारित किये गए हैं, उनके अनुसार काम करना चाहिए। बच्चों और अभिभावकों को वैकल्पिक कार्य दिया जाए

और उसके साथ श्रम को रोजगार से जोड़ा जाए, बच्चों के लिए आकर्षक शिक्षा की व्यवस्था हो।

दूसरे मैं यह पूछना चाहती हूं कि यूनिसेफ, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन तथा श्रम संगठन द्वारा समय-समय पर बाल श्रमिकों के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में हमारी सरकार ने क्या किया ? हमारे अजैय्या साहब भी चाइल्ड लेबर के लिए बिल लाए थे, उसके बाद फिर यह बिल आपको लाना पड़ा है। मैं जानना चाहती हूं कि बार-बार क्यों आपको बिल लाना पड़ता है आप एक बार कम्प्रीहैंसिव बिल लाइए। हमारे 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों पर सही कार्यान्वयन नहीं होता, एन०आर० ई० पी०के कार्यक्रम में सही कार्यवाही नहीं होती अगर उन पर सहीकार्यान्वयन होता तो आज गरीबी की सीमा-रेखा से हमारे देश के लोग काफी आगे बढ़ते और बाल श्रमिकों का भी बहुत कल्याण होता। मैं निवेदन करूंगी कि समय-समय पर जो सुझाव दिए गए हैं, उनको कार्यान्वित किया जाए तो बाल श्रमिकों की व्यवस्था में काफी सुधार होगा।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कर्नाटक में कई आदमी मर चुके हैं। वहां पर जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। कर्नाटक के मुख्य मंत्री व्याख्यान देते हैं तथा न्यायपालिका पर बुकलैट व अन्य चीजें सांसदों को भेजते हैं। कर्नाटक में मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं ? आज 27 आदमी मारे गए और मुख्य मंत्री स्थिति को नियन्त्रित करने में असमर्थ हैं। गृह मंत्री जी को कर्नाटक के लोगों खास कर अल्प संख्यकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सदन में बयान देना चाहिए।

श्री पी० एम० सईद (मलप्पुरम) : यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। अल्पसंख्यक अपने आपको पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक में कल ही 7 आदमी मारे गए हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : कर्नाटक की सरकार जन-विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी है। लोगों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस सम्बन्ध में बयान देना चाहिए। अल्पसंख्यकों का सरकार से विश्वास उठ गया है।

सभापति महोदय : पांच बजे इस पर बयान दिया जा रहा है आप कृपया इन्तजार करें। पांच बजे आपको बयान मिल जाएगा।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और सभी मुद्दों पर बोला जा चुका है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस मामले की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री को बहुत बारीकी से इसकी जांच करनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री राम कुमार मीना और श्री सैयद शाहबुद्दीन ने कहा कि माननीय मंत्री को कम से कम उन सदस्यों का रिकार्ड देखना चाहिए जो इस पर सदन में बोले।

मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि उन्हें प्रधान मंत्री से मिलना चाहिए और वह सब कुछ बताना चाहिए जो माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा और यह विधेयक विनम्रता से वापिस ले लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत नुकसानदायक है। यह स्वयं संविधान के विरुद्ध है, यह हमारे धर्म तथा सामाजिक-आर्थिक ढांचे के विरुद्ध भी है। पिछली कई शताब्दियों से हम चार

वर्षों की परंपरा में रहते चले आ रहे हैं, बचपन जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होता है और बच्चों की देखभाल ठीक तरह से की जानी चाहिए ताकि वे भारत के अच्छे नागरिक बन सकें, तभी देश प्रगति कर सकता है।

श्रीमान, हमारे प्रधान मंत्री जी ने निरक्षरता, कई रोगों जैसे मलेरिया आदि को हटाने की घोषणा के साथ साथ उन्होंने गरीबी हटाने तथा काला धन हटाने की भी अपनी नीति की घोषणा की है। इस प्रकार कई उन्मूलन कार्यक्रम बनाए गए हैं, परंतु यह बात सरासर इसके-विपरीत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बालक-श्रम को वैधानिक बनाने के लिए यह विधेयक लेकर आए हैं, उन्हें सम्मान इस विधेयक को वापस लेना चाहिए तथा अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूं।

यह विधेयक परिवार कल्याण के एक हिस्से के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि भारत में एक भिखारी भी शादी कर सकता है और अपना परिवार बढ़ा सकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम एक निश्चित संख्या के बाद बच्चे पैदा करने पर रोक लगाता है। मैं समझता हूं कि श्रम मंत्री उन्हें अकाल मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। यह परिवार कल्याण के समान है और देश के छोटे बच्चों को अकाल मृत्यु की ओर धकेलने के समान है। व्यावहारिक रूप में कोई इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता है क्योंकि प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। भारत में, केवल तीन प्रतिशत परिवार ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेज पाते हैं। इस तरह से विषमता बढ़ेगी। समाज में प्रभावी वर्गों के लोगों के, जिनकी संख्या भारत की जनसंख्या का 3 प्रतिशत है, बहुत सीमित परिवार है। इसे रोका जाना चाहिए। हमारा संविधान यह कहता है कि प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार हो और शिक्षा के मामले में प्रत्येक व्यक्ति से समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से यह अन्तर और बढ़ेगा और यह भारत के लिए एक गलत उदाहरण कायम करेगा। हमें यह देख कर शर्मसार होना चाहिए कि छोटे छोटे देशों तक ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन प्रदान किया है। हम, विश्व में कई क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री तथा श्रम मंत्री को भी ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे यह दिखाई दे कि वे भी बच्चों के बारे में चिंतित है और इस बारे में हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाय और मंत्री महोदय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमें भारत में बच्चों के लिए चाहिएं, प्रधानमंत्री की सहमति के साथ एक विस्तृत विधेयक लाएं।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाल श्रम विधेयक पर बोलने का मौका दिया। आज हमारे देश में ऐसे अनेकों गरीब परिवार है जिनको पेट भर खाना और पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है। इन तमाम परिस्थितियों देखते हुए हमारे श्रम मंत्री महोदय एक ऐसा विधेयक लाये हैं जिससे ज्यादा-से-ज्यादा बच्चों को इन जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा जहां पर कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह विधेयक सही है। यह इस कारण से भी सही है क्योंकि हमारे

इस देश में ऐसे भी परिवार हैं जिनको एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं मिलता है। अगर वह काम न करें तो वह अपने बच्चों का पेट पाल नहीं सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह बिल सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसमें जो नियम बनाये गये हैं कि उनको 6 घंटे काम करने का मौका दिया जायेगा, उससे ज्यादा काम उन बच्चों से कोई लेगा तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है और सजा हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं जब तक इस देश में गरीबी रहेगी और लघु उद्योग रहेंगे तब तक उनमें इन बच्चों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है क्योंकि अभी हमारे देश में वह मशीनें नहीं हैं जिनसे कि हम कालीन बना सकें या इस प्रकार के दूसरे धंधे कर सकें। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो बच्चे वहां पर काम करते हैं उनको आप अवश्य सुविधायें दें, उनके लिए तालीम, शिक्षा प्राप्त करने का प्रबन्ध करें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। आज हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूं माननीय श्रम मन्त्री जी यह बहुत अच्छा बिल लाये हैं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इन युवकों की समस्याओं का समाधान तभी सम्भव होगा जबकि उनकी तथा देश की गरीबी दूर होगी।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, इस सदन के सामने जो बालक श्रम (प्रतिषेध विनियमन) विधेयक लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस देश में जो बालक श्रमिकों की हालत है वही हालत इस सदन में इन्डेपेन्डेंट सदस्यों की भी बन चुकी है। विगत में हमारे संगमा साहब इस सदन में इस तरह का कानून लाये थे, जिसका हमने भी स्वागत किया था, लेकिन इस देश में इस प्रकार के जो मासूम बच्चे हैं जोकि दो रोटियों के लिए मोहताज हैं, उन बाल श्रमिकों की आज यह हालत बन चुकी है कि खुला आसमान उनकी चादर है और यह जमीन उनका बिछावन। आप इस प्रकार के कानून इस सदन से पास कराकर उन बाल श्रमिकों के लिए सुविधाओं की बात तो करते हैं लेकिन जबतक आप उनको वास्तव में कार्यान्वित नहीं करेंगे तबतक ये बालक दिन भर मजदूरी करेंगे मेहनत करेंगे लेकिन उनके बुजुर्ग माता-पिता को दो रोटियों के लिए भी तरसना पड़ेगा। आपने इस सदन में कानून तो बना दिया लेकिन केवल कानून बना देने से ही काम नहीं चलेगा।...(व्यवधान) अभी तो सभापति महोदय, मैं भूमिका ही दे रहा था। मैं यह कह रहा था कि बाल श्रमिकों के लिए यहां पर कानून बना देने से ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यदि आप कानून बनाते हैं तो वह कानून सही रूप में कार्यान्वित भी हो, यह आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए।

आप बाल मजदूरों की बात करते हैं। अनेक माननीय सदस्यों इस संबंध में बोले लेकिन यह जो मजदूर शब्द है, बाल मजदूर पं० जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं, दूसरे अनेक नेताओं ने भी कहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं लेकिन आज उन्हीं बच्चों की यह हालत है कि आज वे इस बात को भी नहीं जानते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। वे यह भी नहीं जानते कि संसद ने उनके लिए जो कानून बनाया है उसके क्या प्रावधान हैं। (व्यवधान) मैं उन मासूम बच्चों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जबतक देश शिक्षा की कमी रहेगी, जबतक इस देश से गरीबी नष्ट नहीं होगी तबतक बाल श्रमिकों के कानून केवल इस सदन में ही बनकर रह जायेंगे, उनका कोई लाभ उन बाल श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाएगा।

इन शब्दों के साथ, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी (कांगड़ा) : श्रीमान, मैं इस विधेयक के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी, इस विधेयक में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी भी हैं। भारत के नागरिक होने के नाते मैं यह चाहूंगी कि बालक श्रम पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हमें वास्तविकता को तथा जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए।

5.00 ब. द.

वास्तविकता यह है कि इस देश के 1.70 करोड़ बच्चे काम करते हैं, इस बारे में कोई उचित नियम या विनियम नहीं हैं। वे भयानक स्थिति में कार्य करते हैं; कार्य-घंटे निश्चित नहीं होते हैं, न उनको कोई छुट्टी दी जाती है और न ही उनको उचित मजदूरी तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आदि दी जाती हैं।

इसलिए मैं सोचती हूं कि यह विधेयक सही दिशा में रहा है तथा उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहूंगी, सबसे पहले हम ये देखें कि बच्चे कार्य क्यों करते हैं। उन्हें काम करना कोई अच्छा नहीं लगता है वे भी खेलना चाहते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि उनका परिवार भूखों मर रहा है तो इस तरह उनकी मुखमरी उन्हें काम करने पर मजबूर करती है।

इसलिए, मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगी। इस विधेयक में कुछ कमियां हैं। पहले तो किसी प्रकार की आयु-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है दूसरे जिन रोजगारों पर रोक लगाई गई है उनकी सूची विस्तृत नहीं है। इसे फिर से ध्यान से देखा जाना चाहिए तथा सभी ऐसे रोजगार जिन पर रोक लगाई गई है उनका अध्ययन करके एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए तथा फिर उसे लागू किया जाए।

एक चीज जिसे हमें सुनिश्चित करना है वह यह है कि बच्चों को भी वयस्क श्रमिक के समान मजदूरी दी जाए। अगर कोई वयस्क मजदूर एक दिन की 15 रु० मजदूरी लेता है तो बच्चे को भी 15 रु० ही दिए जाने चाहिए, क्योंकि वे अपना अमूल्य समय लगा रहे हैं। मैं यह सलाह भी देना चाहूंगी कि 4 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे 8 बजे से लेकर 1 बजे दोपहर तक स्कूल जाने चाहिएं। अगर वे काम करते हैं तो उनसे 2 से शाम 6 बजे तक काम करवाया जाना चाहिए यानि एक दिन में केवल चार घंटे तथा एक छुट्टी भी दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

काम करने वाले बच्चे की आयु कम से कम दस वर्ष की होनी चाहिए। इससे कम आयु के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ये कुछ सलाह हैं, जो मैं देना चाहती थी। मेरे पास यूं तो कुछ और सुझाव भी हैं परंतु आपने मेरे समय पर रोक लगा दी है।

सभापति महोदय : बल्कि मैंने तो अधिक समय देकर आपको अनुगृहीत किया है, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : मैं दो बातें और करना चाहती हूं ।

इस कानून को लागू करने के लिए जो संगठन बनाया जाएगा उसमें महिला कर्मचारी भी होनी चाहिए । एक औरत माँ होने के नाते बच्चे की मुश्किलों को समझती है । इस कानून को लागू करने के लिए इसे मात्र राज्य सरकारों पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए । इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए ।

प्रत्येक काम करने वाले बच्चे को पंजीकृत करवाना चाहिए तथा एक उसे परिचय पत्र भी दिया जाना चाहिए । बिना परिचय-पत्र के किसी बच्चे को काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । बच्चे को पंजीकृत करवाने तथा उसको परिचय पत्र देने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होनी चाहिए ।

नियोक्ता पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए कि उसके पास काम करने वाले बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं तथा उनको व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है ।

मैंने कुछ पहलुओं के बारे में जो मैं समझती हूं कि विधेयक में आने से छूट गए हैं सुझाव दिए हैं, और मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय उनकी जांच करेंगे, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देती हु तथा विधेयक का समर्थन करती हूं ।

1.0.3½ म०प०

अंग्रेजी दैनिक "डेक्कन हेराल्ड" में एक लघुकथा के प्रकाशन के विरोध में कर्नाटक में उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृहमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सदन को 7 दिसम्बर, के 'डेक्कन हेराल्ड" के साप्ताहिक विशेषांक में प्रकाशित एक लेख के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप बंगलौर तथा कर्नाटक के कुछ भागों में हुई हिंसा की जानकारी है । दंगों के फलस्वरूप पुलिस को बंगलौर तथा मैसूर में भी गोली चलानी पड़ी । सूचना के अनुसार पुलिस की गोली-बारी के परिणाम स्वरूप 11 व्यक्ति बंगलौर में और 4 व्यक्ति मैसूर में मारे गए । केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है और उसने इस सम्बन्ध में पूरे ब्यौरे देने के लिए कहा है राज्य सरकार ने कुछ प्रशासनिक कार्यवाई शुरू कर दी हैं । इन घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं । यह मालूम हुआ है कि समाचार पत्र के सम्पादक और प्रकाशक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अधीन गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं । यह भी बताया गया है कि राहत कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं इस संबंध में राज्य सरकार से ब्यौरे प्राप्त होने हैं ।

यह बहुत खेद की बात है कि हमारे मुसलमान भाईयों की भावनाओं का ध्यान किए बगैर समाचार पत्र में लापरवाह और उत्तेजक लेख प्रकाशित किया गया । इस कार्य में कई बहुमूल्य जानें गई । गृहमन्त्री ने कर्नाटक के मुख्य मन्त्री और राज्यपाल से भी बात की है । उन

दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कानून और व्यवस्था तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं राज्य प्राधिकारियों के संपर्क बनाए हुए हूं। केन्द्र सरकार ने ऐसी सभी सहायता की पेशकश की है जिसकी राज्य सरकार को आवश्यकता हो।

हमने मुख्यमन्त्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि भड़काने वाले ऐसे प्रकाशनों की पुनरावृत्ति न हो और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि इसके लिए उपाय किए जाएंगे। हमने राज्य सरकार पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बल दिया है कि समाज-विरोधी तत्वों द्वारा स्थिति का फायदा न उठाया जाए।

हम बंगलौर में मुसलमान समुदाय के नेताओं से सम्पर्क भी बनाए हुए हैं और हमने उन्हें सम्पूर्ण संरक्षण देने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के वातावरण को दूषित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुसलमान भाईयों के आघात को महसूस करते हुए मैं उनसे समाचार पत्र के सम्पादक की बिना शर्त क्षमा याचना जो मुख्य रूप से प्रकाशित की गयी है, को स्वीकार करने की अपील करता हूं। मैं उन व्यक्तियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिनकी पिछले दो दिनों में जानें गयीं जो घायल हुए।

शान्ति और साम्प्रदायिक सद्भाव की इस समय जरूरत है और इस सदन के द्वारा कर्नाटक के सभी वर्गों के लोगों से शान्ति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बहाल करने की अपील करता हूं।

5.05 म० प०

बालक श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) विधेयक-जारी

[अनुवाद]

श्री पी० वेंचालैया (नेल्लौर) : सभापति महोदय, मैं बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) विधेयक का समर्थन करता हूं, संविधान के निर्माताओं ने बच्चों की ओर बहुत ध्यान दिया लेकिन उनके सपने आज तक सपने ही रह गए हैं।

पिछले 40 सालों के दौरान हम कानून बनाने के बारे ही चिंता करते रहे हैं लेकिन हमने उन कानूनों को लागू करने के बारे में चिंता नहीं की। आज हम एक और कानून इसमें जोड़ रहे हैं, बच्चों से संबंधित अधिनियम मंत्रालयों में इकट्ठा हो रहे हैं और उन पर धूल जमती जा रही है। अभी पिछले दिनों ही आतंकवादी-विरोधी अधिनियम की भाषा के बारे में गर्मागर्म बहस हुई थी। सरकार देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका उपयोग करने से ज्यादा इसकी व्यवस्था को लेकर परेशान थी। मुझे इस कानून के लागू किए जाने के बारे में बहुत संदेह है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम अब तो सरकार इस कानून को लागू करने की कोशिश करेगी।

सरकार इस विधेयक के द्वारा कुछ निश्चित उद्योगों में बच्चों की नियोजन पर रोक लगाने के साथ-साथ अन्य उद्योगों में बच्चों के काम करने की स्थिति को नियंत्रित करना चाहती है। अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो यह कदम प्रशंसनीय है। देश में कोई ऐसा अधु

या कुटीर उद्योग नहीं है जहां बच्चे काम न करते हों। उदाहरण के लिए कांच फैक्टरी, माचिस फैक्टरी और आतिशबाजी की फैक्टरी लें। केवल बच्चे, ही हैं जो इनमें काम करते हैं, हजारों मासूम बच्चे, रोटी कमाने के लिए रोज मौत के साथ खेलते हैं। कई मामलों में वे अन्धे हो जाते हैं या अपंग हो जाते हैं या मर जाते हैं। इन खतरनाक कार्यों को करने के बाद इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। नियोक्ता इन बेसहारा बच्चों की कीमत पर ज्यादा लाभ कमाने की बात सोचता है।

अक्सर हम दावा करते है कि विश्व में औद्योगिक रूप से उन्नत दस राज्यों में से हम भी एक हैं। हमारे देश के उद्योग, लघु उद्योग धंधों पर निर्भर करते हैं जो बच्चों पर निर्भर करते हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को तो प्रर्याप्त वेतन देते हैं परन्तु इसके साथ, साथ हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद एक बाल श्रमिक को क्या मिलता है। इससिए सरकार को इन बच्चों के कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्रीमान हमारा विकासशील देश है। अधिकतर लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने बच्चों को काम करने को भेजते हैं ताकि वे परिवार के खर्च में कुछ सहायता कर सकें। अगर हम बच्चों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : श्रीमान् मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बहस में भाग लिया तथा देश में बालक श्रम के ऊपर अपनी चिन्ता, विचार तथा संताप व्यक्त किया। इस माननीय सदन में उपस्थित सब सदस्य, बालक श्रम की समस्याओं से परिचित हैं। मैं सोचता हूं कि हममें से कुछ इसे जानते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं क्योंकि हममें से कुछ ने इसे अनुभव भी किया है, कमसे कम मैंने तो अनुभव किया है।

श्री चौबे ने कहा कि मैं एक सद्भावना के साथ सदन में आया हूं। श्रीमान् मैं न केवल सद्भावना के साथ अपितु एक विधेयक के साथ भी इस सदन में आया हूं, हम इस समस्या को हल्केपन में नहीं ले सकते हैं। यह तथ्य कि हमारे देश में 1 करोड़ 70 लाख बच्चे काम कर रहे हैं अपने आप में काफी भयकर बात है। इसलिए हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे काम क्यों कर रहे हैं..... (व्यवधान)

सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ज्यादातर बच्चों के मामले में आर्थिक आवश्यकता इसका कारण रहा है। मैं नहीं सोचता कि हरेक व्यक्ति आर्थिक आवश्यकता की बात को समझता है। मैं नहीं सोचता कि प्रत्येक व्यक्ति गरीबी का अर्थ समझता है। जो लोग इस विधेयक के विरोध में बोल रहे हैं ऐसा कदापि न करते अगर इन्होंने गरीबी के दिन बिताए होते।

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि इस देश में गरीबी क्या है। हम यह भी जानते हैं कि इस दुनिया में मुखमरी क्या होती है। इन सैकड़ों लाखों बच्चों को रोजी-रोटी के लिए मजबूर होकर काम करना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वे इस विधेयक का समर्थन करते हुए काफी निराश हुए हैं। आप क्या यह सोचते हैं कि मैं निराश नहीं हुआ हूं? मेरी इच्छा तो यह है कि बाल श्रम व्यवस्था को बहुत आसानी से एकदम खत्म किया जाए।

यदि मैं सदन में आकर यह कहता हूं कि इस विधेयक से बाल श्रम का उन्मूलन कर दिया गया है और पूरा सदन इसका स्वागत करता है। तो क्या इस देश में बाल श्रम समाप्त हो जाएगा ? ऐसा नहीं होगा। अतः इस बारे में हमने बहुत विचार किया है। हमारे सामने तीन रास्ते हैं। पहला, जैसा है उसे वैसा ही रहने दें, दूसरा, इसे समाप्त करें और इस पर प्रतिबन्ध लगायें, पर जैसा मैंने पहले भी कहा है कि क्या ये संभव है ? जब हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, और साथ ही जब हम जैसा हो रहा है, वैसा नहीं होने दे सकते हैं, तब कुछ अवश्य करना चाहिए। इस पूरी स्थिति को नजर में रखते हुए, हमने सोचा कि जहां भी हो सके हमें इस पर प्रतिबन्ध लगाना है और जहां यह संभव नहीं है वहां इसको नियमित कर देना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने विधेयक की संविधान सम्मत होने की बात करी है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम आयु के बच्चों को खानों में, कारखानों में और अन्य खतरनाक जगहों में काम करने की मनाही है। यह प्रतिबंध हर जगह लागू नहीं है, नहीं तो संविधान के निर्माताओं ने इन तीन चीजों को इतने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया होता। अतः अनुच्छेद 24 के प्रबन्धों के अनुसार, हमने उन्हीं जगहों में 14 साल से कम आयु के बालकों के काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत आते हैं।

परन्तु अन्य क्षेत्रों में जैसे कि गैर खनन, गैर उद्योग तथा गैर खतरनाक व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि वहां इस दिशा में नियमन किया जाये और कल्याणकारी उपाय किये जायें। हर माननीय सदस्य को यह हक है कि वह अपनी निराशता को व्यक्त करें और कहें कि इस विधेयक में कल्याणकारी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने इस बारे में बहुत सोचा है और बाल श्रम की समस्या को सुलझाने के लिए तीन उपाय निकाले हैं। पहला कि जहां सम्भव हो सके इस पर प्रतिबन्ध लगायें और जहां सम्भव नहीं है वहां इसे विनियमित करें और उनके पुनर्वास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए। उनके लिए सब तरह के प्रबन्ध करने होंगे।

जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि हमें एक उपकर लगाना चाहिए जिससे कुछ कल्याणकारी कार्य किये जा सकें। पर काफी विचार विमर्श के बाद हम इस नतीजे पर आये हैं कि हमें कल्याणकारी कार्यों के लिए और उपकर नहीं लगाना है। बल्कि बजट में इसके लिए प्रावधान करने हैं। अतः इस विधेयक में इसे शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार के आशय को स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार बाल श्रम के मसले को तीन तरह से हल करना चाहती है। पहला यह कि खदानों, कारखानों और अन्य खतरनाक क्षेत्रों में बालकों को लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, दूसरा यह कि गैर-खनन, गैर-उद्योग तथा सुरक्षित क्षेत्रों में इसको विनियमित किया जाए; और तीसरा तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषाहार जैसे कुछ कल्याणकारी कार्य किए जाएं। हम इन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं।

मुझे भारत सरकार की उच्चतम स्तर की दो बैठकों में भाग लेने का अवसर मिला और मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि संसद के अगले सत्र में राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति

की घोषणा की जायेगी जिसमें काम करने वाले बच्चों के कल्याण के लिए ठोस कार्य की योजना के बारे में बताया जाएगा। मैं यह संसद के अगले सत्र में घोषित करूंगा।

इन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि विधेयक को कठोरता से लागू न किया गया तो यह निरर्थक सिद्ध होगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे सम्पूर्ण राष्ट्र को हल करना है। यही मैं बताना चाहता हूं। अतः इस अधिनियम में ही हमने एक विषय पर ध्यान दिया है। अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत देश के हर नागरिक को मुकदमा चलाने का हक दिया गया है।

मैं कल्याणकारी उपायों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इन कल्याण कार्यों में हम स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे और अगले सत्र में मैं इस विषय पर घोषणा करूंगा। अतः सारे राष्ट्र को इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए और इस समस्या को हल करने के लिए हम सबको सतत प्रयास करने चाहिएं।

उस दिन एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला जिसमें अनेक महिलाएं थीं। वे भारत के हर प्रांत से आये थे। वे मेरे दफ्तर आये और मुझे बुरा भला कह कर कहने लगे कि मैं अमानवीय हूं और भी पता नहीं क्या-क्या कहा क्योंकि मैं बालश्रम को कानूनी दर्जा देने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। सौभाग्य से मैं उनमें से एक महिला सदस्य के पति को जानता था जो एक बड़े निर्यातक हैं। और वाणिज्य मंत्रालय में रहते हुए मैं उनके संपर्क में आया था। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके पति को अच्छी तरह से जानता हूं और वह एक अमीर व्यक्ति की पत्नी है। उनके केवल दो बच्चे हैं जबकि उनमें 100 बच्चों की देखभाल करने की क्षमता है। उनके पास बहुत पैसा है। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर वे बच्चों के हित के बारे में और बाल श्रमिकों के बारे में इतने चिंतित हैं तो उन्हें कम से कम एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो यह मेरे साथ उनकी अंतिम भेंट है और उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वे दोबारा मुझसे मिलें। मैं आपको यह सब कह रहा हूं क्योंकि दुर्भाग्य से हम जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। लोग प्रतिनिधि मंडलों को लेकर आते हैं क्योंकि वे अपना नाम समाचार पत्रों में और स्वयं को दूरदर्शन पर देखना चाहते हैं।

अतः मैं राष्ट्र से यह अपील करना चाहता हूं कि जहां तक बच्चों के कल्याण का संबंध है, जो इस बारे में उपदेश देते हैं उन्हें उसका पालन भी करना चाहिए: अगर यह हो जाए तो मैं विश्वास करता हूं कि इस देश में बाल श्रमिकों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार और माननीय सदस्यों को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं और माननीय श्री पीयूष तिरकी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसका विरोध करने की बजह कृपा करके इसका समर्थन करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और अन्य नियोजनों में बालकों के कार्य की शर्तों का विनियमन करने के लिए विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

खण्ड 2—परिभाषा

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1 पंक्ति 17—

"चौदहवां के स्थान पर "सोलहवां" प्रतिस्थापित कीजिए। (1)

सभापति महोदय, विधेयक में बालक की आयु के बारे में यह परिभाषा दी गई है कि जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। इसे बदल कर 16 वर्ष किया जाना चाहिए। इसका कारण सुस्पष्ट है। इसी सत्र में आपने किशोर न्याय अधिनियम पारित किया था, जिसमें बालक की उम्र 16 वर्ष रखी गई थी। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। वहां बालक की आयु 15 वर्ष परिभाषित की गई थी। बागान श्रम अधिनियम, 1951 में भी बालक की परिभाषा में आयु 15 रखी गई थी। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, में भी बालक की परिभाषा में आयु 15 साल रखी गई थी। जब आप इस प्रकार का विधेयक लेकर आते हैं तो आपके पास अधिकार कहां होता है कि आप बच्चे की आयु 15 या 16 वर्ष से 14 वर्ष कर दें। अगर इस बारे में आप कोई परिवर्तन करना भी चाहते हैं तो वह बालक के हित में होना चाहिए। अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार करते हुए बालक की आयु 16 वर्ष ही रहने दें और कम न करें।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हमने संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार यह परिभाषा रखी है। जिसमें आयु 14 वर्ष दी गई है अत: हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : नहीं मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता।

सभापति महोदय : श्री के० रामचन्द्र रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड-2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

सभापति महोदय : माननीय श्री शांताराम नायक, श्री सैयद शाहबुद्दीन, तथा माननीय श्री मूलचन्द डागा के खंड 3 पर संशोधन हैं। पर माननीय सदस्यगण इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : माननीय डा० दत्ता सामंत संशोधन प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। अब हम खंड 4 लेते हैं। श्री डी० बी० पाटिल खंड 4 पर अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं।

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-5 बालक श्रम तकनीकी

सलाहकार समिति

सभापति महोदय : श्री शांताराम नायक माननीय अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। माननीय श्री मूलचन्द डागा भी संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। माननीय श्री डी० बी० पाटिल महोदय भी यहां नहीं हैं। अतः माननीय श्री के० रामचन्द्र रेड्डी।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति

अन्त में यह जोड़ा जाये :—

"और अध्यक्ष या तो विधि में उपाधि प्राप्त हो या सेवा निवृत्त न्यायाधीश हो और बाकी सदस्यों को बालकों से सम्बद्ध मामले का अनुभव होना चाहिए।" (2)

"पृष्ठ 2 के सबसे अन्त में निम्न अंतःस्थापित किया जाये :—

"(6) समिति की सदस्यता की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होगी।" (3)

इस अधिनियम में एक बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति स्थापित करने की बात कही गई है। इस समिति में एक सभापति के अलावा दस सदस्य और होंगे। सभापति और अन्य सदस्यों की अहर्ताओं के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें सभापति महोदय को या तो विधि में उपाधि प्राप्त होनी चाहिए, या वह सेवा निवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, और अन्य सदस्यों को बालकों से सम्बद्ध मामले में अनुभव होने चाहियें। यहां यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभापति महोदय की कम से कम कुछ तो विधिक अहर्ता होनी चाहिए ताकि वे उन समस्याओं को ठीक तरह से समझ सकें और उनसे प्रभावशाली ढंग से निपट सकें और दूसरा उनमें कम से कम कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए उन्हें कुछ सामाजिक संगठनों में काम का अनुभव होना चाहिए जो बच्चों से सम्बन्धित हों ताकि वे बच्चों की मनोवृत्ति तथा उनकी समस्याओं को समझ सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री जी को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : नहीं। (व्यवधान)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मेरा दूसरा संशोधन··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं। इतना काफी है। क्या आप इन्हें वापस ले रहे हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : नहीं, मैं इन्हें वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री के० रामचन्द्र रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं० 2 और 3 को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7—काम की अवधि और घंटे

सभापति महोदय : क्या श्री रामचन्द्र रेड्डी अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 10,—

"विश्राम के लिए" के पश्चात् "अपनी रुचि के स्थान पर" अन्तःस्थापित किया जाए।(4)

एक साप्ताहिक अवकाश तो देना ही है। मालिक को एक रजिस्टर बनाने की आशा की जाती है जिसमें अन्य कई विवरण भी देने पड़ते हैं जैसे कि बच्चे की आयु, वास्तविक कार्य जो वह कर रहा है इत्यादि; परन्तु इस रजिस्टर में बच्चे को दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश का ब्यौरा नहीं होता।

मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि अगर बच्चे को साप्ताहिक दिया भी जाता है तो भी निरीक्षक को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। इसलिए रजिस्टर में यह दर्शाना चाहिए कि साप्ताहिक अवकाश कब दिया जाता है।

सभापति महोदय : नियमों में इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

श्री पी० ए० संगमा : यह नियमों से सम्बन्धित है। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, क्या आप इसे वापिस ले रहे हैं ?

श्री के०रामचन्द्र रेड्डी : जी हां।

सभापति महोदय : क्या श्री रेड्डी को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 4 सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खंड 8

सभापति महोदय : श्री शांताराम नायक यहां पर उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है।

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9

सभापति महोदय : डा० दत्ता सामंत यहां पर उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"खंड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 10

सभापति महोदय : श्री शांताराम नायक यहां उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"खंड 10 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं पहले ही इस पर बोल चुका हूं । मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"खंड 11 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : श्री दत्ता सामंत ने अपने संशोधन में नए खंड 11-क की सूचना दी है परन्तु वह यहां उपस्थित नहीं हैं ।

खंड 12

सभापति महोदय : श्री शांताराम नायक यहां उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : श्री दत्ता सामंत ने अपने संशोधन में नये खंड 13-क की सूचना दी है परन्तु वह यहां उपस्थित नहीं हैं ।

खंड 14—शीर्षक

सभापति महोदय : श्री डागा और श्री डी० बी० पाटिल यहां पर उपस्थित नहीं हैं । श्री रामचन्द्र रेड्डी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 15,—

"दस" के स्थान पर "एक" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15,—

"बीस" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये। (7)

पृष्ठ 5, पंक्ति 31—

"दस" के स्थान पर "एक" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

मैंने ये संशोधन प्रस्तुत किए हैं ताकि सजा और जुर्माना कम किया जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि अगर आप अधिनियम को ज्यादा कठोर बनाएंगे तो भी वह निश्चित रूप से ज्यादा निवारक सिद्ध नहीं होगा। यह उन छोटे अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाएगा जो अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेवार होंगे। जब आप अधिनियम को खासकर कारावास और जुर्माने को ज्यादा सख्त बना देंगे। तो सम्बन्धित लोग छोटे अधिकारियों को खरीदेंगे क्योंकि ये मालिक सजा से बचना चाहते हैं। इसलिए भारी आर्थिक दंड को 10,000 रु० से घटा कर 1000 या 2000 रुपए कर देना चाहिए।

सभापति महोदय : तीन संशोधनों के बारे में क्या है ?

श्री पी० ए० संगमा : हम इस राय से सहमत नहीं हैं। वास्तव में हम चाहते हैं कि जो कानून का उल्लंघन करता है उसके लिए सख्त सजा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आप संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जी नहीं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री के० रामचन्द्र रेड्डी द्वारा प्रस्तुत तीनों संशोधनों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 6, 7 और 8 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : खंड 15 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 और 15 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 16—अपराधों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 2 और 3,—

"सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कर सकेगा।"

के स्थान पर

"प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के न्यायालय में कर सकेगा और अपराध संज्ञेय होगा जिसकी प्रक्रिया वही होगी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्धित संक्षिप्त विचारण के मामलों में अपनाई जाती है।"

प्रतिस्थापित किया जाय। (9)

यह प्रक्रिया से सम्बन्धित है। खंड 16 अपराधों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में है। वास्तव में इस खंड में प्रक्रिया नहीं बताई गई है कि क्या प्रक्रिया अपनानी है; क्या यह

एक संज्ञेय अपराध है, कौन जांच करेगा इत्यादि। इसीलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि "प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के न्यायालय में कर सकेगा और अपराध संज्ञेय होगा जिसकी प्रक्रिया वही होगी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्धित संक्षिप्त विचारण के मामलों में अपनाई जाती है।" दण्ड प्रक्रिया संहिता में तीन प्रक्रिया सेट दिए गए हैं :

(1) वारंट प्रक्रिया (2) संक्षिप्त प्रक्रिया (3) संक्षिप्त विचारण। नियमों पर निर्भर रहने की बजाए सरकार को आगे आना चाहिए और इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि कोई शंका ना रहे। खंड 16 (क) इस प्रकार से है:

"कोई आदमी, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की शिकायत किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में कर सकेगा।"

मेरा कहना यह है कि यह सक्षम अधिकारी इसे भावी नियमों पर छोड़ने की बजाए आप "प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के न्यायालय" शब्द क्यों नहीं लिखते।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे खेद है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जी नहीं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को मतदान के लिए सदन में रखता हूं।

संशोधन सं० 9 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : खंड 17 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 और 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 18

सभापति महोदय : सैयद शाहबुद्दीन यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"खंड 18 से 22 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 22 तक विधेयक में जोड़ दिये गए

खंड 23—1948 के अधिनियम 11 का संशोधन

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 26,—

"चौदहवां" के स्थान पर "सोलहवां" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

14 वर्ष की आयु से ऊपर और 16 वर्ष से कम की परिभाषा दी गई है। 14 वर्ष की आयु से कम वालों को बच्चों की परिभाषा में लाया गया है। इन सब के बदले अगर आप 16 वर्ष की आयु रखते तो ये सभी संशोधन आवश्यक नहीं होते। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है कि यह हमने भारत के संविधान के अनुसार किया है।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जी नहीं ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सदन में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 24

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जी नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम खंड 25 पर आते हैं । क्या श्री रामचन्द्र रेड्डी अपने संशोधन रख रहे हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जी नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 25 और 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 25 और 26 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब हम अनुसूची पर आते हैं । श्री बत्ता सामंत अनुपस्थित है । श्री मूल चन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : श्री श्याम लाल यादव उपस्थित नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब मंत्री जी विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं ।

श्री नारायण चौबे : एक मिनट, महोदय, उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि मंत्री जी इसे कैसे लागू करने जा रहे हैं । उन्होंने एक अच्छा उपदेश दिया कि पूरे देश में इसे लागू करना है । मैं जानना चाहता हूं कि वह इस विधेयक के उपबन्धों को कैसे लागू करेंगे जो यद्यपि अपर्याप्त है फिर भी हम उनका समर्थन करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप एक बच्चा गोद ले लीजिए ।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री पीयूष तिरकी (असीपुरद्वार) : बागान क्षेत्रों में बालक श्रम के कई मामले सामने आये हैं । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे खतरनाक समझते हैं या नहीं । जो लोग चाय बागानों में काम कर रहे हैं उनका भी शोषण किया जा रहा है । मंत्री महोदय क्या सोचते हैं । क्या वह इसे खतरनाक समझते हैं ? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया था ।

(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय । प्रश्न यह है :

"कि विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.42 अ०व०

अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिषेध) विधेयक

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेख रंगचित्र, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से और स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए ।"

अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिषेध) विधेयक, 1986 को विज्ञापनों द्वारा या अन्य किसी प्रकार से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने के उद्देश्य से लाया गया है, "अशिष्ट स्त्री रूपण" पद से अर्थ है कि स्त्री के शरीर या आकृति या उसके किसी अंग को इस रूप में चित्रित करना कि वह भद्दा या अपमानजनक हो या स्त्री की अवमानना करे अथवा जो लोगों की नैतिकता या नैतिक मूल्यों को बिगाड़े, भ्रष्ट करे या उन्हें चोट पहुंचाये । इस विधेयक को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि संचार माध्यमों, किताबों, प्रकाशनों आदि के द्वारा अशिष्ट-स्त्री रूपण का प्रतिषेध किया जा सके । इसमें मुख्यतः जोर भद्देपन पर नहीं अपितु विज्ञापनों या किसी अन्य माध्यम द्वारा स्त्री के शरीर के भ्रष्ट रूपण पर दिया गया है । अगर यह साबित हो जाता है कि किसी विज्ञापन या प्रकाशन में स्त्री का अशिष्ट रूपण किया गया है जो जनता की नैतिकता या नैतिक मूल्यों को बिगाड़ता है, भ्रष्ट करता है या उन्हें चोट पहुंचा सकता है तो, इस धारा के

उपबन्ध उस पर तुरन्त प्रभावी हो जाएंगे। किसी मामले में भड़ापन किया गया है या नहीं इसे न्यायालयों की तर्कसंगत न्याय पर छोड़ना पड़ेगा।

जैसा कि सदन को ज्ञात है भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और 294 में अश्लीलता के बारे में अनुबंध दिए गए हैं। हालांकि ये अनुबंध पहले से ही विद्यमान थे फिर भी यह देखा गया कि प्रकाशनों विशेषतः विज्ञापनों में स्त्री रूपण बड़ा अश्लील ढंग से किया जाता है और यह प्रवृत्ति बराबर बढ़ रही है तो इसके लिए एक अलग अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई। स्त्री के इस प्रकार के चित्रण के विरुद्ध लगातार सख्त एतराज किया जा रहा था। भारतीय दंड संहिता के वर्तमान उपबंधों में अश्लीलता के बारे में प्रावधान था पर स्त्री की अवमानना के विरुद्ध और स्त्री के सम्मान पर खराब प्रभाव डालने वाले ऐसे चित्रण को रोकने में वे पर्याप्त सक्षम नहीं थे। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जब स्त्री की अवमानना किए जाने का कोई इरादा नहीं था पर फिर भी ऐसा प्रभाव पैदा हो गया। इस विधेयक में इरादा आवश्यक नहीं है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि अशिष्ट स्त्री रूपण के बारे में एक अलग अधिनियम लाया जाए।

5.45 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वास्तव में हमने प्रस्तावित विधेयक में कुछ खास छूट दी है जैसे कोई लिखित या दृश्य सामग्री, जिसका प्रकाशन विज्ञान, कला या साहित्य के हित में हो, लिखित या दृश्य सामग्री जो प्रामाणिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो, वे फिल्में जिनके लिए भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र अपेक्षित हो, आकृतियां आदि या प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्राचीन स्मारक। इन सब छूटों के अलावा इस विधेयक में उपबंधों के अन्तर्गत चलाया गया कोई भी अभियोजन का न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाएगा जिसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाण देने होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन के सुपुर्द करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया;

"कि विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेख रंगचित्र, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से और स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा यथापारित, विचार किया जाये।"

श्री मूलचंद डागा (चाकसू) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेख, रंगचित्र आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाला विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात :

(1) श्री बसुदेव आचार्य
(2) श्रीमती मारग्रेट अल्वा
(3) श्री भट्टम श्री राममूर्ति
(4) श्रीमती चन्द्रेश कुमारी
(5) श्री सोमनाथ चटर्जी
(6) श्रीमती उषा चौधरी
(7) श्री सैफुद्दीन चौधरी
(8) प्रो० मधु दंडवते
(9) श्री इंद्रजीत गुप्त
(10) श्री अब्दुल रशीद काबुली
(11) श्री पी० कुलनदईवेलू
(12) श्री धर्मपाल सिंह मलिक
(13) श्री शांताराम नायक
(14) श्री के० एस० राव
(15) श्री सी० माधव रेड्डी
(16) श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
(17) श्री सलीम आई० शेरवानी
(18) श्री के०पी० उन्नीकृष्णन
(19) श्री गिरधारी लाल व्यास
(20) श्री मूलचंद डागा

और उसे आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाय।" (27)

श्री नारायण चौबे (भिवनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेख, रंगचित्र आकृतियों में किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाला विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात :

(1) श्रीमती मारग्रेट अल्वा
(2) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
(3) श्रीमती ऊषा चौधरी
(4) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी
(5) श्री दिनेश गोस्वामी
(6) डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा
(7) डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी
(8) श्री एस० जयपाल रेड्डी

(9) श्री अमर राय प्रधान

(10) प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत, औरा

(11) श्री पीयूष तिरकी

और उसे 30 अप्रैल, 1987 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाए। (29)

डा० टी० कल्पना देवी (बारेगल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं जिसका उद्देश्य विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेख, रंगचित्र या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करना है। यह सरकार द्वारा घोषित इस मान्यता को व्यक्त करता है कि वह किसी ऐसे कार्य की अनुमति नहीं देगी जिससे नारी की सैक्स वस्तु के रूप में अवमानना होती हो। हम औरतें, इसके लिए सरकार की आभारी हैं कि इसने देर से सही पर नारी को सैक्स प्रतीकों के रूप में अपमानित या अवमानना को प्रतिबन्ध करने की आवश्यकता को अनुभव किया।

परन्तु मैं यह कहना चाहूंगी कि पुरुषों का अभद्र रूपण भी समान रूप से घृणास्पद और भ्रष्ट है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि विधेयक को स्त्री तक ही सीमित न रखकर इसके स्थान पर मानव शरीर के रूपण को सामान्य रूप में रूपण किया जाए जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आ जायेंगे।

दूसरी बात जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसे उद्देश्य और कारणों के विवरण में भी स्वीकारा गया है कि भद्दे पन से संबंधित संविधि-पुस्तक कानून भारतीय अपराध संहिता में कोडीकृत किए गए हैं। आपत्तिजनक प्रकाशनों के विरुद्ध कानून भी है। परन्तु इन सब कानूनों के बावजूद यह समस्या बढ़ रही है। क्योंकि सरकार इन कानूनों को कारगर रूप से लागू नहीं कर रही है। मैं समझती हूं कि विशेषत: नारी शरीर को सैक्स की वस्तु के रूप में विज्ञापनों में भद्दे रूप से चित्रित किए जाने के विरुद्ध अकेले सरकार कानून को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकती है जब तक कि गैर-सरकारी संगठन जनता को इस बारे में जागृत करके सरकार की सहायता नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए दूरदर्शन में दिए जाने वाले विज्ञापनों को लें। चाहे विज्ञापित वस्तु साबुन हो या दांतों का ब्रुश हो या तौलिया हो इन सब विज्ञापनों में इन्हें बेचने के लिए नारी शरीर का प्रयोग किया जाता है, अश्लील फिल्मों पर रोक लगाई जानी चाहिए और उन्हें दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। सैंसर बोर्ड को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

अश्लीलता का निर्णय करने हेतु कुछ नियम बनाए जाने चाहियें क्योंकि कुछ के लिए एक चीज अश्लील हो सकती है जबकि दूसरे के लिए नहीं। इसलिए हमें इस बारे में नियम अवश्य बनाने चाहियें। परन्तु विधेयक में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि वे इस विधेयक में अश्लीलता का निर्णय करने के बारे में कुछ नियम भी शामिल करें।

इसके साथ-साथ सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमों को,महिलाओं को प्रोत्साहन देने तथा उनमें यह जागृति पैदा करने में वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से किसी बात में कम नहीं है, और देश के विकास कार्यों में हिस्सा लेकर वे देश की प्रगति में हाथ बटा सकती है आदि बातों उनमें

आत्म-विश्वास की भावना जगा सकते हैं। इसके विपरीत दूरदर्शन महिलाओं को या तो बर्तन धोते हुए या फिर न्यूडल्स पकाते हुए या कपड़े धोते हुए दिखाता है जैसे वे यही सब करने को पैदा हुई हों। इसलिए मैं अपनी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती माग्रेट अल्वा से प्रार्थना करूंगी··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पुरुषों से सारा काम करवाएं।

श्री नारायण चौबे : श्रीमान अगर आप काम करें तो क्या हर्ज है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैं तो आपसे कह रहा था। आप इसे बदल सकते हैं। सब सदस्य (क और विधेयक ले आयेंगे और मंत्री महोदय को बधाई करना होगा।

श्री नारायण चौबे : आपको किसी न किसी को करना पड़ेगा, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अनुभव मुझे कार्य करने को कह रहा है।

श्री नारायण चौबे : चिंता न करें श्रीमान्, मैं आपकी सहायता करूंगा।

डा० टी० कल्पना देवी : ऐसा करने से महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है।

मैं इस सन्दर्भ में अमेरिका में हुडसन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में आपको बताती हूं। यह आयोग एटॉर्नी जनरल, एडवर्ड कैसे द्वारा बनाया गया था जिसके अध्यक्ष जस्टिस हेनी हुडसन थे। इन्होंने इस समस्या को रोकने के लिए तथा स्तकर्ता ग्रुपों की स्थापना से लड़ने के लिए संघीय तथा राज्य नियमों में परिवर्तन की सिफारिश की। कानून को समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार बदलने के लिए हमें भी एक ऐसे आयोग की आवश्यकता है।

भद्दे एवं अश्लील विज्ञापन तथा फिल्में हमारी युवा पीढ़ी की मानसिकता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। भद्दे विज्ञापनों के बुरे प्रभावों पर ओर देने के लिए प्रचार माध्यमों का प्रयोग बहुत आवश्यक है।

सरकार को ऐसे विज्ञापनों को, जो स्त्रियों के अंगों को अश्लील ढंग से दिखाते हैं, न केवल रोकना चाहिए बल्कि उन्हें दण्डनीय अपराध घोषित कर देना चाहिए। महिला स्वयं सेवी संगठनों को भी ऐसे अश्लील विज्ञापनों का विरोध करना चाहिए तथा कानून को लागू करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए।

अब कुछ शब्द, मैं इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में कहना चाहती हूं। खंड 2 (ग) में "अशिष्ट स्त्री रूपण" की परिभाषा बहुत अस्पष्ट और विस्तृत रूप में दी गई है। यहां तक कि महिला ये प्रशासन स्तर पर की गई वैध गतिविधियों को बचाने के रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा कानूनी सलाहकार अभियोजन को असफल कर देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि निर्दोष तो मारा जायगा और अपराधी छूट जाएगा।

खंड 5 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को प्रदत्त की जाने वाली प्रस्तावित शक्ति बहुत ज्यादा है जिसके गलत इस्तेमाल किए जाने का खतरा है।

इसलिए, मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि इस विधेयक के प्रवर समिति के पास

विस्तृत विचार के लिए भेजा जाए ताकि इसे पारित करने से पहले इसे पूर्णतया त्रुटि रहित बनाया जा सके। इन शब्दों साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं तथा इस विधेयक का पूरा समर्थन करती हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिंडिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, ए० आई० ए० डी० एम० के० की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसे प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ लाया गया है। इस विधेयक में प्रकाशन, विज्ञापन, प्रदर्शन किसी भी रूप में स्त्री के अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध की कोशिश की गई है। इस विधेयक में अशिष्ट स्त्री रूपण साहित्य के वितरण लेखों के परिचालन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र किसी भी रूप में अशिष्ट स्त्री रूपण पर प्रतिषेध लगाया गया है। इस विधेयक को जितना शीघ्र हो सके प्रभावी बनाया जाना चाहिए। फिर भी, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे खंड 4 (1) के उपबन्ध का कुछ भाग हटा दें। खंड 4 के उपबन्ध को पढ़ने की मैं अनुमति चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"परन्तु इस धारा की कोई बात—(क) किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी—

(i) जिसका प्रकाशन लोक कल्याण में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है..."

केवल 'विज्ञान' शब्द ही वहां होना चाहिए, "साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उद्देश्य" को हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वर्तमान उपबन्ध, जिसमें ये शब्द शामिल हैं, इस विधेयक के आशय के प्रतिकूल होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गवाधर साहा (बीरभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह उपाय फिल्मों, फोटोचित्रों तथा विज्ञापन के जरिये से होने वाली स्त्रियों की अधोगति को रोकने तथा स्त्रियों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा में सुधार लाने के लिए किया गया है। अत: विधेयक का उद्देश्य एवं आशय बेशक अच्छा है। विधेयक का विरोध नहीं किया जा रहा है परन्तु लोग इस बात से चिन्तित हैं कि भारत में औरत जाति की पूर्णरूप से उपेक्षा एवं अवहेलना की जा रही है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कानून लागू करने के बारे में सरकार गहराई से नहीं सोच रही है।

श्री नारायण चौबे : उपेक्षा तथा अवहेलना की जा रही है।

श्री गवाधर साहा : मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया कार्य कदाचित् बेहतर नहीं है। उत्पाद की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों तथा दूरदर्शन में विज्ञापनों में स्त्री के यौनाकर्षण का सहारा लिया जाता है। फिल्मों में तो बहुत बुरा हाल है। कुछ फिल्में स्पर्धा की भावना पैदा करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थानों पर स्त्रियों के साथ छेड़खानी की जाती है और उसका परिणाम स्वरूप स्त्री को उस छवि मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि स्त्री के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान घर है तथा वे

पुरुष के बराबर नहीं हैं। यह बात संविधान में दिये गये नीति-निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध है जिनमें स्त्री को पुरुष समान दर्जे का आश्वासन दिया गया है। इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292, 293 तथा 294 के अन्तर्गत वर्गीकृत उपबन्ध, जो अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध हेतु बनाये गये थे, इस कार्य को करने में असफल रहे तथा सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि जिनको फिल्म प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं तथा फिल्म प्रमाणीकरण के वर्तमान मार्ग-निर्देशों तथा स्वस्थ फिल्म निर्माण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए था वे इसका पालन कर रहे हैं, तथा उन लोगों पर सजा के प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है जो उन उपबन्धों का पालन न करने या उनका उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार हैं। समाज में स्त्रियों की यह दशा है तथा इस क्षेत्र में बनाये गये अन्य कानूनों की तरह ही प्रस्तावित कानून भी कमजोर तथा अप्रभावी रहेगा।

रोजगार के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में मैं उनकी स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे संविधान में स्त्री को समान दर्जे का आश्वासन दिया गया है तथा स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की गई थी जो 1974 की स्त्री प्रतिष्ठा समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। इस दस्तावेज में कहा गया था—

"रोजगार से सम्बन्धित मामलों में संविधान सभी नागरिकों को समान अवसरों का आश्वासन देता है और आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश देता है और

(2) समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्य की मानवोचित दशायें"

संविधान के समानता वाले खण्ड का सभी के लिए कुछ अर्थ होना चाहिए। अधिकांश लोगों के लिए इसका अर्थ कुछ नहीं होगा यदि वे अपने काम के प्रति तथा जो वेतन वे प्राप्त करते हैं उसके प्रति उदासीन, रहते हैं।

वेतन में असमानता को संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन माना गया था।

आधुनिक अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप उत्पादनकारी प्रक्रिया में से स्त्रियों को अधिक संख्या में बाहर निकाला जा रहा है और स्त्रियों का योगदान तथा योगदान की क्षमता सीमित रह गई है।

6.00 म० प०

महोदय, 1961 से 1981 तक, बीस वर्षों में, जबकि स्त्रियों की संख्या बढ़कर 1120 लाख हो गई है, स्त्रीकार्य बल में 90 लाख से भी कम की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप भागीदारी अनुपात में एक चौथाई कमी आई है जो 1961 में 28% था और 1981 में 21% से भी कम था।

स्त्रियां कुल कार्य बल का 14% हैं और उनमें से अधिकांश कम वेतन वाले पदों पर कार्य करती हैं।

महोदय, पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियों का रोजगार अनुपात 9.34% था तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 3.43% था और 1951, 1961 तथा 1971 में खानों में उनका अनुपात 20%,

15.8% तथा 11.9% था और स्त्रियों के साथ भेदभाव करने में डी० सी० सी० एम० का स्थान प्रथम है। इसलिए, रोजगार क्षेत्र में हमारे देश में स्त्रियों की यह स्थिति है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अधिक बेहतर नहीं है। पूरे देश में 1971 में स्त्रियों की साक्षरता दर 18.69% थी तथा 1981 में यह 24.82% थी। अतः हर क्षेत्र में उनके कल्याण को नजरन्दाज किया जा रहा है। इन विषयों के बारे में इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां उपस्थित सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे इस बात के लिए सहमत हो जायें कि सभा का समय 6.30 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

6.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या 462/86-के०उ०शु०, जो 9 दिसम्बर, 1986 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 4,000 किलोग्राम से अनधिक भार योग वाले ईंधन दक्ष हल्के वाणिज्यिक मोटरयानों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 10 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3649/86]

(2) अधिसूचना संख्या 463/68-के०उ०शु०, जो 9 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय ,000 किलोग्राम से अनधिक भार योग वाले हल्के वाणिज्यिक मोटरयानों पर, जिनमें उद्योग मंत्रालय तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन निर्मित अप्रत्यक्ष इंजेक्शन टाइप डीजल इंजन लगाए गए हों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 10 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3650/86]

6.04 म०प०

अशिष्ट स्त्री रूपण (प्रतिषेध) विधेयक-जारी

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्ढई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अशिष्ट स्त्री रूपण प्रतिषेध विधेयक का स्वागत करती हूं। यह एक बहुत सराहनीय विधेयक है उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना है। इसमें विज्ञापन, समाचार पत्र, रंग चित्रों तथा अन्य साधनों के माध्यम से अशिष्ट स्त्री-निरुपण प्रतिषेध के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें पुस्तकों या पुस्तिकाओं, जिनमें किसी भी प्रकार से अशिष्ट स्त्री रुपण है, के परिचालन तथा वितरण पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। महोदय, आजकल संस्कृति के नाम पर हम देखते हैं कि फैशन अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, अश्लीलता, नग्नता तथा कामुकता प्रचलित हो गई है। जब तक कि इस अशिष्ट अभिव्यक्ति को रोकने के लिए उपाय नहीं किए जाते तो हमारे समाज के मूल्य तथा औरत की प्रतिष्ठा का और भ पतन होता जाएगा। महोदय, मैं सभा को याद दिलाना चाहती हूं कि इस प्रकार के विधेयक के लिए स्त्रियां तथा महिला संगठन एक लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज यह विधेयक आ गया है।

स्त्रियों को दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता है। हमारे देश में यह भी एक मुसीबत है। अत: स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जा सकता यद्यपि संविधान में इससे भिन्न बात कही गई है। बहुत से लोगों की नजर में स्त्रियां सम्माननीय नागरिक नहीं है। मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि प्रचार माध्यमों में स्त्रियों का प्रयोग कामुकता के प्रतीक के रूप में किया जाता है विभिन्न प्रचार माध्यमों में अश्लील विज्ञापन निकलते हैं। यौनाकर्षण की ओर ध्यान दिलाने के लिए नंगी औरतों को दिखाया जाता है। यदि आपकी माताओं, बहनों, पत्नियों तथा बेटियों की बेइज्जती की जाती है तो औरत का स्वरूप क्या होगा ? औरत का स्वरूप ही समाज का स्वरूप है।

6.06 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए, यह विषय केवल स्त्रियों से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि पूरे समाज से सम्बन्धित है। परन्तु आमतौर पर औरतें ही ऐसे विज्ञापनों का विरोध करती हैं। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह बात पूरे समाज से सम्बन्धित है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि एफ० ए० ओ० ने यह कहा है कि विश्व का दो-तिहाई कार्य स्त्रियां करती हैं। विश्व का 50% से भी अधिक भोजन स्त्रियां तैयार करती हैं। अपने टेलीविजन में हम आमतौर पर देखते है कि कृषि क्षेत्र में पुरुष की मुख्य भूमिका होती है। वास्तव में प्रचार माध्यम सामाजिक यथार्थ को प्रदर्शित नहीं करते हैं परन्तु प्रचार माध्यम अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। यह विदित है कि प्रचार माध्यमों से धीरे-धीरे हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। अत: प्रचार माध्यमों को वास्तविक सच्चाई प्रदर्शित करनी चाहिए तथा लोगों को शिक्षा देनी चाहिए।

अन्त में मैं यह बात भी कहना चाहती हूं कि कई स्त्रियां स्वयं धन के लालच में व्यापारिक विज्ञापनों में आती हैं। समूचे समाज के लिए यह भी बहुत शर्म की बात है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि स्त्रियों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा तथा उन्हें रोजगार देने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किए जाने चाहिए। अन्यथा बहुत सी स्त्रियों को इस तरह के कार्य करने पड़ेंगे।

स्वैच्छिक संस्थाओं, समाज सुधारकों तथा महिला संगठनों को काफी कार्य करना है। इस कानून को ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए। केवल सामाजिक कानून से ही समाज का दृष्टिकोण नहीं बदला जा सकता। अतः इस कानून को लागू करने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए।

आज इस विधेयक को आगे लाने के लिए मैं माननीय मन्त्री जी तथा सरकार को बधाई देती हूं।

श्री नारायण चौबे (भिंडनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में नहीं हूं। परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय के यह सुझाव अवश्य दूंगा कि जैसा कि हमने सुझाव दिया है, इस विधेयक को एक चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसमें कई कमियां हैं जो उन्होंने स्वयं स्वीकार की हैं तथा जिन्हें दूर किया जा सकता है।

श्रीमती भारद्वेट अल्वा : मैंने कभी भी स्वीकार नहीं की।

श्री नारायण चौबे : हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जीर्ण होती हुई सामन्ती प्रथा के स्थान पर जीर्ण होती हुई पूंजीवादी व्यवस्था आई है। आज सिनेमा में राजाराम मोहनराय, विद्यासागर शरतचन्द्र तथा टीपू सुल्तान जैसे नायक नहीं हैं। गब्बर सिंह तथा कालूराम जैसे नायक हैं। स्वाभाविक ही है कि हम एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और हम स्त्रियों को समान नहीं मानते हैं।

यहां तक कि आज बंगाल जैसे समाज में भी जब एक दूल्हा-दुल्हन के साथ शादी करने के लिए जाता है तो दूल्हे के रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। वह कहता है कि मां मैं आपके लिए एक दासी लेने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं दासी लाने जा रहा हूं।

[अनुवाद]

अतः आज भी उसी प्रथा का अनुकरण कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके हमारे सुझाव को स्वीकार कर लें। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। आपने एक अच्छे विधेयक से शुरुआत की है। यह विधेयक बहुत अच्छा है। पर यदि इस विधेयक को चयन समिति के पास भेज दिया जाता है तथा सभी कमियां दूर कर दी जाती है तो इसमें क्या हानि है।

अशिष्ट स्त्रीरूपन की परिभाषा के सम्बन्ध में, मेरा सुझाव है कि आपको इसे स्वीकार करना चाहिए।

"अशिष्ट स्त्रीरूपन से अभिप्रेत है किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का या ऐसी स्थिति अथवा प्रसंग का, जिसमें स्त्री या तो स्वयं या अन्य के साथ संयुक्त

रूप में स्थित हो, किसी ऐसी रीति से चित्रण करना जो हिंसा पूर्ण हो या मानव के रूप में अथवा पुरुष के साथ अपने बराबरी के दर्जे में उसकी प्रतिष्ठा के लिए असम्मान सूचक हो।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री

(श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब सदस्यों का जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है धन्यवाद करती हूं। मैं यह महसूस करती हूं कि मेरा समय भी बहुत सीमित है। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि संसद के पिछले सत्र में यह विधेयक दूसरे सदन में पुरःस्थापित किया गया था और हमने यह सोचकर पर्याप्त समय दिया कि इससे सदस्यों, संगठनों तथा अन्य लोगों को विधेयक पर चर्चा करने और अपने सुझाव भेजने के लिए अवसर मिलेगा। यह किया गया। यह विधेयक पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

इस बिल को लास्ट सेशन में इंट्रोड्यूज किया गया था, इस बीच इंटरसेशन में आर्गनाइजेशंस के लिए और आप सबके लिए काफी समय था।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हाउस में बोलने का समय कहां दिया है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : कई संगठनों, महिला गुटों और अन्य लोगों ने अन्तर सत्रावधि के दौरान इस पर चर्चा की। उन्होंने कई सुझाव भेजे जिन पर हमने विचार किया। (व्यवधान)

मैं केवल इतना कह सकती हूं कि जहां तक दिए गए सुझावों की बात है प्रत्येक व्यक्ति ने इस विधेयक का समर्थन किया है और इसका स्वागत किया है। एक ही बात जिस पर बल दिया गया है यह है कि इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और खामियों को दूर किया जाना चाहिए। मैं सभा को आश्वस्त कर सकती हूं कि यदि यह लाया गया''' (व्यवधान)

भारतीय दंड संहिता में इसके लिए पहले ही कतिपय प्रावधान हैं परन्तु हमने महसूस किया है कि इसमें औरतों की निन्दा और अन्य कुछ बातें सम्मिलित नहीं हैं। इसमें केवल अश्लीलता को ही छुआ गया है। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं और इसलिए महिलाओं को दर्जा देने, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने, विज्ञापन आदि के बारे में जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए, इसी वजह से यह विधेयक लाया गया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकती हूं कि हमारा कार्य करने का तात्पर्य इसका क्रियान्वयन करने से है।

श्री वसुदेव आचार्य : वीडियो और सिनेमा के बारे में क्या किया है?

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : इस विधेयक में फिल्में शामिल नहीं हैं क्योंकि यह एक भिन्न अधिनियम के अन्तर्गत आता है जो पूरी तरह से संरक्षित है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जो आचार संहिता इस विधेयक से उभरेगी उसका सिनेमेटोग्राफ अधिनियम पर भी प्रभाव पड़ेगा। सेंसर बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधीन है और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हटाकर संस्कृति विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है। इससे सेंसर बोर्डों पर निश्चित रूप से

कुछ प्रभाव पड़ेगा। फिर दोनों विभागों के मंत्री भी एक ही हैं, वे यहां सभा में बैठे हैं तथा इस बात का आश्वासन दे रहे हैं।

हमने कुछ छूट देने की व्यवस्था की है तथा हम समझते हैं कि यह कला, चिकित्सा तथा धार्मिक और साथ ही अन्य इस प्रकार के प्राचीन स्मारकों को बचाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैं केवल इतना कह सकती हूं कि मैं आपके समर्थन की आशा रखती हूं और मैं सदस्यों को कहूंगी कि इस बारे में एक पूर्ण विधेयक विश्व भर में भी अभी तक नहीं लाया गया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब खामियां जो इसमें हैं वे अनुभव होने के साथ, न्यायिक निर्णयों के साथ दूर की जा सकेंगी। इस प्रकार के विधेयक को लाने का यह एक पहला प्रयास है—तथा मैं आपके समर्थन का स्वागत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा। कृपया मुझे कुछ मिनट बोलने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डागा जी, क्या आप विदड्रा करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा। मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। मैं विदड्रा कर लूंगा, अगर आपकी आज्ञा होगी।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। आप विदड्रा करो या इसको वोट के लिए देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यहतो न्याय नहीं होगा। थर्ड रीडिंग पर बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए कोई और विकल्प नहीं है। यह नियमों के विरुद्ध है। मैं आप को माननीय मंत्री के पश्चात बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पहले ही इसे प्रस्तुत कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : हां, मैं वापस ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन संख्या 27 वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 27, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री नारायण चौबे : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन संख्या 29 वापस लेने के लिए श्री नारायण चौबे को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 29, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेख, रंगचित्र, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से और स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

खंड-2 परिभाषा

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 11—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु इसमें किसी कला, वास्तुकला अथवा मूर्तिकला का कोई चित्र या फोटो चित्र सम्मिलित नहीं है ।" (1)

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 7 और 8,—

"रूप या" का लोप किया जाये । (12)

पृष्ठ 2 पंक्ति 13,—

"पैकेज" के स्थान पर "वस्तु" प्रतिस्थापित किया जाये । (13)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जहां तक इस विधेयक का संबंध है स्त्रियों के अशिष्टरूपण की परिभाषा अधिक व्यापक, बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित है । किसी भी व्यक्ति को तंग करने के लिए एक अत्युत्साही अधिकारी इस परिभाषा का उपयोग कर सकता है । इसी वजह से मैं इसमें ये शब्द जोड़ना चाहता हूं :

"किन्तु इसमें किसी कला, वास्तुकला अथवा मूर्तिकला का कोई चित्र या फोटो चित्र सम्मिलित नहीं है ।"

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ताकि वे लोग जो किसी कला और वास्तुकला का काम करते हैं, दंडित न हों ।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : जो आपने डेफीनिशन दी है सत्यम शिवम सुन्दरम, वह हमारी भारत की संस्कृति है । आपने एक बात मानी है बिल में कि कोर्णाक और खजुराहो हमारी संस्कृति साहित्य और कला के प्रतीक हैं । आप उनको रख रहे हैं । उनके फोटो बिकते हैं । फिल्म के अन्दर सिनेमेटोग्राफ एक्ट पास है । आरकेलाजी डिपार्टमेंट में सारे एक्ट मौजूद हैं । इंडियन पैनल कोड और आरकेलाजिकल मौजूद है । इन्डीसेंट की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार मुझे बताइए कि 292, 293 और 294 में किनको सजा हो गई । आरकेलाजिकल एक्ट मौजूद है । आप चाहें तो पढ़ सकता हूं । आप क्या कर रहे हैं । हमारी कला में जो हमारी संस्कृति छिपी हुई है, उस संस्कृति को मिटाना चाहते हैं और कहते हैं कि गंदा है । दूसरी तरफ कहते हैं कि रखेंगे । आप

कांट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक सैक्शन कुछ कहता है और दूसरा सैक्शन कुछ कहता है, इसीलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : भेज दीजिए। जल्दी क्या है। अध्यक्ष जी की इच्छा पर है।

[अनुवाद]

श्रीमती माग्रेटअल्वा : हमने कानून के अन्तर्गत केवल कुछ ही छूटों की व्यवस्था की है। ये सब परिभाषा में शामिल न होंगी और यह भी नहीं है कि हम किसी चीज को उचित ठहरा रहे हैं। हमने छूट की व्यवस्था की है जो कि विधेयक के अंग है। मैं नहीं समझती हूं कि संशोधन आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र रेड्डी, क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन संख्या 1 को वापस लेने के लिए श्री रामचन्द्र रेड्डी को सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप आपने संशोधनों को वापस ले रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपने संशोधनों संख्या 12 और संख्या 13 को वापस लेने के लिए श्री डागा को सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 12 और 13, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। परन्तु मुझे यह स्पष्ट करना है कि मैंने नोटिस क्यों दिया है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4—अशिष्ट स्त्री रूपण अन्तर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 35—

"प्रयोजनों" के पश्चात "या धार्मिक जलूसों" अन्तःस्थापित किया जाये। (14)

पृष्ठ 3 पंक्ति 1,—

"मन्दिर" के पश्चात् "धार्मिक जलूस" अन्तःस्थापित किया जाये। (15)

खण्ड 4 (क) (i) के अनुसार :

"जिसका प्रकाशन लोक कल्याण में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य आकृति उद्देश्यों के हित में है ;"

[हिन्दी]

आपने स्वयं इस बात को माना है। इस बात का निर्णय कौन करेगा, इस बात का निर्णय कोर्ट करेगा, फिर आप कह रहे हैं कि हमने इसको मना कर दिया है। यह आप अन-डीसेंट कह रहे हैं। जब कोर्ट निर्णय करेगी तो यह अमेंडमेंट क्यों लाया गया। सिनेमाटोग्राफ के अन्दर सेंसर बोर्ड है। उसने एक फिल्म पास कर दी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। आपके आर्किलाजिकल विभाग ने भी माना है कि यह आर्किलाजिकल मान्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया वह माना हुआ है। आप अपने कानून में दो बातें न रखें। मैं फिल्म चाहता हूं खरीदना और वह बेच रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही कर दिया है, अब समय नहीं है। मंत्री जी आपको कुछ कहना है···

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : जी नहीं।

श्री मूल चन्द डागा : आप सारी बात को समझ रहे हैं। आपको जल्दी है क्योंकि आपको डिनर में जाना है···

अध्यक्ष महोदय : आपके ही लिए है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रार्थना कर रहा हूं यह दो चीजें कानून के खिलाफ बना रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया, इन्होंने सुन लिया, अब आप क्या कहते हैं, क्या मैं प्रेस करूं ?

श्री मूल चन्द डागा : जैसा आप समझें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधनों को वापस ले रहे हैं···

श्री मूल चन्द डागा : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपने संशोधनों को वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 14 और 15, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5—प्रवेश और तलाशी की शक्तियां।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 28—

"निवास गृह में" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"उस क्षेत्र में अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय से प्राप्त" (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41-42—

"को उसकी इत्तिला देगा" के स्थान पर "के समक्ष उस वस्तु को प्रस्तुत करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3,—

पंक्तियां 40 से 42 तक का

लोप किया जाए। (16)

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जहां तक तलाशी का संबंध है विधेयक में एक प्रावधान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, प्रवेश और तलाशी, वारण्ट के बिना नहीं कर सकता है। वह वारण्ट किस व्यक्ति से लिया जाना है? इस बारे में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि वारण्ट एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो। विधेयक में एक कमी है इसलिए मैंने इसे प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

जहां तक मेरे दूसरे संशोधन का संबंध है, जब भी एक अधिकारी जाता है और खोज करता है तो वह किसी वस्तु को जब्त कर लेता है उससे यह आशा की जाती है कि वह उस जब्त की गई वस्तु के बारे में न्यायालय को सूचना देगा। मैं चाहता हूं कि इस "सूचना" शब्द को हटा दिया जाए और उस वस्तु को ही न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालय उस वस्तु को देख सके और निर्णय दे सके। ये दोनों संशोधन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो आप भारत की संस्कृति का अमेरिका और फ्रांस आदि विदेशों में प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए आप यहां से तसवीरें ले गये और उनका वहां पर प्रदर्शन किया और दूसरी ओर यहां एक बच्चा, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वह उन्हीं फोटो को बेच रहा है। उसको आप इस बिल के पास हो जाने के बाद पकड़कर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। आप कहेंगे कि यह अशिष्ट फोटो बेच रहा था, उसको दो साल की सजा हो जाएगी, 5 हजार रुपये जुर्माना भी हो जाएगा। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन आप

कर क्या रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक स्थान पर ऐसे फोटोओं को देख रहा हूं जो आर्कियोलौजिकल डिपार्टमैंट के एरिया में कोई बेच रहा है…

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का कहना है कि इन्होंने उनको प्रावधान करके अलग कर दिया है, उसमें डिस्टिंक्शन कर दिया है और ऐसे फोटोज का चालान नहीं किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप जो कुछ फरमा रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं परन्तु इन्होंने जो कुछ कहा है, उसमें क्या इनडीसेन्सी है, क्या अशिष्ट है। आज की कुछ लड़कियां मार्डलिंग पसन्द करती हैं, उसमें मैं लड़कियों का कसूर नहीं मानूंगा। आज कुछ लड़कियां डांस करती हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहता परन्तु दूसरी ओर जब आप भारतीय संस्कृति के चित्र विदेशों में ले जाकर प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनका पब्लिकेशन तो होगा ही, उनका प्रदर्शन तो होगा ही, दूसरी ओर आप कहते हैं कि जो अशिष्ट फोटोज का प्रचार करेगा, उन तसवीरों को बेचेगा, उसको आप पकड़ लेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि पकड़कर आप उसका क्या करेंगे, क्या उसको सजा दी जाएगी या नहीं।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : यह पुरातत्व व अन्य स्मारकों को दी गई छूट के अन्तर्गत आता है।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी विज्ञापन को प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं कर सकते, महन्ती जी, रूल्स आपको एलाव नहीं करते।

[अनुवाद]

नियम आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते। यदि नियम अनुमति नहीं देते तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अनुमति नहीं है। (व्यवधान)

श्री रेड्डी महोदय क्या आप इन्हें वापस ले रहे हैं?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : नहीं महोदय, मैं इसके लिए आग्रह कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 और 4 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: डागा महोदय, क्या आप इसे वापस ले रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 16 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7—कम्पनियों द्वारा अपराध

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 12—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किन्तु इस अधिनियम के अधीन सुसुप्त या निष्क्रिय साझीदार को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जायेगा ।" (5)

किसी फर्म या कम्पनी के साझेदार और निदेशक सभी लोगों को उत्तरदायी बनाया गया है । कुछ ऐसे साझेदार भी हो सकते हैं जो फर्म या कम्पनी के कार्यों में सक्रिय भाग नहीं लेते । इस अधिनियम के अन्तर्गत उन लोगों को भी सजा दी जा सकती है । मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि एक सुसुप्त या निष्क्रिय साझीदार को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है ।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय, ये साधारण खण्ड है जिन्हें साधारणतया प्रयोग किया जाता है । साझेदार की परिभाषा यही है ।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 5 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 5, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8—अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाए :

"इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध ऐसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर श्रेणी का न हो, विचारणीय होंगे ।" (8)

महोदय खंड 8 में अपराध के लिए मुकदमा चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है । आपने दो बातें कही हैं । आपने कहा है कि यह गैर-जमानती है और संज्ञेय है । मेरा संशोधन यह है कि यह ऐसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर श्रेणी का न हो । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह केवल

उसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर श्रेणी का न हो। यह एक आनुषंगिक संशोधन है जिसे मंत्री महो- दय भूल चुके हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : नहीं महोदय। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं अपने संशोधन संख्या 8 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 8, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : शाहबुद्दीन महोदय, अब आप दो-तीन मिनट बोल सकते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सही समय पर प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह पूर्णत: तैयार नहीं है। पोस्टरों और पत्रिकाओं में ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है जो लगभग अश्लील हैं, जिन्हें सुधारने और नियमित करने की आवश्यकता है। परन्तु मैं माननीय मंत्री से एक मूलभूत प्रश्न पूछना चाहूंगा। वे ऐसा क्यों सोचती हैं कि केवल स्त्रियों के ही अशिष्ट रूपण पर प्रतिबन्ध लगाया जाए? इन विज्ञापनों में पुरुषों का भी अशिष्ट रूपण हो सकता है। इसलिए उचित शीर्षक "मानव अशिष्ट रूपण प्रतिबंध विधेयक" होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं रखा है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि अशिष्ट रूपण शब्द को अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। यह प्रगतिशील स्थितियों के ऐसे चित्रण पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता जो हिंसा यौन-आक्रमण अथवा क्रूरता को चित्रित करती है, जिन पर साफ तौर से प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है।

तीसरे इसमें जन नैतिकता की बात की गई है। यह कौन निर्धारित करेगा कि जन नैतिकता क्या है? क्या नौकरशाह यह निर्धारित करेंगे कि जन नैतिकता क्या है? इसलिए उस सीमा तक विधेयक प्रशासकों को असीमित शक्तियां प्रदान करता है विशेष रूप से यदि धारा 5 को पढ़ा जाए, जिसमें नौकरशाहों द्वारा इसके गम्भीर दुरुपयोग की आशंका है क्योंकि इसे पूर्ण रूप

से कुछ राजपत्रित अधिकारियों के स्वनिर्णय और मूल्यांकन पर छोड़ दिया गया है और कोई मार्ग निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसलिए इस विधेयक में किसी उचित मंत्रणा बोर्ड का प्रावधान होना चाहिए जिसमें बुद्धिमान, शिक्षित व्यक्ति के प्रत्येक स्तर के विधि-वेत्ता शामिल हों, जो पहले उस मामले की जांच करें कि क्या उस विधेयक के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जा सकती है और केवल तभी प्रशासक को कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय, इसलिए मैं यह समझता हूं कि सदन में विधेयक को लाने से पहले इसे जनता की सलाह के लिए परिचालित किया जाना चाहिए था।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय इस विधेयक में वेषभूषा की शालीनता का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे यहां टापलैस, बोटमलैस, मिनी, मैक्सी वेषभूषा भी हैं। इस प्रकार इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि शालीनता क्या है और शालीन वेषभूषा क्या है? विदेशी लोग बिना सुसभ्य वेषभूषा पहने यहां आते हैं। क्या हम इसे रोक सकते हैं अथवा नहीं, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। सुसभ्य लोग उन्हें नहीं देख सकते। उनमें से अधिकतर नग्न होते हैं इसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या इस विधेयक के अनुसार इस विदेशी लोगों के इस प्रकार घूमने की अनुमति है। इस प्रकार मुझे यह विधेयक बिलकुल निरर्थक लगता है। शहरों और कस्बों में भी कैबरे और नग्न-नृत्यों से नवयुवक भ्रष्ट हो रहे हैं। यह मेरे प्रश्न हैं जिसका उत्तर मंत्री महोदय को देना चाहिए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय ऐसा लगता है सदस्य महोदय को विधेयक के अधिकार क्षेत्र के बारे में गलतफहमी है। यह विधेयक यहां महिलाओं व अन्य लोगों की वेषभूषा के स्तर को निर्धारित करने के लिए नहीं है। यह प्रचार माध्यमों और विज्ञापनों में महिलाओं के विभिन्न प्रकार के चित्रण के बारे में है जो महिलाओं को कलुषित करता है। मुझे यह कहना चाहिए कि हम यहां के केवल अशिष्ट चित्रण की ही बात नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने महिलाओं की मलिनता के बारे में बोलने के लिए अधिकार-क्षेत्र को बढ़ा दिया है। फिर श्री शाहबुद्दीन ने कहा कि कुछ बातों को छोड़ दिया गया है। मैं उस विषय पर बाद में आऊंगी। हमने चित्रण के प्रभाव के बारे में बातचीत की है। प्रश्न यह है कि एक बार विशिष्ट रूप से चित्रण करने से उसका प्रभाव क्या होगा।

(व्यवधान)

हम केवल अश्लीलता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस अधिनियम में हम अश्लीलता से आगे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भूल चन्द डागा : कृपया धारा को पढ़िये और उसमें आप केवल अश्लीलता ही नहीं अपितु विज्ञापन, फोटो और अन्य बातें भी देखेंगे।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : महोदय, दूसरी बात यह है कि भारतीय दण्ड संहिता में दुराशय आवश्यक है। यहां यह आवश्यक नहीं है। यहां इसके प्रभाव का प्रश्न है, चाहे आपकी यह इच्छा हो अथवा नहीं। पुरुषों को इस विधेयक से बाहर रखने के बारे में मैं समझती हूं कि यह अपनी अपनी राय के प्रश्न हैं। यदि पुरुष यह अनुभव करते हैं कि महिलाओं की तुलना में उनके साथ

भेदभाव किया जा रहा है तो शायद बाद में हम उन्हें भी शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। परन्तु मैं उन्हें आश्वासन दे सकती हूं कि नग्न पुरुष का कम महत्व है·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : अगला विषय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर अगले सत्र में विचार करेंगे। अब कोई समय नहीं है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, सभा स्थगित होने से पहले मैं आपको और अन्य सभी सदस्यों को मंगलमय नव वर्ष की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिंदूपुर) : जिस शालीनता और सभ्यता से आपने इस सदन की कार्यवाही की संचालित किया है उसके लिए मैं स्वयं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : एक अच्छे ढंग से सभा की कार्यवाही चलाने के लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : यह एक जीवंत सत्र था।

अध्यक्ष महोदय : हां, हमने पूर्णरूप से बहुत अच्छा समय व्यतीत किया।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपने जो सभी प्रकार का सहयोग और सहायता दर्शायी है उसके लिए मैं अपने बहुत बड़े दल की ओर से आपका धन्यवाद करती हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

माननीय सदस्यगण, इस माननीय सभा का सातवां सत्र आज समाप्त होता है। सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभी वर्गों के सदस्यों को उन्होंने मेरे लिए और मेरे सहयोगियों के लिएजो भारी सहयोग विनम्रता और प्यार दिखाया है। उसके लिए उनका धन्यवाद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

वास्तव में मैंने इस सत्र का आनन्द उठाया क्योंकि कल के बाद मैं अपने आपको निष्क्रिय अनुभव करूंगा। जब सभा का सत्र चल रहा होता है उस समय का मैं वास्तव में आनन्द उठाता हूं। वास्तव में यह काम करना बहुत रुचिकर है। हर समय ऐसी चर्चायें करना बहुत अच्छा है। दस या पन्द्रह मिनट का हुल्लड़ जो आपने किया उसकी मैं चिन्ता नहीं करता लेकिन हमने सब चर्चायें की हैं।

मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे एक युवा और सक्रिय उपाध्यक्ष मिला है। सत्र के दौरान उनकी शादी एक महान घटना थी। मेरे विचार से हमने भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शादी की घटना पैदा की है। वह मेरी अनुपस्थिति में काफी घंटों तक पीठासीन रहते है और बड़ी योग्यता से कार्यवाही का संचालन करते हैं। केवल यही नहीं, जब मैं आपकी अनुमति से अनुपस्थित रहता हूं, तब उन्होंने अनेक अवसरों पर ऐसा किया है; अनेक अवसरों पर मैं आपका सहयोग चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभापति के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के कार्यकारी समिति के सदस्य रूप में, कुछ दायित्व सौंपे हैं, और मैं सभा की कार्यवाही से लगातार सात या आठ दिन तक अनुपस्थित रहता हूं। यह आपकी उदारता का ही कारण है कि आप कह देते हैं कि "अब, आप यह जिम्मेदारी ग्रहण करें, आप इसका संचालन करें।" और थोड़े-थोड़े दिनों के लिए काफी समय तक अनुपस्थित रहने के दौरान आपने उपाध्यक्ष महोदय के साथ बड़ी योग्यता और सुन्दर ढंग से सहयोग किया और इस बारे में मुझे कोई शिकायत या शिकवा नहीं है।

मैं हृदय से उपाध्यक्ष महोदय के सहयोग का धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने निस्संकोच मुझे दिया। मेरा धन्यवाद सभापति-तालिका के सदस्यों के प्रति भी है जिन्होंने सभा की कार्यवाही चलाने के दूभर काम में हम दोनों का हाथ बंटाया। मैं सोचता हूं कि यह पहली बार ही था कि हमने यह कार्य अकेले सभापतियों पर छोड़ा।

श्री सोमनाथ रथ : बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको श्री डागा का भी धन्यवाद करना चाहिए जो एक दिन के लिए पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हें गोल करने की दक्षता प्राप्त है, उन्हें इसकी चिन्ता नहीं कि यह गोल कौन सा है।

इस छोटी सत्रावधि में हमने 26 बैठकें 175 घंटे लगाकर की।

सत्र प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तावित स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के साथ प्रारम्भ हुआ जो 2 अक्तूबर, 1986 को राजघाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के फलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्यों की हत्या के असफल प्रयास के बारे में था। प्रस्ताव पर चर्चा में साढ़े तीन घंटे लगे और 17 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

सत्रावधि में 12 ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव, 8 अल्पकालीन चर्चाएं और 2 अन्य प्रस्ताव सभा के समक्ष रखे गये। इसके अतिरिक्त 10 आधे घंटे की चर्चाएं की गईं। वर्ष 986-87 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगें और वर्ष 1986-87 के लिए बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों ने सभा में गम्भीर वाद-विवाद उत्पन्न किया।

पंजाब तथा देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवादी कार्यवाहियों पर चर्चा हुई तथा इससे सभा को इन दिनों हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर अपना भारी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर मिला। सभा ने अपनी पवित्र भूमि से विघटनकारी ताकतों को जड़ से उखाड़ फैंकने का पूर्ण निश्चय व्यक्त किया। इस सभा का संदेश जो प्रसारित हुआ वह जोरदार है तथा स्पष्ट है और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के दुश्मन इसे गम्भीर चेतावनी के रूप में लेंगे।

सभा में विधायी कार्यों की लम्बी सूची है। 30 विधेयक ही पारित किये गये। हमें 31 विधेयक भी लेना था। लेकिन हमने यह छोड़ दिया जिससे हमारी संसदीय शाखा अगले सत्र के प्रारम्भ होने पर कुछ कार्य कर सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संविधान (55वां संशोधन) विधेयक तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य विधेयक था जिन्हें व्यापक समर्थन मिला। सभा ने अरुणाचल प्रदेश की सुन्दर भूमि को संघ राज्य क्षेत्र से हटाकर भारत संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का स्वागत किया।

भगतजी, आप कुछ कहना चाहेंगे जिससे बाद में मैं समापन कर सकूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर कुछ शब्द कहने का जो सुअवसर मुझे दिया गया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

महोदय, यह सत्र, मेरे विचार से, एक बहुत उद्देश्यपूर्ण सत्र रहा है। इस सत्र में, इस सभा ने हमारे राष्ट्र के लिए चिन्तनीय बड़े तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग तथा समझ की भावना से चर्चा की है। महोदय, इस सत्र में बहुत ही महत्व तथा अर्थपूर्ण विधान जो भारत की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पारित हुए हैं और इस सभा में, माननीय सदस्यों ने चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, सभी ने बहुत सकारात्मक तथा अधिक सहयोग दिया है। मैंने यह बाहर भी कहा है और मुझे यहां भी यह कहने में संकोच नहीं है यद्यपि विपक्षी सदस्यों की संख्या अधिक नहीं है तथापि विपक्ष इस दृष्टि से प्रभावशाली रहा है कि वे जानते हैं कि अपना योगदान कैसे देना है और उनका योगदान अच्छा रहा है। वे सहयोगी, सकारात्मक तथा सहायक हैं और यही रवैया हमारा भी रहा है।

मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मुझे आपका धन्यवाद हमें दिये गए मार्गदर्शन के लिए, जो आपने बड़ी धैर्य और उदारता के साथ दिया, करना चाहिए। आपने जो धैर्य दिखाया वह वास्तव में महान था। कभी-कभी शून्य काल एक घंटे तक का शून्य काल नहीं रहता था। यह अनेक घंटों वाले शून्य काल में परिवर्तित हो जाता था। ठीक है, मैं किसी को भी शून्य नहीं कह रहा हूं। कभी-कभी इतने ज्यादा लोग एक ही समय में बोलते हैं और उस शोर गुल में मुझे वास्तव में यह भी समझ में नहीं आता था कि कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है। तो भी, आपने सन्तुलन बनाये रखते हुए सभा का मार्गदर्शन बड़े धैर्य और शान्ति के साथ किया है। माननीय सदस्य भी आपकी बात मान जाते हैं पर कभी-कभी उन मुद्दों पर जिन्हें वे गम्भीर समझते हैं वे अड़ जाते हैं और क्रोधपूर्ण अभिव्यक्तियों का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन वे आपके विनिर्णयों को मानकर उनके अनुसार आचरण करते हैं। वे आपके निदेशों और मार्गदर्शन को मानते हैं और आपके विनिर्णयों का सम्मान करते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इस सभा में हमारा बुद्धिमत्ता पूर्ण परिपक्व तथा व्यावहारिक मार्गदर्शन किया है।

मैं अपने कर्त्तव्य में विफल रहूंगा यदि मैं लोक सभा सचिवालय के सदस्यों, सभी अधिकारियों महासचिव आदि को उनके परिश्रम के लिए जो उन्हें करना पड़ा धन्यवाद न दूं। मैं सारे स्टाफ का द्वारों पर नियुक्त द्वारपालों से लेकर सभी का, विशेषकर सत्रावधि के दौरान जो कठिन परिश्रम उन्होंने किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं अपने कर्त्तव्य में विफल रहूंगा यदि मैं यह उल्लेख नहीं करता कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं—और मैं विश्वास करता हूं कि सदन भी मुझसे सहमत होगा कि मुझे अच्छा संसदीय कार्य राज्य मंत्री मिला है···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें 'सुन्दर' भी क्यों नहीं कहते ?

श्री एच० के० एल० भगत : कभी-कभी मैं उनके कुशल कार्य-सम्पादन पर चकित होता हूं। मैं एक विधान-सभा में एक मुख्य सचेतक के रूप में कार्य कर रहा था और मैं वर्ष 1952 से संसदीय सचिव भी था। उन्हें इस प्रकार का अनुभव नहीं है। मैं उन्हें सभा का संचालन इतने अच्छे ढंग से करने पर चकित हूं और महसूस करता हूं कि उन्हें मेरे मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह अपने बल-बूते पर सभा का संचालन कर सकती है और मुझे उनके कार्य करने के उत्कृष्ट तरीके का धन्यवाद करना चाहिए।

मैं अपने कर्त्तव्य में विफल रहूंगा यदि मैं समाचार पत्रों के संवाददाताओं का उनके द्वारा सभा की कार्यवाही का विवरण देने के लिए धन्यवाद नहीं देता। कभी-कभी उन्हें भी सभा की कार्यवाही छापने में कुछ कठिनाइयां होती हैं।

मुझे मार्शल को नहीं भूलना चाहिए जो हमेशा सतर्क, सदैव-क्रियाशील और सदैव-सहायक रहा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं।

अतः, इन शब्दों के साथ मैं अपने धन्यवाद का समापन करता हूं। यह शीत सत्र बहुत ही उद्देश्यपूर्ण, सहयोगपूर्ण और समझबूझ के साथ और आपके मार्ग दर्शन के कारण एक सकारात्मक सत्र रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि यह एक अच्छा तथा सफल सत्र रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात के लिए आपको बधाई दे सकता हूं। आपमें स्वस्थ एवं सुन्दर मंत्री चुनने की दक्षता है।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं हमेशा सौभाग्यशाली रहा हूं। मुझे सदैव एक अच्छे संसदीय कार्य मंत्री मिले हैं। गुलाम और मेरा भाग्य का सितारा एक जैसा है और किसी भी तरह हम जगह इकट्ठे हैं।

तत्पश्चात्, महोदय, मुझे संसदीय कार्य मन्त्रालय के सचिव तथा स्टाफ की जो कठिन तथा अच्छा कार्य करते रहे हैं, प्रशंसा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी आप आए हैं, कुछ कहेंगे।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं दूसरी जमात में पढ़ता था, तो उर्दू में एक कहानी थी। किसी ने बिच्छू से पूछा—आड़े में बाहर क्यों नहीं आता ? तो उसने कहा—मौसम-ए-सरमा में जो मेरे साथ होती है, तो आड़े में क्या कम होगी। आपकी बहुत मेहरबानी।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं गृह मंत्री का लगभग प्रत्येक अवसर पर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय, हर अच्छी बातों का अन्त भी होता है । यह बहुत ही आनन्द की संध्या है और जैसा कि आपने कहा है, मैं अपने स्टाफ के सदस्यों के बारे में, जो हर जगह मेरे चारों ओर और ऊपर उपस्थित हैं, कह सकता हूं कि मैं उनके बारे में बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं । मुझे उन पर गर्व है । जैसा कि आपने कहा कि मार्शल नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे मार्शल की ओर से बोलना पड़ा है । मेरे सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं स्टाफ पक्ष का जिन्होंने अपना कार्य उत्कृष्टता से किया, धन्यवाद करता हूं । यही बातें समाचार पत्रों के बारे में भी है । अनेक मौकों पर कुछ बातें यहां-वहां छूट जाती हैं लेकिन आदमी आखिर आदमी है और मनुष्य गलती का पुतला है । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं सोचता हूं कि हम आपस में अच्छी तरह मेल-मिलाप कर सकते हैं, और एक दूसरे के दृष्टिकोण को जो तथ्यों और सच्चाईयों पर आधारित हो, राष्ट्र हित में विचार-विमर्श से सुलझा सकते हैं और इससे हम सबको मदद मिलेगी क्योंकि प्रजातंत्र का अर्थ है विचारों की अभिव्यक्ति और उन्हें कभी भी नहीं दबाना चाहिए उनका कभी भी मुंह बन्द नहीं करना चाहिए । असली प्रजातंत्र यही है । लेकिन यह विचारों की अभिव्यक्ति रचनात्मक और राष्ट्र के हित में होनी चाहिए । यही सब कुछ मैं कहना चाहता हूं । सभी माननीय सदस्यों, टूर स्टाफ, सभी समाचार पत्रों, सभी मित्रों तथा मन्त्रालय शाखाओं का धन्यवाद । मैं किसी को भी नहीं भूलूंगा । वे सब मेरे दिमाग हैं । इस समय दो महीने के लिए मेरे विचार से···

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : ढाई महीने ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं इससे अधिक चाहता हूं । हम पुनः फरवरी में मिलेंगे । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । एक अच्छा क्रिसमिस और अच्छा खुशहाल नव वर्ष मनाएं । सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

6.53 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

ए० के० प्रिंटस, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित ।